सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2014-15 तक की राजस्व हिस्सेदारी

संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2017 की प्रतिवेदन संख्या 35

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं
द्वारा वर्ष 2014-15 तक
की राजस्व हिस्सेदारी

संघ सरकार
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)
2017 की प्रतिवेदन संख्या 35

विषय सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
कार्यकारी सार		ix
अध्याय-I: प्रस्तावना		
राजस्व शेयरिंग पद्धति	1.1	1
विभिन्न लाइसेसों में सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा	1.2	1
लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के संग्रहण, लेखांकन और मूल्यांकन की डी ओ टी में व्यवस्था	1.3	2
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.4	2
लेखापरीक्षा पद्धति	1.5	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	4
आभार	1.7	4
अध्याय II: टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व		
प्रस्तावना	2.1	5
टी टी एस एल और टी टी एम एल को प्रदान किये गये लाइसेंस	2.1.1	5
टी टी एस एल व टी टी एम एल को आबंटित स्पेक्ट्रम	2.1.2	6
टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा बताया गया सकल राजस्व (जी आर) और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर)	2.1.3	7
राजस्व को कम बताया गया	2.2	7
डीलरों/वितरकों को दिए गए छूट/कमीशन के नेट ऑफ के कारण राजस्व कम बताया गया	2.2.1	8
अभिदाताओं को दी गयी छूट/फ्री एयर टाइम और फुल टॉक आइम को नेट ऑफ करने के कारण राजस्व कम बताया गया	2.2.2	10
अभिदाताओं को अनुमत वेवर को नेट ऑफ करने के कारण राजस्व कम बताया गया	2.2.3	11
अवसंरचना हिस्सेदारी से राजस्व को कम बताया गया	2.2.4	12
जी आर/ए जी आर के लिए फोरेक्स लाभ पर विचार न करना	2.2.5	13
राजस्व तथा एल एफ के विवरण में राजस्व का कम बताया जाना यद्यपि उनको लेखापुस्तकों में (ए जी आर विवरण) दर्ज किया गया	2.3	15

निवेशों की बिक्री से लाभ पर विचार न करना	2.3.1	15
ब्याज आय पर विचार न करना	2.3.2	15
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुये लाभ पर विचार न करना	2.3.3	17
विविध आय पर विचार न करना	2.3.4	18
अन्य मामलों के कारण राजस्व हिस्सेदारी का कम/गैर भुगतान	2.4	19
जी आर से ए जी आर में बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋणों के लिये अनियमित कटौती का दावा	2.4.1	19
लीज़ लाइन व पोर्ट प्रभारों के कारण दावित अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ए जी आर कम बताये गये	2.4.2	20
बैंडविथ लिंक की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व का विचार न करना	2.4.3	21
पैस्सिव अवसंरचना परिसम्पत्ति युक्त सबसिडियरी में होल्डिंग की बिक्री पर लाभ को टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना में शामिल नहीं करना	2.4.4	22
एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज	2.4.5	23
यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अंतर्गत अपेक्षित विवरणों का प्रस्तुतिकरण नहीं करना	2.4.6	23
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग/टी टी एस एल की प्रतिक्रिया	2.5	24
अध्याय III: मैसर्स टेलीनॉर (इण्डिया) संचार लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व		
प्रस्तावना	3.1	27
टेलीनॉर समूह द्वारा धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम	3.1.1	27
टेलीनॉर समूह द्वारा बताया गया राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान	3.1.2	28
प्रीपेड सेवाओं के लिए विक्रेताओं/अभिदाताओं को कमीशन/आफर/छूट से संबन्धित राजस्व को नेटिंग ऑफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.2	28
वितरकों को मार्जिन/कमीशन के भुगतान को नेटिंग ऑफ करने के कारण राजस्व की कम रिर्पोटिंग	3.2.1	29
ग्राहकों/विक्रेताओं को दिये गये प्रस्तावों के कारण राजस्व की कम रिर्पोटिंग	3.2.2	30
प्रीपेड राजस्व से छूट का समायोजन के कारण राजस्व की कम रिर्पोटिंग	3.2.3	32

अन्य आपरेटरो को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर आपरेटर ट्रेफिक (आई ओ टी) छूट को समायोजित करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.3	33
यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू/टेलीनॉर द्वारा जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग	3.4	34
जी आर/ए जी आर हेतु ब्याज की आय पर विचार न करना	3.5	36
एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर में विविध आयों को सम्मलित करने पर विचार न करना	3.6	36
व्यापार हस्तांतरण समझौते के अंतर्गत यू डब्ल्यू एल से टी डब्ल्यू एल/टेलीनॉर व्यवसाय की बिक्री से होने वाले लाभ पर लाइसेंस फीस की गैर अदायगी	3.7	38
एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज	3.8	39
राजस्व व लाईसेंस फीस के विवरणी में प्रकटीकरण (ए जी आर का विवरण)	3.9	39
लेखापरीक्षण के अवलोकनों के लिए डी ओ टी/टेलीनॉर का उत्तर	3.10	40
अध्याय IV: मैसर्स वोडाफोन दूरसंचार लिमिटेड द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी		
प्रस्तावना	4.1	43
वी टी एल द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम रखना	4.1.1	43
वी टी एल द्वारा बताया गया राजस्व एवं राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान	4.1.2	44
वितरकों/अभिदाताओं को कमीशन/छूट/ऑफर के नेटिंग आफ के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व की कम रिपोर्टिंग	4.2	45
वितरकों को दिया गया कमीशन/छूट के नेटिंग ऑफ के कारण प्रीपेड राजस्व की कम सूचना़	4.2.1	45
प्रीपेड अभिदाताओं को फ्री एयर–टाइम के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग	4.2.2	47
प्रीपेड सिम कार्डों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का ध्यान में न रखना	4.2.3	48
राजस्व हिस्सेदारी में शामिल नही की गई आय	4.3	49
राजस्व शेयर के लिए ब्याज आय पर विचार न करना	4.3.1	50
विदेशी मुद्रा लाभ का जी आर/ए जी आर में शामिल न करना	4.3.2	50
एल एफ व एस यू सी के अल्प/गैर भुगतान पर ब्याज	4.4	52
राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरणों में प्रकटीकरण (ए जी आर विवरण)	4.5	52

लेखापरीक्षा कथन पर डी ओ टी/वी टी एल की प्रतिक्रिया	4.6	53
अध्याय V: मैसर्स क्वाडरैन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व		
प्रस्तावना	5.1	55
क्यू टी एल द्वारा लिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम	5.1.1	55
क्यू टी एल द्वारा बताया गया राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान	5.1.2	56
वितरकों/अभिदाताओं को कमीशन/छूट/ऑफर के नेटिंग आफ के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को कम बताया गया	5.2	56
वितरकों को दिया गया अपफ्रंट कमीशन/छूट के सेट–ऑफ के कारण प्रीपेड राजस्व कम बताया गया	5.2.1	57
प्रीपेड ग्राहकों को फ्री एयर टाइम देने के कारण राजस्व को कम बताया गया	5.2.2	58
प्रीपेड सिम कार्डस की बिक्री से हुए राजस्व का विचार न करना	5.2.3	60
राजस्व हिस्सेदारी के लिए आय को शामिल नहीं किया गया	5.3	61
जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा लाभ शामिल नहीं किया गया	5.3.1	61
जी आर/ए जी आर के लिय अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का विचार न करना	5.3.2	63
एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना की शेयरिंग से राजस्व का विचार न करना	5.3.3	64
एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिये ब्याज आय नहीं माना जाता है	5.3.4	65
विविध आय को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिये विचार नही करना	5.3.5	66
एल एफ व एस यू सी के कम/गैर–भुगतान का ब्याज	5.4	67
राजस्व और लाइसेंस फीस के विवरण में घोषणा (ए जी आर विवरण)	5.5	68
लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर दूरसंचार विभाग/क्यू टी एल की प्रतिक्रिया	5.6	69
अध्याय VI: रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) द्वारा साझा किया गया राजस्व		
प्रस्तावना	6.1	71
आर जे आई एल को लाइसेंस दिये गये	6.1.1	71
आर जे आई एल को आबंटित स्पैक्ट्रम	6.1.2	72

आर जे आई एल द्वारा सूचित राजस्व तथा राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान	6.1.3	73
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	6.2	73
एल एफ व एस यू सी के भुगतान हेतु जी आर/ए जी आर में विदेशी मुद्रा लाभ पर विचार नहीं किया जाना	6.2.1	73
एल एफ व एस यू सी के अल्प भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज	6.2.2	74
लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दू वि/आर जे आई एल की प्रतिक्रिया	6.3	74

परिशिष्ट एवं अनुलग्नक

परिशिष्ट संख्या	अध्याय संख्या.	पृष्ठ संख्या
I	अध्याय I	75
II		76
III		79
अनुलग्नक संख्या	**अध्याय संख्या**	**पृष्ठ संख्या**
2.01 से 2.14	अध्याय II	80
3.01 से 3.10	अध्याय III	106
4.01 से 4.06	अध्याय IV	125
5.01 से 5.09	अध्याय V	135
6.01	अध्याय VI	146
	शब्दावली	147

प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के आधारभूत लेखा अभिलेखों तथा दस्तावेजों के सत्यापन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत जैसा कि आदेश दिया गया है तथा भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण) नियम, 2002 के नियम 5 (ii) जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 अप्रैल 2014 के द्वारा बहाल रखा गया, का कार्य शुरू किया है।

तद्नुसार लेखापरीक्षा द्वारा दूरसंचार विभाग और निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) द्वारा अनुरक्षित खाता बही एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की जाँच यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ की गई कि पी एस पी द्वारा अर्जित राजस्व को सरकार के साथ पी एस पी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्धों के अनुसार सरकार के साथ साझा किया गया है।

छः ऑपरेटरों (मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया, मैसर्स रिलायंस, मैसर्स टाटा और मैसर्स एयरटेल) के संबंध में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 11 मार्च 2016 (2016 की प्रतिवेदन संख्या 4) को संसद में रखा गया था। छः ऑपरेटरों (वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए मैसर्स सिस्टेमा) के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए 2017 की प्रतिवेदन संख्या 11 में शामिल किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन में पाँच ऑपरेटरों अर्थात् मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए), मैसर्स क्वाड्रांट टेलीवेंचर्स लिमिटेड (वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिए), मैसर्स विडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए), टेलीनॉर ग्रुप (वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए) और रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के लिए) के राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सार

1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी का प्रारूप (मॉडल)

नई दूरसंचार नीति (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 में लागू हुई ने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी के प्रारूप की भुारूआत की। इस प्रणाली के तहत दूरसंचार लाइसेंस धारियों को अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का कुछ प्रति त वार्शिक लाइसेंस भुाल्क (एल एफ) के रूप में सरकार के साथ साझा करना होता था। इसके अलावा मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज (एस यू सी) का भुगतान करना होता था। दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं के बीच लाइसेंस सहमति से लाइसेंस धारी कंपनी के सकल राजस्व के घटकों को परिभाशित किया गया था और समायोजित सकल राजस्व की गणना लाइसेंस समझौते में लिखे गये कुछ कटौती की अनुमति के बाद की गयी थी। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अन्तर्गत नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा सेवा प्रदाता के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा को दू वि द्वारा सरकार को देय राजस्व हिस्सेदारी के आंकलन के लिए भरोसा किया जाता है।

2. निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए राजस्व हिस्सेदारी की यथातथ्यता पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा की गई लेखापरीक्षा

निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता (पी एस पी) द्वारा एल एफ एवं एस यू सी के रूप में दी गयी राजस्व हिस्सेदारी भारत सरकार (जी ओ आई) के समेकित निधि का हिस्सा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की भार्तों) की धारा 16 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के लिए यह अत्यंत आव यक है कि वह देखे कि भारत सरकार को अपना पूरा और सही हिस्सा मिला है। इसके अलावा भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण सेवा प्रदाता (लेखा और अन्य दस्तावेजों के रखरखाव) नियम 2002 जो सरकार द्वारा नवम्बर 2002 में बनाया गया उसमें सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा बनाये गये सभी लेखा रिकॉर्ड और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जो सेवा प्रदाता द्वारा सकल राजस्व (जी आर) पर प्रभाव डालते हैं, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा करने का प्रावधान है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मार्च 2016 में वर्श 2006-07 से 2009-10 के बीच छः पी एस पी द्वारा राजस्व साझा करने पर रिपोर्ट (2016 की प्रतिवेदन संख्या 4) संसद में प्रस्तुत की थी और रिपोर्ट को लोक लेखा समिति ने माना था। पांच पी एस पी (मेसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड एवं टाटा टेली सर्विसेज (महाराश्ट्र) लिमिटेड को छोड़कर 2010-11 से 2014-15 के बीच एवं मैसर्स सिसटेमा भयाम टेलीसर्विसेज लिमिटेड का 2006-07 से 2014-15 के बीच का लेखा जोखा की लेखापरीक्षा 2016 में की गयी और लेखापरीक्षा के निश्कर्शों की रिपोर्ट एक अलग रिपोर्ट (2017 की प्रतिवेदन संख्या 11) में की गयी। वर्तमान रिपोर्ट पांच[1] ऑपरेटरों के लेखांकन रिकॉर्ड के सत्यापन से उत्पन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रस्तुत करती है।

[1] 1. मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड एवं टाटा टेलिसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड (2010-11 से 2014-15), 2. मैसर्स क्वाडरैन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड (2006-07 से 2014-15), 3. मैसर्स विडियोकॉन टेलिकम्यूनिकेशन लिमिटेड (2009-10 से 2014-15), 4. टेलिनोर ग्रुप (2009-10 से 2014-15) और 5. रिलायंस जियो लिमिटेड (2012-13 से 2014-15)।

प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन में सात अध्याय और अनुबंध शामिल हैं। अध्याय 1 राजस्व साझा करने की मुख्य विशेषतायें एवं दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) की एल एफ और एस यू सी के संग्रह करने की व्यवस्था और उनके अंतिम मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण देता है। यह ऑडिट स्कोप एवं कार्य प्रणाली भी बताता है। अध्याय II से VI तक में ऑपरेटर के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन किया गया है।

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश

(i) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों को भुगतान किये गये कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न करके सकल राजस्व ने (जी आर/ए जी आर) को कम करके बताया गया

निजी सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड उत्पादों को बेचने के लिए एवं ग्राहक अधिग्रहण के लिए वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों की नियुक्ति करते हैं तथा इसके लिए उन्हें कमीशन रियायतों का भुगतान करते हैं। वो सभी निजी सेवा प्रदाता (पी एस पी) जिनके खातों को सत्यापित किया गया था उसमें पाया गया कि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों को भुगतान किये गये कमीशन/रियायत की राशि को शामिल न कर इन्होंने जी आर/ए जी आर को कम करके बताया।

चूंकि वितरकों/डीलरों/अभिकर्ताओं/फ्रेन्चाईजियों को दिया गया कमीशन/डिस्काउंट व्यवसायिक खर्चों की प्रकृति (विपणन व्यय) का है अतः जी आर/ ए जी आर में रिपोर्टिंग हेतु राजस्व से इसे कम करना समझौतों की शर्तों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि छूट/कमीशन इत्यादि द्वारा राजस्व में की गयी कमी ₹ 3183.03 करोड़ थी इसके परिणामस्वरूप लाईसेंस फीस और एस यू सी को क्रमशः ₹ 270.36 करोड़ एवम् ₹ 117.99 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.1, 3.2.1, 4.2.1, 5.2.1)

(ii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा फ्री टॉक टाइम/फ्री एयर टाइम जैसी संवर्द्धन योजनाओं की राशि को शामिल न करके जी आर/ए जी आर को कम करके बताया गया

लेखापरीक्षा में देखा गया है कि निजी सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड ग्राहकों को विभिन्न अवसरों पर जो मूलतः विभिन्न नामों के तहत संवर्द्धन योजनायें हैं फ्री टॉक टाइम/फ्री एयर टाईम जैसे अलग अलग ऑफर उपलब्ध कराते हैं। यूनीफाईड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) अनुबंधों में प्रावधान है कि सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जाना चाहिए तथा रियायत/छूट के ब्यौरे को अलग से दर्शाया जाना चाहिए। यह पाया गया कि संवर्द्धन योजनाओं को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गयी।

चूंकि इस प्रकार के संवर्द्धन योजना व्यवसायिक व्ययों की प्रकृति में थे। भारत सरकार को राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु यू ए एस सल समझौतों के तहत उन्हें जी आर/ए जी आर के उद्देश्य के लिए राजस्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने जी आर/ए जी आर को कम दिखाने के इस पहलू पर काम किया और पाया कि इसके कारण ₹ 3310.00 करोड़ कम दिखाये गये जिसके कारण एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 277.83 करोड़ और ₹ 125.20 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.2, 3.2.2, 4.2.2, 5.2.2)

(iii) प्रीपेड/पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई रियायत/वेवर को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा एवं टेलीनॉर के द्वारा पोस्टपेड/प्रीपेड ग्राहकों को दी जाने वाली टैरिफ प्लान के अलावा रियायात/वेवर को उनके राजस्व से घटा दिया गया था। भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) को प्रस्तुत टैरिफ प्लान पर पोस्टपेड ग्राहकों को दी गई ऐसी रियायत/वेवर व्यापार व्यय की प्रकृति का होता है तथा राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर को बताने हेतु राजस्व से इनको घटाना लाइसेंस अनुबंधों के अनुरूप नहीं है। इस विचलन के कारण इन कंपनियों ने जी आर/ए जी आर को ₹ 345.92 करोड़ कम करके दिखाया जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 29.06 करोड़ और ₹ 13.25 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.3, 3.2.3)

(iv) रोमिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व से छूट को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

निजी सेवा प्रदाताओं की अन्य अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग सेवाओं के लिए व्यवस्था है। यह पाया गया है कि टेलीनॉर ने इन्टर ऑपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) छूट जो इन ऑपरेटरों को दी गयी वह रोमिंग राजस्व में से कटौती कर दी। अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था होना दोनों ऑपरेटरों के लिए आपसी समझौते की बात है और रोमिंग के लिए सहमत शुल्क के अलावा छूट देना दो ऑपरेटरों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा है और इसलिए ये छूट खर्चों की प्रकृति में थी और इसलिए लाइसेंस समझौते के तहत उन्हें राजस्व से कटौती करने की अनुमति नहीं है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व की इस तरह की गणना के कारण जी आर/ए जी आर को ₹ 3.27 करोड़ कम करके दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 0.32 करोड़ और ₹ 0.11 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

(v) अवसंरचना की हिस्सेदारी से राजस्व को घटाकर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

यू ए एस एल अनुबंधों में प्रावधान है कि जी आर में, अवसंरचना की भागीदारी से प्राप्त राजस्व, व्यय की संबंधित मदों को घटाये बिना शामिल होगा, पी एस पी में अन्य पी एस पी के साथ उनके निष्क्रिय ढांचे को साझा करने के लिए व्यवस्था है। लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा के मामले में अवसंरचना भागीदारी से प्राप्त राशि राजस्व में पूर्ण रूप से नहीं ली गयी है। इसके बजाय इसको खर्चे में प्रदर्शित किया गया है। इसके कारण राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिए जी आर/ए जी आर की गणना हेतु अवसंरचना भागीदारी से राजस्व को कम करके दिखाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व की इस तरह की गणना के कारण जी आर/ए जी आर को ₹ 107.09 करोड़ कम करके दिखाया गया। जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 9.15 करोड़ और ₹ 3.85 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.4)

(vi) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा फोरेक्स लाभ के कम/गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर को कम बताया गया

जी आर की परिभाषा के सन्दर्भ में, राजस्व भागीदारी की गणना के लिए फोरेक्स लाभ जी आर का एक घटक होना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी एस पी द्वारा फोरेक्स लाभ को या तो पूरी तरह से जी आर से बाहर रखा गया या आंशिक रूप से जी आर में शामिल किया गया। सभी पी एस पी द्वारा फोरेक्स लाभ को जी आर से बाहर रखने की गणना ₹ 1484.17 करोड़ पाई गयी। जिसके कारण एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 125.07 करोड़ और ₹ 15.91 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.5, 3.4, 4.3.2, 5.3.1, 6.6.1)

(vii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा ब्याज से आय को समाविष्ट नहीं करने के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये

लाइसेंस अनुबंधों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ब्याज से प्राप्त आय को राजस्व हिस्सेदारी की गणना करने के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी एस पी ने जी आर/ए जी आर में अपनी ब्याज को शामिल नहीं किया है जिसके कारण राजस्व हिस्सेदारी में कम भुगतान हुआ। ऑडिट कवरेज की अवधि के दौरान पी एस पी द्वारा रिपोर्ट किये गये कम दिखाये गये राजस्व की गणना ₹ 687.59 करोड़ पाई गयी। जिसके कारण एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 59.23 करोड़ और ₹ 23.78 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.2, 3.5, 4.3.1, 5.3.4)

(viii) सभी निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा निवेश की बिक्री से आय के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम बताये गये

लाइसेंस अनुबंध में प्रावधान है कि राजस्व भागीदारी की गणना के लिए निवेश से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा ने राजस्व भागीदारी की गणना के लिए निवेश से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया था। निवेश से प्राप्त आय को जी आर/ए जी आर में शामिल न करने की कीमत ₹ 257.07 करोड़ पायी गयी जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमश ₹ 21.52 करोड़ और ₹ 9.50 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.1)

(ix) विविध राजस्व और अचल संपत्तियों की ब्रिकी से प्राप्त लाभ के गैर समावेशन के कारण जी आर/ए जी आर कम करके बताया गया

लाइसेंस अनुबंध में प्रावधान है कि जी आर में अन्य विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद को घटाये बिना शामिल होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि टाटा, टेलीनॉर और क्वाडरेन्ट ने विविध आय जैसे अचल संपत्तियों की ब्रिकी से प्राप्त लाभ को शामिल न करके जी आर को कम करके दिखाया। इस प्रकार जी आर को कम करके दिखाने की कुल कीमत ₹ 165.39 करोड़ पाई गयी इसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 13.64 करोड़ और ₹ 5.60 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3.3, 2.3.4, 3.6, 5.3.2, 5.3.5)

(x) बट्टे खाते में डाले जाने वाली अप्राप्य ऋण राशि को कटौती के रूप में दावा करने से ए जी आर कम दिखाया गया

लाइसेंस अनुबंध सेवा प्रदाताओं के ए जी आर निकालने के लिए केवल राजस्व के तीन मदों को जी आर से कटौती की अनुमति देते हैं। जी आर से ए जी आर निकालने के लिए अप्राप्त ऋण राशि कटौती दावा के योग्य नहीं थी हालांकि टाटा ने अपने जी आर से ए जी आर निकालने के लिए अप्राप्त ऋण राशि कटौती का दावा किया। इस तरह कुल ₹ 1026.01 करोड़ काट लिया गया था जिसके कारण क्रमशः लाइसेंस फीस और एस यू सी का ₹ 88.59 करोड़ और ₹ 39.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.1)

(xi) एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर का कम बताया जाना

यू ए एस एल अनुबंधों के संदर्भ में बैंडविड्थ/अवसंरचना की भागीदारी के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर को विचार में लेना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि टाटा तथा क्वाड्रेन्ट ने एस यू सी की गणना करने के लिए बैंडविड्थ/ अवसंरचना की भागीदारी के विक्रय/लीज से प्राप्त राजस्व को ए जी आर में शामिल नहीं किया है। जबकि यह लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए शामिल किया गया था। केवल वायरलेस सेवा उपलब्ध कराने वाली निजी सेवा प्रदाताओं ने इस प्रकार का अपवर्जन नहीं किया है। एस यू सी की गणना करने के लिए ए जी आर में शामिल नहीं की गयी राजस्व की राशि ₹ 2988.59 करोड़ निकलती है तथा इसके प्रभाव से एस यू सी का ₹ 105.95 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.3, 5.3.3)

(xii) लाइसेंस शर्तों का अनुपालन

दूरसंचार विभाग के साथ लाइसेंस समझौते के अनुसार लाइसेंसधारी ऑपरेटर का सकल राजस्व, राजस्व हिस्सेदारी के खाते के भुगतान की तैयारी के लिए राजस्व और मानदंडों से संबंधित व्यय के किसी भी सेट–ऑफ को प्रतिबंधित करता है ऐसा लाइसेंस समझौते में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने सभी पांच ऑपरेटरों द्वारा तैयार किये गये खातों में लाइसेंस समझौते की शर्तों के साथ गैर अनुरूपता देखी जिसके कारण सरकार के साथ राजस्व साझा करने के लिए उनकी जी आर की गणना की गई थी। हालांकि जी आर की गणना लाइसेंस समझौतें के अनुपालन में नहीं थी। फिर भी वैधानिक लेखापरीक्षकों ने हमेशा प्रमाणित किया था कि लाइसेंस अनुबंध में निहित दिशा निर्देशों/मानदंडों के अनुसार खाते तैयार किए गये थे और कंपनियों ने हमेंशा दूरसंचार विभाग के एक हलफनामा प्रस्तुत करते हुए पुष्टि की, कि उनका जी आर लाइसेंस समझौते में परिभाषित किया गया था। ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत किए गये ये विवरण केवल एक परिचयात्मक अभ्यास के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे जी आर/ए जी आर की गणना करते समय यू ए एस एल समझौता की शर्तों से लगातार दूर चलते रहे। इसके तहत दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस समझौतों में निर्धारित नियमानुसार अपने राजस्व का खुलासा करने के लिए कोई भी सक्रिय कदम नहीं उठाया।

(पैराग्राफ 2.4.6, 3.8, 4.5, 5.5)

4. लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित राजस्व की गैर वसूली का समेकित विवरण:

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार लाइसेंस फीस का कम/गैर भुगतान का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एल एफ की गैर वसूली (₹ करोड़ में)				
	टाटा	टेलीनॉर	वीडियोकॉन	क्वाड्रेन्ट	रिलायंस जियो
वितरकों/डीलरों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट इत्यादि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	182.20	79.19	5.82	3.15	-
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्री एयर टाईम को राजस्व के लिए नहीं पहचाना गया	158.39	111.31	7.88	0.25	-
ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	15.95	13.11	-	-	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	-	0.32	-	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	9.15	-	-	-	-
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	115.22	1.89	1.38	1.48	5.10
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	29.50	24.84	4.80	0.09	
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	21.52	-	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर समावेशन	5.90	4.64	-	3.10	-
दावा किए गये बट्टे खाते में डाले गये बैड डेब्टस के कारण अयोग्य कटौती	88.59	-	-	-	-
अन्य मुद्दे	97.81	22.02	0.42	0.15	0
कुल	**724.23**	**257.32**	**20.30**	**8.22**	**5.10**

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार एस यू सी का कम/गैर भुगतान नीचे तालिका में दिया गया है:-

लेखापरीक्षा प्रेक्षण	एस यू सी की गैर वसूली (₹ करोड़ में)				
	टाटा	टेलीनॉर	वीडियोकॉन	क्वाड्रेन्ट	रिलायंस जियो
वितरकों/डीलरों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट इत्यादि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	79.68	34.28	2.63	1.40	-
राजस्व हिस्सेदारी के लिए अभिदाताओं को दिये गये प्रमोशनल फ्री एयर टाईम को राजस्व के लिए नहीं पहचाना गया	71.87	49.53	3.69	0.11	-
ग्राहकों को प्रदत्त वेवर/छूट की राशि को राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	7.01	6.24	-	-	-
अन्य ऑपरेटरों को प्रदत्त छूट को रोमिंग राजस्व से हटाया गया (नेटेड ऑफ)	-	0.11	-	-	-
हटाया गया (नेटेड ऑफ) अवसंरचना भागीदारी राजस्व	3.85	-	-	-	-
फोरेक्स लाभ का गैर समावेशन	14.16	0.85	0.43	0.47	0.00
ब्याज आय का कम/गैर समावेशन	12.45	9.35	1.91	0.07	-
निवेश की बिक्री पर लाभ का गैर–समावेशन	9.50	-	-	-	-
विविध राजस्व एवं परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का गैर समावेशन	2.54	2.05	-	1.01	-
दावा किए गये बट्टे खाते में डाले गये बैंड डेब्टस के कारण अयोग्य कटौती	39.49	-	-	-	-
ए जी आर में एल एफ के लिए राजस्व में शामिल किया गया परन्तु एस यू सी के लिए नहीं	104.26	-	-	1.69	-
अन्य मुद्दे	42.19	8.40	0.24	0.07	0.00
कुल	**387.00**	**110.81**	**8.90**	**4.82**	**0.00**

लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार 31 मार्च 2016 को लाइसेंस फीस, एस यू सी का कम/गैर भुगतान एवं उस पर देय ब्याज को नीचे तालिका में दिया गया है:-

	एल एफ, एस यू सी और ब्याज का कम/गैर भुगतान (₹ करोड़ में)					
	टाटा	टेलीनॉर	वीडियोकॉन	क्वाड्रेन्ट	रिलायंस जियो	कुल
एल एफ	724.23	257.32	20.30	8.22	5.10	1015.17
एस यू सी	387.00	110.81	8.90	4.82	0.00	511.53
कुल (एल एफ+एस यू सी)	1111.23	368.13	29.20	13.04	5.10	1526.70
ब्याज	782.37	235.62	18.88	13.58	1.68	1052.13
कुल (एल एफ+एस यू सी+ ब्याज)	1893.60	603.75	48.08	26.62	6.78	2578.83

लेखापरीक्षा द्वारा पांच निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) के अभिलेखों के सत्यापन के सारांश ने संकेत दिया कि वर्ष 2014-15 तक की अवधि में ₹ 14813.97 करोड़ की राशि को ए जी आर में कम बताया गया और इस प्रकार भारत सरकार को ₹ 1526.70 करोड़ राजस्व राशि को कम भुगतान किया गया। कम भुगतान की गई राजस्व राशि पर मार्च 2016 तक बकाया ब्याज ₹ 1052.13 करोड़ था।

5. लेखापरीक्षा कथनों पर दूरसंचार विभाग तथा निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी) की प्रतिक्रिया

पांच निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा राजस्व हिस्सेदारी पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को दिसम्बर 2016/जनवरी/फरवरी 2017 की अवधि के दौरान संबंधित निजी सेवा प्रदाता को प्रति भेजने के साथ दूरसंचार विभाग को बताया गया। निजी सेवा प्रदाताओं ने जनवरी–मार्च 2017 की अवधि में लेखापरीक्षा को अपना जबाव दिया। विभिन्न लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया (रिलायंस जिओ के अलावा) फरवरी 2017 में प्राप्त हुई। जिसे उचित रूप से रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया है। रिलायंस जिओं के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर मंत्रालय के प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 राजस्व शेयरिंग पद्धति

नई दूरसंचार नीति-1999 (एन टी पी-99) जो अप्रैल 1999 से प्रभाव में आयी, ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में राजस्व शेयरिंग की पद्धति प्रारम्भ की। इस पद्धति के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जिन्होंने दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) द्वारा जारी किये गये लाइसेंस को रखा था, दूरसचांर सेवाएं अर्थात यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेस (यू ए एस), नेशनल लांग डिसटेन्स (एन एल डी) सेवाएं, इंटरनेशनल लांग डिसटेन्स (आई एल डी) सेवाएं, वेरी स्माल एपरेचर टर्मिनल (वी सैट) सेवा और इंटरनेट सर्विसेस, को सरकार को वार्षिक लाइसेंस फीस के रूप में समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान करना है। राजस्व शेयर के भुगतान के लिए सकल राजस्व (जी आर) और ए जी आर, दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और सेवा प्रदाताओं के मध्य समझौते में परिभाषित है। जब भुगतान योग्य लाइसेंस फीस (एल एफ) की दर सेवा के प्रकार और सेवा क्षेत्र[1] की कैटेगरी, जहां सेवा 2012-13 तक दी गयी थी, से सम्बन्धित किये गये थे, 1 अप्रैल 2013 से सर्विस क्षेत्र की कैटेगरी से निरपेक्ष, सभी सेवाओं के लिए लाइसेंस फीस की एक समान दर प्रारम्भ की गयी थी।

सेवाओं की श्रेणी और एल एफ की देय प्रतिशतता को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 11 संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) में प्रस्तुत किया गया है **(परिशिष्ट I)**।

1.2 विभिन्न लाइसेसों में सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मध्य हुआ लाइसेंस समझौता, दूरसंचार सेवा प्रदान करने की सेवा शर्तों को नियमित करता है। लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार लाइसेंसी कम्पनियों द्वारा एक लाइसेंस सेवा से सूचित ए जी आर के सहमत प्रतिशत की दर पर डी ओ टी को वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान किया जाना था। डी ओ टी द्वारा जारी विभिन्न लाइसेंसों[2] में सकल राजस्व (जी आर), कटौतियां और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 के संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) की रिपोर्ट संख्या 11 में शामिल हैं **(परिशिष्ट II)**। खातों की तैयारी और लाइसेंस शुल्क के भुगतान में महत्वपूर्ण आवश्यकताएं भी निर्दिष्ट रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं **(परिशिष्ट III)**।

---

[1] देश, 23 सेवा क्षेत्रों जिसमें 19 दूरसंचार परिमण्डल एवं 4 मैट्रो परिमण्डल हैं, में विभाजित किया गया था। बाद में चैन्नई सेवा क्षेत्र को तमिलनाडु सेवा क्षेत्र में विलय कर लिया गया था जिससे अब सेवा क्षेत्रों की संख्या 22 है।

[2] यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) और यूनिफाइड लाइसेंस (यू एल), नेशनल लॉग डिसटेन्स (एन एल डी), इंटरनेशनल लॉग डिसटेन्स इंटरनेट सेवायें और वेरी स्मॉल एपरेंचर टर्मिनल।

1.3 लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग प्रभार के संग्रहण, लेखांकन और मूल्यांकन की डी ओ टी में व्यवस्था

डी ओ टी ने, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किये गये राजस्व हिस्सेदारी के संग्रहण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की है।

तालिका - 1.1

प्रक्रिया	सम्बन्धित कार्यालय
➢ लाइसेंस फीस एवं स्पैक्ट्रम चार्जेज का संग्रहण	एल एस ए में नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) कार्यालय
➢ ए जी आर हेतु जी आर से कटौती के लिए पी एस पी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन	सी सी ए कार्यालय
➢ प्रचालक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं और सी सी ए द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी का अभिकलन और डिमांड नोट जारी करना	डी ओ टी का लाइसेंस फाइनेंस विंग
➢ एस यू सी का अभिकलन	डी ओ टी/सी सी ए कार्यालयों का डब्ल्यू पी एफ विंग

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 16 एवं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा–खाताओं एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम 2002 के नियम 5 (ii) के अधिदेश, जो भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 के निर्णय द्वारा मान्य ठहराये गए, के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2014-15 में छः[3] दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के 2006-07 से 2009-10 तक के चार वर्ष के लेखाओं का मूल लेखाकरण अभिलेखों एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष संघ सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2016 की प्रतिवेदन संख्या 4 में बताया गया था।

पांच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पूर्व में (मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड व इसकी सह कम्पनी मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड को छोड़कर) 2010-11 से 2014-15 तक के चार वर्ष के लेखे शामिल करके एवं मैसर्स सिस्टेमा श्याम टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड के 2006-07 से 2014-15 के लेखाओं का लेखापरीक्षा 2016 में लिया गया था और लेखापरीक्षा निष्कर्ष संध सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 की प्रतिवेदन संख्या 11 में शामिल किये गये हैं।

[3] मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी भारती हैक्साकॉम लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनियां मैसर्स रिलाइंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी मैसर्स रिलाइंस टेलीकॉम लिमिटेड, मैसर्स आइडिया सेलूलर लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड और इसकी सह कम्पनी मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड, मैसर्स एयरसेल लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियां एयरसेल सेलूलर लिमिटेड और डिशनेट वायरल लिमिटेड।

इस रिपोर्ट में शामिल पांच ऑपरेटरों की लेखांकन अवधि के साथ–साथ बाजार हिस्सेदारी का ब्यौरा नीचे तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

क्रम संख्या	ऑपरेटर का नाम	लेखापरीक्षा में कवर की गई लेखांकन अवधि	31 मार्च 2015 तक बाजार हिस्सेदारी (अभिदाताओं की संख्या करोड़ में)
1.	मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनी मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टाटा)	2010-11 से 2014-15	6.80
2.	मैसर्स टेलीनोर (टेलीनोर) कम्युनिकेशन लिमिटेड (टेलीनोर)	2009-10 से 2014-15	4.56
3.	मैसर्स विडियोकोन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड (वी टी एल)	2009-10 से 2014-15	0.71
4.	मैसर्स क्वाड्रंट टेलिवेन्चर लिमिटेड (क्यू टी एल)	2006-07 से 2014-15	0.30
5.	मैसर्स रिलांइस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल)	2012-13 से 2014-15	वर्ष 2012-2015 के दौरान कम्पनी ने एक्सेस सेवाओं से संबंधित अपनी वाणिज्यिक सेवायें शुरू नहीं की थी
	कुल		**12.37**

लेखापरीक्षा में शामिल पांच आपरेटरों द्वारा बताए गये सकल राजस्व नीचे दिखाये अनुसार हैं:

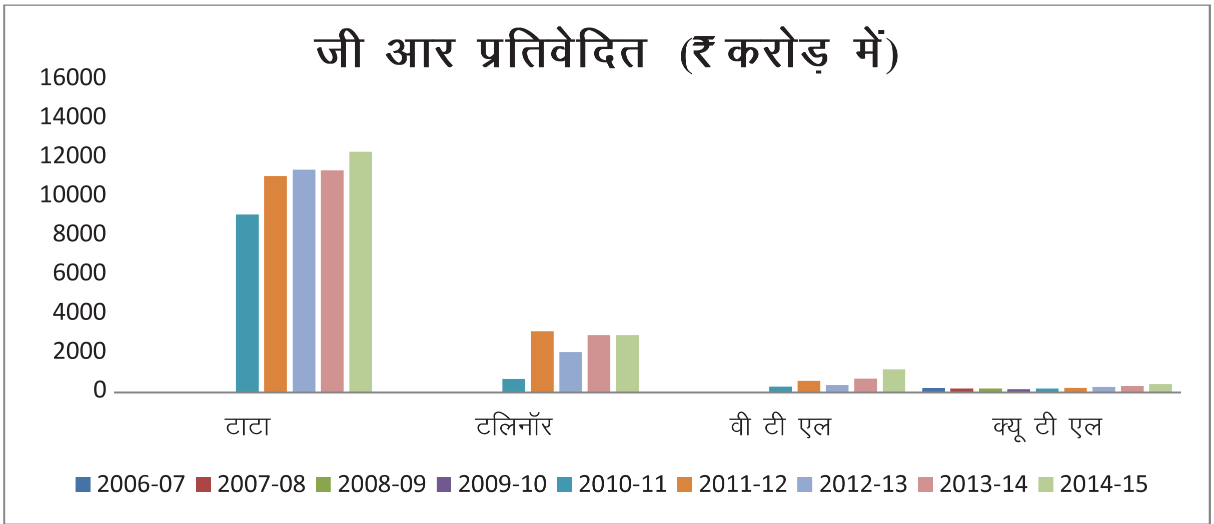

नोट: 1. क्यू टी एल का जी आर लेखापरीक्षा में शामिल सभी नौ साल के लिये है।
2. आर जी आई एल का जी आर शून्य था, चार्ट में नहीं दिखाया गया है।

1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

सभी प्रचालकों ने अपनी वित्तीय प्रणाली (ओरेकल फाइनेंशियल अथवा एस ए पी) के सामान्य बही खाता (जनरल लेज़र) पूछताछ मॉड्यूल लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराए। मुद्दे की पहचान करने के लिए विस्तृत परीक्षण हेतु लेखापरीक्षा में लेखा कोड जो लाइसेंस अनुबन्ध के अनुरूप सकल राजस्व एवं राजस्व शेयरिंग के उद्देश्य से कटौतियों से सम्बन्धित थी, की छानबीन नमूना जांच के आधार पर की गई। लेखापरीक्षा में सकल राजस्व के प्रस्तुतीकरण हेतु अपना लेखा तैयार करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रचालकों द्वारा किए गए अनुपालन का भी परीक्षण किया गया। लाइसेंसी ने ए जी आर विवरण पत्रों तथा सेवा राजस्व, अन्य आय एवं लाभ हानि खातों की वित्तीय आय का समाशोधन जो ट्रायल बैलेंस (टी बी) द्वारा उचित प्रकार से पता लगाया था, उपलब्ध कराया। अतिरिक्त आकड़ें, सूचना और स्पष्टीकरण, जब आवश्यकता हुई, लेखापरीक्षा पूछताछ के माध्यम से एवं संबंधित प्रचालकों के साथ विचार-विमर्श करके प्राप्त किए गए।

सभी प्रचालकों के साथ निकास बैठकें आयोजित की गई, जिनमें प्रारंभिक निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रचालक अनुसार प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दूरसंचार विभाग तथा संबंधित प्रचालकों को अग्रिम प्रति के साथ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार/प्रतिक्रिया जानने के लिए, जारी की गई। यह रिपोर्ट प्रचालकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/प्रत्युत्तरों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए प्रमुख मानदंड है:

- समय समय पर संशोधित किए गए लाइसेंस अनुबंध के प्रावधान
- लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रहण पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए विविध अनुदेश

1.7 आभार

इस लेखापरीक्षा को सुगम बनाने में सभी पांच दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रबधन एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा किए गए सहयोग की हम हार्दिक सराहना करते हैं।

अध्याय - II

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

2.1 प्रस्तावना

टाटा टेलीसर्विसेज (टी टी एस एल) को 1996 में कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था। इसने वर्ष 1999 में आंध्र प्रदेश राज्य में बतौर बेसिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में संचालन शुरू किया। दिसम्बर 2002 में टी टी एस एल ने ह्यूजेस टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड (एच टी आई एल) की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 50.38 प्रतिशत अर्जित किया। 13 फरवरी 2003 को, एच टी आई एल का नाम बदलकर टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टी टी एम एल) कर दिया गया और यह टी टी एस एल की एक सम्बद्ध कम्पनी है। बाद में, नवम्बर 2003 में कम्पनी को *यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल)* व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया गया। इसने 30 जुलाई 2007 को राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) सेवा प्रदाता लाइसेंस (जिसे एन एल डी ओ भी कहा गया था) भी प्राप्त किया था तथा इसे 12 नवम्बर 2007 से प्रभावी ढंग से शुरू किया गया था। लाइसेंसधारी मुख्य रूप से टाटा इंडिकॉम ब्रांड के तहत कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) टेकनोलॉजी के साथ सेवायें प्रदान करता था। इसने टाटा डोकोमो ब्रांड के तहत मार्च 2008 में मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (जी एस एम) के लिए ग्लोबल सिस्टम पर सेवा प्रदान करना शुरू किया और वर्ष 2009 में सेवायें शुरू कीं। टी टी एस एल और टी टी एम एल सभी लाइसेंस सर्विस क्षेत्रों (एल एस ए) में यू ए एस लाइसेंस रखते हैं।

टी टी एस एल और टी टी एम एल को लेखापरीक्षा के लिए लिया गया और 2006-07 से 2009-10 की अवधि को कवर करने वाले निष्कर्षों को 2016 की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संख्या 04 में शामिल किया गया। रिपोर्ट में इंगित किया गया था कि सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) ₹ 12017.36 करोड़ कम दर्शाए गए जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार का क्रमशः ₹ 1019.16 करोड़ और ₹ 338.52 करोड़ का कम भुगतान हुआ। वर्तमान लेखापरीक्षा के निष्कर्ष वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि कवर करते हैं।

2.1.1 टी टी एस एल और टी टी एम एल को प्रदान किये गये लाइसेंस

टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड को सितम्बर 1997 में आंध्र प्रदेश एल एस ए में बेसिक लाइसेंस दिया गया था तथा अगस्त 2001 में इसे पांच और सेवा क्षेत्रों दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और चेन्नई के लिए भी बेसिक लाइसेंस दिये गये थे। बाद में जनवरी 2004 के दौरान, कम्पनी को 12 और लाइसेंस पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व) और कोलकाता में दिये गये। 2008 में, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के लिए तीन नये यू ए एस लाइसेंस प्राप्त किये गये थे। कम्पनी ने (मार्च 2008) जी एस एम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यू ए एस लाइसेंस में संशोधन करवाया। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असम, जम्मू

और कश्मीर और उत्तर–पूर्व के संबंध में लाइसेंस रद्द कर दिये गये और 18 जनवरी 2013 की मध्यरात्रि से सेवायें बंद कर दी गयी। महाराष्ट्र और मुम्बई एल एस ए में वास्तविक बेसिक लाइसेंस, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (पूर्व में एच टी आई एल) को सितम्बर 1997 में प्रदान किया गया था जो नवंबर 2003 में यू एस ए एल व्यवस्था में स्थानांतरित हुआ था।

2.1.2 टी टी एस एल व टी टी एम एल को आबंटित स्पेक्ट्रम

टी टी ए एल और टी टी एम एल दोहरी तकनीक अर्थात् ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जी एस एम) और कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) पर काम कर रहे हैं। 31 मार्च 2015 को टी टी एस एल और टी टी एम एल को आबंटित स्पेक्ट्रम की एल एस ए वार मात्रा नीचे तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1

क्र. सं.	एल एस ए/परिमण्डल का नाम	जी एस एम स्पैक्ट्रम	सी डी एम ए स्पैक्ट्रम	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम के कैरियर की संख्या	एम डब्ल्यू बेकबोन स्पेक्ट्रम के कैरियर की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	2x4.4	2x2.5	3	0
2	असम	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
3	बिहार	2x4.4	2x2.5	4	1
4	चैन्नई	2x4.4	2x2.5	4	-
5	दिल्ली	0	2x3.75	4	-
6	गुजरात	2x4.4	2x2.5	4	1
7	हरियाणा	2x4.4	2x2.5	3	1
8	हिमाचल प्रदेश	2x4.4	2x2.5	3	2
9	जम्मू एवं कश्मीर	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
10	कर्नाटक	2x4.4	2x2.5	4	-
11	केरल	2x4.4	2x2.5	4	-
12	कोलकाता	2x4.4	2x2.5	5	-
13	मध्य प्रदेश	2x4.4	2x2.5	3	2
14	उत्तर पूर्व	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
15	उड़ीसा	2x4.4	2x2.5	3	2
16	पंजाब	2x4.4	2x2.5	3	1
17	राजस्थान	2x4.4	2x2.5	3	2
18	तमिलनाडु	2x4.4	2x2.5	3	-
19	उत्तर प्रदेश पूर्व	2x4.4	2x2.5	3	1
20	उत्तर प्रदेश पश्चिम	2x4.4	2x2.5	2	2
21	पश्चिम बंगाल	2x4.4	2x2.5	4	2
22	महाराष्ट्र	2x4.4	2x2.5	5	2
23	मुम्बई	2x4.4	2x3.75	8	-

टी टी एस एल ने आठ एल एस ए अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उ.प्र. (प) और टी टी एम एल ने महाराष्ट्र के एक एल एस ए में 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था और नवम्बर 2010 से 3जी सेवाओं की शुरूआत की है।

2.1.3 टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा बताया गया सकल राजस्व (जी आर) और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर)

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के पांच वर्षों के लिए टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी और रिपोर्ट की गई संयुक्त जी आर/ए जी आर को नीचे तालिका 2.2 में दिखाया गया है:

तालिका 2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहक बेस (करोड़ में)	जी आर	कटौतियां	ए जी आर	ए जी आर से जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान (एल एफ+ एस यू सी)
2010-11	9.04	11,192.20	2,802.17	8,390.03	74.96	1,206.79
2011-12	8.32	13,598.68	3,724.71	9,873.97	72.61	1,247.44
2012-13	6.79	14,008.86	5,336.83	9,575.98	64.21	1,229.48
2013-14	6.45	13,960.36	4,644.03	9,316.33	66.73	1,127.27
2014-15	6.80	15,132.20	4,714.03	10,418.18	68.85	1,196.51
कुल		**68,796.25**	**21,221.76**	**47,574.49**	**69.15**	**6,007.49**

टी टी एस एल और टी टी एम एल के सभी लाइसेंसों के तहत बताया गया सकल राजस्व पिछले वर्षों की तुलना में 2010-11 से 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान बढ़ रहा था।

मैसर्स टी टी एस एल ने अनुबंध के अनुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर तथा बतायी गई ए जी आर जिस पर राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ/एस यू सी) की गणना भुगतान के लिये की गई थी, पर कटौती का दावा किया था। जबकि, मैसर्स टी टी एम एल ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के विपरीत वास्तविक आधार के बजाय प्रोद्भवन आधार पर और वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर कटौती का दावा किया था एवं ए जी आर बताई गई, जिस पर भुगतान के राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ/एस यू सी) की गणना की गई।

2.2 राजस्व को कम बताया गया

टी टी एस एल और टी टी एम एल के अभिलेखों/लेखे की पुस्तकों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निम्न मामलों पर इन कम्पनियों द्वारा लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया:

2.2.1 डीलरों/वितरकों को दिए गए छूट/कमीशन के नेट ऑफ के कारण राजस्व कम बताया गया

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक टी टी एस एल के अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वितरकों/फ्रेंचाइजी/एजेंट/डीलरों आदि को दिए जाने वाले कमीशन को राजस्व से नेट ऑफ किया गया था। चूंकि वितरकों/फ्रेंचाइजी/डीलरों को दिया गया कमीशन/मार्जिन व्यवसायिक व्ययों (विपणन खर्च) की प्रकृति का था, इसलिए, राजस्व के साथ इस प्रकार के व्ययों का घटाया जाना लाइसेंस शर्त के विरूद्ध था। इसके अलावा, डीलरों/वितरकों को दिया गया कमीशन भी नेट ऑफ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उतना ही राजस्व कम दर्शाया गया।

टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान डीलरों/वितरकों को दी गई छूट की कुल राशि राजस्व से जो नेट ऑफ की गई थी क्रमशः ₹ 1,701.63 करोड़ और ₹ 263.96 करोड़ थी। इसी प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में डीलरों/वितरकों को भुगतान की गई राशि जो कि राजस्व से नेट ऑफ की गई थी क्रमशः ₹ 161.96 करोड़ और ₹ 4.86 करोड़ थी।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- वितरक के साथ संबंध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आधार (पी टू पी) पर है और कम्पनी रिचार्ज वाउचर (आर सी वी)/इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज वैल्यू (ई वी डी) के लिए वितरकों को व्यापार छूट प्रदान करती है। कम्पनी द्वारा निकाली गई इनवॉइस में अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) होता है जिस पर व्यापार छूट दी जाती है। कानून के तहत, किसी भी व्यक्ति को उत्पाद एम आर पी से कम कीमत पर बेचने का अधिकार है। परंतु यह एम आर पी से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए व्यापार छूट या आर सी वी/ई वी डी पर थोक खरीद पर दी गई छूट और वितरकों को अनुमत की गई स्टार्टअप किट को लाइसेंस शुल्क की गणना के उद्देश्य से वापस नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

- एस यू के के लिए, कंपनी वितरकों से आदेश प्राप्त करती है और एस यू के की बिक्री के लिए वितरकों को व्यापार छूट देती है। कंपनी द्वारा बनाई गई इन वॉइस पर एम आर पी होता है जिस पर व्यापार छूट दी जाती है। वितरकों को एस यू के की बिक्री पर, ऐसे एस यू के के सभी अधिकार, टाईटल, स्वामित्व और संपत्ति वितरकों को स्थानांतरित की जाती है और हानि/क्षति के जोखिम सहित सभी जोखिम वितरकों द्वारा वहन किया जाता है।

- लेखांकन मानक 9 (ए एस 9) में कम्पनी के राजस्व निर्धारण के लिए सकल राजस्व से ग्राहकों को दी गई छूट के नेट ऑफ अनुमत्य है।

- यू ए एस एल अनुबंध की धारा 19.1 के अंतर्गत परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और स्पष्ट रूप से उन सभी संभव सेवाओं को सम्मिलित किया है जो एक यू ए

एस लाइसेंसधारी को प्रदान करना चाहिये। इस संदर्भ में टैरिफ आदेश संख्या-303/8/2002-ट्राई/(इकॉन) दिनांक 6 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किए गए दूरसंचार सेवाओं के मूल्य निर्धारण संबंधित अधिनियम का उल्लेख करना आवश्यक है इस विनियम में उल्लेख किया गया है कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं, किराये, एयरटाइम प्रभार, रोमिंग (क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रोमिंग सहित), रिफंडेबल प्रतिभूति जमा, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग, रोमिंग से संबंधित अन्य मामलों, प्रीपेड सेवा के लिए टैरिफ, स्थगित किये गये हैं। इसलिए यह लाइसेंसधारी के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वह नियामक के किसी भी हस्तक्षेप के बिना प्रीपेड और पोस्ट पेड सेवा के लिए टैरिफ तय करे। स्थगन के शीर्षक के तहत ट्राई को टैरिफ में दी गई छूट को पूरी तरह लाइसेंसधारी के विवेक पर छोड़ा गया है।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:-

- वितरकों को प्रीपेड उत्पादों (आर सी वी/ई वी डी) और एस यू के की बिक्री प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल (पी टू पी) के अंतर्गत नहीं बताई जा सकती क्योंकि ग्राहक को सेवा प्रदान करने की अंतिम जिम्मेदारी लाइसेंसधारी के पास होती है, न कि वितरकों के पास। वितरक केवल सेवा प्रदाताओं (लाइसेंसधारी) और सेवा उपयोगकर्ताओं (अभिदाताओं) के बीच चैनल भागीदार हैं। यदि टी टी एल ने सीधे अभिदाताओं को कार्ड बेचे होते तो राजस्व में प्रदान की गई सेवाओं का पूरा मूल्य लेखांकित होता तथा बिक्री व्यय को भी व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता। इसी अनुरूपता के अनुसार, वितरकों को दी गई छूट/कमीशन विपणन व्यय की प्रकृति का होगा और इस प्रकार, यू ए एस एल अनुबंध की धारा 19.1 के तहत राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इसे राजस्व से नहीं घटाना चाहिए।

- जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मानना है कि वितरकों/फ्रेंचाइजी/डीलरों को छूट/मार्जिन का भुगतान विपणन व्ययों की प्रकृति का होता है, इसलिए, राजस्व से इस प्रकार के व्यय को घटाया जाना लाइसेंस की शर्त के विरूद्ध था।

इस प्रकार, टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वितरकों/डीलरों को दी गई छूट को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर का ₹ 1965.60 करोड़ का कम अंकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 167.40 करोड़ और ₹ 73.54 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-2.01)**। इसी प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वितरकों/डीलरों को दिए गए कमीशन को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर का ₹ 166.82 करोड़ का कम अंकन हुआ परिणामतः भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 14.80 करोड़ और ₹ 6.14 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-2.02)**।

2.2.2 अभिदाताओं को दी गयी छूट/फ्री एयर टाइम और फुल टॉक टाइम को नेट ऑफ करने के कारण राजस्व कम बताया गया

टी टी एस एल/टी टी एम एल ने प्रीपेड अभिदाताओं को दिए गए फ्री एयरटाइम (एफ ए टी) के मूल्य और पोस्टपेड ग्राहकों (लीज लाइन के अतिरिक्त) को दी गई वोल्यूम छूट को राजस्व से नेट ऑफ किया। राजस्व से नेट ऑफ की गई ऐसे छूटों का विवरण नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	उत्पाद	टी टी एस एल	टी टी एम एल	कुल राशि
1.	डी आई एस-वाल्यूम	पोस्टपेड*	385.53	269.16	654.69
2.	डी आई एस- रिर्चाज कार्ड छूट	प्रीपेड	1047.20	160.19	1207.39
3.	डी आई एस-3जी फुल टॉक टाइम	प्रीपेड	7.52	1.52	9.04
4.	डी आई एस - नकद छूट	प्रीपेड	11.79	0.84	12.63
कुल			**1452.04**	**431.71**	**1883.75**

* लीज़ लाइन छूट को छोड़कर

प्रबंधन ने कहा कि:-

- ग्राहकों को दी जाने वाली छूट सामान्य व्यापार करते समय दी जाने वाली एक नियमित टेलीकॉम प्रोडक्ट थी तथा कंपनी को सकल धनापूर्ति, प्राप्तियां या अन्य विचार का कोई परिणाम नहीं देती है और दी गई छूट को प्राप्ति न ही माना जाता है और न ही माना जाएगा।
- अभिदाताओं को दिया गया फ्री व फुल टॉक टाइम का ऑफर व्यवसाय प्रोत्साहन कार्यकलाप नहीं है। ये ऑफर किसी अन्य आपरेटर द्वारा अभिदाता को दिये गये ऑफर के समान है जिसे ट्राई के साथ भलीभांति दर्ज किया गया था।
- दूरसंचार विभाग ने अपने अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 सितम्बर 2008 द्वारा भी स्पष्ट किया था कि "यदि किसी कम्पनी ने नेट सही आंकड़े दिए हैं, तो रिबेट/छूट के ब्यौरे के लिए पूछा जाना चाहिए और ऐसे छूट/रिबेट की राशि जो ट्राई द्वारा अनुमोदित नहीं है, को सकल राजस्व में जोड़ा जाएगा"।
- यह मामला न्यायाधीन है और इसलिए कंपनी द्वारा ए जी आर की गणना में अतिरिक्त टॉक टाइम के कारण काल्पनिक राजस्व को शामिल नहीं करना सही है क्योंकि ए जी आर की गणना में अतिरिक्त टॉक–टाइम के मूल्य को वापस जोड़ने से काल्पनिक राजस्व पर एल एफ का भुगतान होगा जिसका न तो बिल बनाया गया है और न ही प्राप्त किया गया तथा जो टी डी सैट द्वारा बनाए नियमों के

विरूद्ध भी है। 23 अप्रैल 2015 के अपने फैसले में भी, टी डी सैट ने दोबारा इस बात पर ज़ोर दिया था।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:-

- अभिदाताओं को दी गई फ्री टॉक टाइम और वाल्यूम डिस्काउंट व्यवसाय प्रोत्साहन एवं रिलेशन बनाने की गतिविधियों की प्रकृति के थे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ के अनुसार दिए गए तथा ग्राहकों/एजेंटों को प्रोत्साहन के लिए दिए गए एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर इत्यादि के विवरण नहीं भेजे गये थे। लेखापरीक्षा का मानना है कि एयरटाइम एक मुफ्त दी जाने वाली वस्तु नहीं है, इसका एक आंतरिक मूल्य था और एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि देकर, लाइसेंस धारियों ने राजस्व कम दिखाया तथा एल एफ और एस यू सी को बचाया।

- हालांकि मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि जी आर से एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि के नाम पर प्रीपेड राजस्व को नैट ऑफ कर देना, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा ग्रहकों को दिए गए एफ ए टी/वॉल्यूम डिस्काउंट के मूल्य सेट ऑफ के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए जी आर/ए जी आर में ₹ 1883.75 करोड़ का कम अंकन हुआ और इसी कारण भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 158.39 करोड़ और ₹ 71.87 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक–2.03)**।

2.2.3 अभिदाताओं को अनुमत वेवर को नेट ऑफ करने के कारण राजस्व कम बताया गया

यू ए एस एल अनुबंध के अनुसार, सकल राजस्व में प्रतिष्ठापन प्रभार, विलम्ब फीस, हेंडसेट (या अन्य किसी टर्मिनल उपकरण इत्यादि) की बिक्री आय, ब्याज के कारण राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, एक्सेस या अंतसंयोजन प्रभार, रोमिंग शुल्क, अवसंरचना की अनुमत हिस्सेदारी से आय और किसी भी अन्य प्रकार का राजस्व, व्यय आदि, से संबंधित मद को सेट ऑफ किए बिना शामिल किया जायेगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, टी टी एस एल/टी टी एम एल ने राजस्व से संग्रहण और निपटान छूट के साथ–साथ गुडविल जेस्चर छूट को नेट किया। इन वर्षों में टी टी एस एल और टी टी एम एल ने क्रमशः ₹ 159.12 करोड़ और ₹ 27.25 करोड़ के इस प्रकार के वेवर की कुल राशि को नेट ऑफ किया।

उपरोक्त तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन ने बताया कि:-

- लेखांकन मानक-9 के अनुसार, राजस्व की परिभाषा के तहत इस प्रकार की छूट राजस्व का हिस्सा नहीं होती हैं।

- वेवर व्यय नहीं होते हैं तथा तदानुसार राजस्व में समायोजित किये जाते हैं।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि एकत्रित की गई राशि पर वेवर और निपटान वेवर तथा गुडविल वेवर उपभोक्ताओं को बाद में बिलिंग के समय दी गई छूट थी तथा यू ए एस एल अनुबंध के खंड 19.1 के अंतर्गत राजस्व की हिस्सेदारी की गणना के उद्देश्य से राजस्व से नेट ऑफ नहीं किए जा सकते।

अतः टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा वेवरों को नेट ऑफ करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए जी आर/ए जी आर में ₹ 186.37 करोड़ का कम अंकन हुआ और इसी कारण भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 15.95 करोड़ और ₹ 7.01 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-2.04)**।

2.2.4 अवसंरचना हिस्सेदारी से राजस्व को कम बताया गया

यू ए एस एल अनुबंध के खंड 19.1 के अनुसार, सकल राजस्व में व्यय से संबंधित मद आदि को सैट ऑफ किये बिना अवसंरचना की अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व भी शामिल होगा।

लेखापरीक्षित ए जी आर विवरणों की संवीक्षा के साथ साथ टी टी एस एल के विवरणों पर टिप्पणियों से पता चलता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, अन्य ऑपरेटरों से "ओपेक्स रिसीट फॉर इन्फरा शेयरिंग" की राशि जो ₹ 107.52 करोड़ थी, को सकल राजस्व के लिए विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- एक संपर्क बिन्दु के रूप में परिचालित व्यय के लिए टी टी एस एल द्वारा भुगतान किया गया था ताकि स्थानीय प्राधिकारियों को समय पर भुगतान किया जा सके तथा विभिन्न आपरेटरों के बीच समन्वय के समय को कम किया जा सके।
- वसूली लागत पर होती है अतः ये प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे न कि राजस्व की प्रकृति के, चूंकि अन्य ऑपरेटरों पर कोई सेवा प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस नियमों और शर्तों के तहत कोई भी सेवायें प्रदान नहीं की गई थी और इसलिये, वसूलियों को ए जी आर में नहीं शामिल किया जा सकता।
- इन प्रतिपूर्तियों का बिल लागत दर लागत के आधार पर बनाया जाता है और ये लाभ/मार्क–अप नहीं होते हैं और इसलिए कंपनी का मत है कि ओपेक्स व्यय की प्रतिपूर्ति ए जी आर का हिस्सा नहीं होनी चाहिये।
- एस एस-9 के अनुसार, चूंकि ऑपरेटरों द्वारा प्रतिपूर्ति कम्पनी के लिये सामान आदि की बिक्री से एन्टरप्राइज की साधारण गतिविधियों के दौरान उद्भूत सकल धनापूर्ति का कारण नहीं होती है, ऐसी प्रतिपूर्ति पर राजस्व के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है तथा यह ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, माननीय टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कहा कि "अवसंरचना प्रचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति" ने स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया है कि भुगतान जो व्यय–प्रतिपूर्ति की प्रकृति का था, राजस्व नहीं माना जा सकता।

- लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार, आंकड़े ₹ 107.52 करोड़ थे यद्यपि ए जी आर प्रमाणपत्र के अनुसार ₹ 0.43 करोड़ की ओपेक्स वसूली के उलटाव पर विचार करने के बाद यह केवल ₹ 107.09 करोड़ था।

उत्तर पर लेखापरीक्षा के विचार निम्नलिखित हैं:

- उत्तर के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी के लिये जिस की गई संशोधित राशि ₹ 107.09 करोड़ है।
- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, जी आर की परिभाषा में व्यय की सम्बन्धित मद के लिये सैट ऑफ के बिना अवसंरचना की अनुमत्य हिस्सेदारी से राजस्व स्पष्ट तौर पर शामिल है;
- जैसाकि उत्तर में बताया गया था, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को टी डी सैट के निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। यद्यपि मामला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि यू ए एस एल खंड 19.2 के तहत दी गई अनुमति के अलावा, राजस्व से कोई कटौती नहीं देता है, अवसंरचना हिस्सेदारी राजस्व से ओपेक्स की कटौती यू ए एस एल अनुबंध के अनुरूप नहीं थी।

इस प्रकार 2010-11 से 2014-15 के वर्षों के दौरान अवसंरचना स्थल हिस्सेदारी राजस्व ओपेक्स वसूली की राशि से नैट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर का ₹ 107.09 करोड़ कम अंकन हुआ इससे भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 9.15 करोड़ तथा ₹ 3.85 करोड़ कम भुगतान हुआ (**अनुलग्नक-2.05**)।

2.2.5 जी आर/ए जी आर के लिए फोरेक्स लाभ पर विचार न करना

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रेषित डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि यद्यपि लेखापुस्तकों में विदेश विनिमय के उतार–चढ़ाव के कारण फोरेक्स लेखा कोड में लाभ दर्ज किया था, जी आर/ए जी आर के लिये इस पर कोई विचार नहीं किया गया था।

2010-11 से 2014-15 के लिये फोरेक्स के लिए प्रचलित लेखा शीर्ष में वसूले गए लाभ को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि टी टी ए एल व टी टी एम एल के लिए क्रमशः ₹ 887.38 करोड़ और ₹ 476.66 करोड़ का वसूला गया फोरेक्स लाभ, ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- फोरेक्स लाभ कम्पनी की प्राथमिकता व अनुपूरक सेवाओं से उपार्जित नहीं हुआ था जैसाकि अपने उपभोक्ताओं/अभिदाताओं को दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराना/विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव किसी लाइसेंसड गतिविधि से उद्भूत नहीं होते हैं और इसलिए ए जी आर में शामिल नहीं होते हैं। फोरेक्स लाभ सामान्यतः

विदेशी विक्रेताओं/उधारदाताओं आदि के लिए किए गए प्रावधानों के पुनर्मूल्यांकन, विनिमय परिसम्पत्ति और उत्तरदायित्व का पुनर्मूल्यांकन आदि के कारण उद्भूत होते हैं तथा इनके लाभ और हानि काल्पनिक होते हैं और वसूल नहीं हो सकते तथा तदानुसार ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- विदेशी मुद्रा में अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब उनकी दरें शुरूआत में पुस्तकों में दर्ज की गई दरों से अलग होते हें यदि विदेशी विक्रेताओं को भुगतान देय है और रूपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले गिरता है, तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण में व्यय के रूप में और यदि बढ़ता है तो लाभ के रूप में पहचाना जाता है।
- साथ ही विदेशी मुद्रा पर किसी कारणवश हानि होने पर कोई सेट ऑफ नहीं दिया जाता।
- दिनांक 23.04.2015 के अपने निर्णय में माननीय टी डी सैट ने बताया था कि विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव के कारण किसी भी लाभ या हानि का असर लाइसेंस फीस पर नहीं होना चाहिए।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:-

- लेखापरीक्षा द्वारा केवल वसूले गए लाभ को ही ध्यान में रखा गया था;
- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, जी आर में किसी भी अन्य विविध राजस्व शामिल किया जाएगा और लेखापरीक्षा का मानना है कि पी एस पी का किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ जी आर में लिया जाना चाहिए क्योंकि विदेशी मुद्रा लाभ पी एंड एल खाते में आय के रूप में माना जाता है;
- दूरसंचार विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जब तक मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि विदेशी मुद्रा के लाभ की गणना पी एंड एल खाते में आय के रूप में होती है, विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से उद्भूत वसूला गया लाभ, लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

अतः वसूले गए विदेशी मुद्रा लाभ को ध्यान में न रखने के कारण जी आर/ए जी आर में ₹ 1364.04 करोड़ का कम अंकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 115.22 करोड़ और ₹ 14.16 करोड़ का कम भुगतान हुआ (**अनुलग्नक-2.06**)।

2.3 राजस्व तथा एल एफ के विवरण में राजस्व का कम बताया जाना यद्यपि उनको लेखापुस्तकों में (ए जी आर विवरण) दर्ज किया गया

2.3.1 निवेशों की बिक्री से लाभ पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित सभी सेवाओं पर प्रोद्भूत राजस्व जिसमें ब्याज, लाभांश आदि एवं अन्य विविध राजस्व संबंधित मद के व्यय आदि को सेट आफ किए बिना शामिल है, सकल राजस्व में शामिल होगा। एस ए पी से प्राप्त ए जी आर के विवरणों की संविक्षा, खाते और रिपोर्ट, की समीक्षा में पता चला कि टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान निवेशों की बिक्री पर लाभ क्रमशः ₹ 240.67 करोड़ और ₹ 16.40 करोड़ थे, जिन पर जी आर/ए जी आर की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- कंपनी ने ऋण म्यूचुअल फंड में निवेश पर लाभ अर्जित किया है जो बैंकों से उधार ली गई गैर– लाभकारी निधि के निवेश से बाहर था और अस्थायी तौर पर अल्पावधि तरल निवेशों में निवेश किया गया था, ताकि उधार पर बैंकों को भुगतान योग्य ब्याज लागत बोझ को कम किया जा सके, उस समय तक जब तक नेटवर्क के निर्माण के लिए भुगतान की आवश्यकता है; और

- लेखांकन मानक 3 (ए एस-3) के अनुसार, निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह से अलग माना जाता है। ए एस-3 की युक्ती के अनुसार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे अल्पकालिक निवेश से आय कंपनी की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं है।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व में व्यय के संबंधित मद के लिए बिना सेट ऑफ किए अन्य विविध राजस्व शामिल होगा और स्थायी संपत्ति की बिक्री पर लाभ पी एंड एल खाते में आय के रूप में दर्ज किया गया था।

अतः वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि से संबंधित निवेशों की बिक्री पर लाभ को शामिल न करने पर जी आर/ए जी आर में ₹ 257.07 करोड़ का कम अंकन हुआ जिसमें भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 21.52 करोड़ और ₹ 9.50 करोड़ का कम भुगतान हुआ (**अनुलग्नक-2.07**)।

2.3.2 ब्याज आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य से जी आर में ब्याज के खाते पर राजस्व को शामिल करना होगा। ए जी आर विवरणों की संविक्षा, पी एंड एल खातों और एस ए पी रिपोर्टों से पता चला है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए टी टी एस एल और टी टी एम एल के पी एंड एल खातों में दर्ज क्रमशः

₹ 326.08 करोड़ और ₹ 11.63 करोड़ ब्याज आय पर जी आर/ए जी आर की गणना के लिए विचार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा कि:-

- कम्पनी पूंजी प्रधान उद्योग में प्रचालन करती है इसके लिये नेटवर्क में वृहत निवेश अपेक्षित है तथा इसे आंशिक रूप से ऋण निधि द्वारा व आंशिक रूप से इक्विटी इनफ्लो (अन्तःप्रवाह) द्वारा निधि में दी जाती है। उपलब्ध ऋण निधि में से निकाली गई वह निधि जिसकी शीघ्र आवश्यकता नहीं होती है, को म्युचुअल फंड तथा बैंक जमा में अस्थायी रूप से निवेश किया गया ताकि कम्पनी के ब्याज का बोझ कम किया जा सके। अतः इस प्रकार की आय कम्पनी की दूरसंचार गतिविधियों में से राजस्व के रूप में नहीं मानी जानी चाहिये;

- टी टी एस एल के पास आन्तरिक प्रोद्भवन में से उत्पन्न अतिरिक्त निधि नहीं है तथा ये आहरण ऋण के अस्थायी शेष है जोकि व्यवसाय में शामिल किये जाने हैं;

- लेखांकन मानक 3 (ए एस-3) के अनुसार, निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह को प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह से पृथक माना गया है। ए एस-3 उक्ति का पालन करते हुये, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस प्रकार की कम अवधि निवेश से आय कम्पनी की साधारण गतिविधि का भाग नहीं होती हैं;

- पुनः, परिनियोजित ऋण निधि के निवेश के माध्यम से सम्पत्ति के निर्माण के दौरान अर्जित ब्याज आय को पूर्व में अप्रत्यक्ष परियोजना लागत के भाग के रूप में भी विचार किया गया था तथा निधि ऋण पर निवल ब्याज लागत को पूंजीगत बना दिया गया था। यह वर्तमान लेखांकन मानक 16 –उधार लागत, के अनुरूप है पैरा 10 यह बताता है कि जहां तक "अर्हकारी सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु निधि विशेष रूप से उधार ली गई है, उस सम्पत्ति पर पूंजीकरण के लिये मान्य उधार लागत की राशि उस अवधि के दौरान वास्तविक उधार लागत उस उधार के अस्थायी निवेश पर किसी आय को छोड़कर निर्धारित की जानी चाहिये।" अतः भारतीय लेखांकन मानकों के तहत दिशानिर्देश भी परियोजना निधिकरण में से अपरिनियोजित निधि पर ब्याज आय का विचार एक भाग के रूप में करते हैं तथा इसे परियोजना के लिये ऋण निधि पर ब्याज लागत से सम्बद्ध किया था।

  कम्पनी निधि का निवेश ऋण निधि तथा इक्विटी शेयर होल्डर से प्राप्त अंशदान में से करती है।

प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध स्पष्ट तौर पर राजस्व हिस्सेदारी हेतु जी आर/ए जी आर की गणना के लिये ब्याज, लाभांश व किसी अन्य विविध राजस्व के समावेशन को निर्धारित करते हैं।

इस प्रकार, 2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित ब्याज आय शामिल न किये जाने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 337.71 करोड़ कम बताये गये इससे भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 29.50 करोड़ तथा ₹ 12.45 करोड़ कम हुआ (**अनुलग्नक-2.08**)।

2.3.3 अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुये लाभ पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार में, सकल राजस्व में लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर उपार्जित राजस्व इसमें ब्याज, लाभांश आदि तथा अन्य कोई विविध राजस्व शामिल हैं में से सम्बन्धित मद आदि के लिये किसी सैट ऑफ के बिना शामिल होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर के परिकलन हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 8.11 करोड़ तथा ₹ 41.71 करोड़ की अचल सम्पत्तियों के बिक्री से हुये लाभ की गणना पर विचार नहीं किया गया था इससे ए जी आर कम बताये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया कि:-

- ए एस-9 के निबन्धनों में, परिसम्पत्ति/स्क्रैप की बिक्री से हुआ लाभ राजस्व है तथा ऐसी आय सामान की बिक्री व सेवायें प्रदान करने से एन्टरप्राइज की साधारण गतिविधि की प्रकृति की नहीं होती हैं। इसका समर्थन नकदी प्रवाह विवरण में लेखांकन मानक 3 ने भी किया है जो कि अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से बिक्री आय को निवेश गतिविधि मानता है न कि परिचालन गतिविधि।

- चूंकि ये उत्पादकता बनाये रखने के लिये पुरानी परिसम्पत्तियों का मात्र प्रतिस्थापन है, स्क्रैप की बिक्री पर इस प्रकार का समायोजन जो कि बुक गेन दर्शाता है, ए जी आर में नहीं होना चाहिये। कम्पनी स्क्रैप की बिक्री के कारोबार में नहीं है और इस प्रकार यह कम्पनी के सामान्य परिचालन का भाग नहीं है। स्क्रैप की बिक्री एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी इस प्रकार की गतिविधि को कर सकता है।

- टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया कि "कैपिटल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ व स्क्रैप की बिक्री से प्राप्ति दो प्रकार की हो सकती है, सकल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ तथा निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ। लाभ व हानि के खातों में निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ को आय के रूप में भी दर्शाया जाये। फिर भी, यदि प्रतिवादी का निर्णय स्वीकार किया भी जाये तो भी सकल राजस्व की गणना हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सकता है"

निम्नलिखित के कारण उत्तर युक्तियुक्त नहीं है:

- ➢ लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन की गणना हेतु विविध राजस्व के अनुसार।

- 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय के सम्बंध में, दूरसंचार विभाग ने निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दर्ज की थी। यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यू ए एस एल अनुबंध की शर्तों के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों से लाभ कम्पनी का जी आर होना चाहिये।

इस प्रकार, अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ शामिल न किये जाने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 49.82 करोड़ कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 4.86 करोड़ तथा ₹ 2.10 करोड़ कम हुआ **(अनुलग्नक - 2.09)**।

2.3.4 विविध आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के निबन्धनों में, सकल राजस्व में लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर उपार्जित राजस्व का जिसमें ब्याज, लाभांश आदि तथा अन्य कोई विविध राजस्व व्यय की सम्बन्धित मद आदि के लिये कोई सैट आफ किए बिना शामिल होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 9.08 करोड़ तथा ₹ 2.54 करोड़ की स्क्रैप की बिक्री के कारण विविध आय पर विचार नहीं किया गया था इससे ए जी आर कम बताये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया कि:-

- ए एस-9 के निबन्धनों में, स्क्रैप की बिक्री राजस्व है तथा ऐसी आय सामान की बिक्री व सेवायें प्रदान करने से एन्टरप्राइज की साधारण गतिविधि की प्रकृति की भी नहीं होती हैं। इसका सर्मथन नकदी प्रवाह विवरण के लेखांकन मानक 3 से भी होता है जिसके तहत अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्त बिक्री आय निवेश गतिविधियों से संबंधित है न कि परिचालन गतिविधियों से।
- चूंकि ये उत्पादकता बनाये रखने के लिये पुरानी परिसम्पत्तियों का मात्र प्रतिस्थापन है, स्क्रैप की बिक्री पर इस प्रकार का समायोजन जो कि बुक गेन दर्शाता है कि ए जी आर में नहीं होना चाहिये कम्पनी स्क्रैप की बिक्री के कारोबार में नहीं है और इस प्रकार यह कम्पनी के सामान्य परिचालनों का भाग नहीं है। स्क्रैप की बिक्री एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी इस प्रकार की गतिविधि को कर सकता है।
- टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया कि "कैपिटल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ व स्क्रैप की बिक्री से प्राप्ति दो प्रकार की हो सकती है, सकल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ तथा निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ। लाभ व हानि खातों में निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ को आय के रूप में भी दर्शाया जाये। फिर भी यदि प्रतिवादी का निर्णय स्वीकार किया जाये तो भी सकल राजस्व की गणना हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सकता है"

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, लेखापरीक्षा के विचार उपरोक्त पैरा 2.2.3 में दिये गये हैं।

इस प्रकार, स्क्रैप की बिक्री से आय को शामिल न करने के कारण ₹ 11.62 करोड़ के जी आर/ए जी आर कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 1.04 करोड़ तथा ₹ 0.44 करोड़ कम हुआ **(अनुलग्नक-2.10)**।

2.4 अन्य मामलों के कारण राजस्व हिस्सेदारी का कम/गैर भुगतान

2.4.1 जी आर से ए जी आर में बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋणों के लिये अनियमित कटौती का दावा

यू ए एस एल अनुबंध के खंड 19.2 के अनुसार, समायोजित सकल राजस्व की गणना करने के उद्देश्य से सकल राजस्व से निम्नलिखित कटौतियों को हटा दिया जायेगा।

(i) भारत में अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को काल प्रभारों (एक्सेस प्रभार) से सम्बन्धित पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क (पी एस टी एन) का वास्तविक भुगतान।

(ii) अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को रोमिंग राजस्व का वास्तविक भुगतान

(iii) यदि सकल राजस्व सेवा में कर व बिक्री कर को शामिल किया गया है तो सेवाओं के प्रावधान में सेवा कर तथा सरकार को बिक्री कर का वास्तविक भुगतान।

इस प्रकार अप्राप्य ऋण सकल राजस्व से कटौती के लिये उपयुक्त नहीं है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये सैप ई आर पी प्रणाली व टी टी एस एल तथा टी टी एम एल के वार्षिक ट्रायल बैलेंस की समीक्षा से पता चला कि ए जी आर की गणना के लिये विवरणों को तैयारी करने में सेवाओं से प्राप्त राजस्व से बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण समायोजित किये गये थे।

टी टी एस एल व टी टी एम एल के सम्बंध में सम्बन्धित राजस्वों से अप्राप्य ऋणों की कुल समायोजित राशि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 664.79 करोड़ तथा ₹ 361.22 करोड़ थी।

प्रबंधन ने बताया किः-

- लाइसेंस फीस का भुगतान प्रोद्भवन के आधार पर इस बात पर विचार किये बिना किया गया कि अंत में अभिदाता सेवा के लिये भुगतान करता है अथवा नहीं। यद्यपि कम्पनी दी गई सेवाओं के लिये संग्रह करने में उत्साहपूर्वक प्रयास करती है, कुछ अभिदाता भुगतान करने में विफल रहे तथा कम्पनी वास्तव में दी गई सेवाओं के लिये धन वसूल नहीं कर पाई।

- अतएव कम्पनी का कहना है कि इस प्रकार के अप्राप्य ऋण जो बट्टे खाते में डाले गये हैं कम्पनी के पास किसी भी प्रकार के राजस्व के रूप में नहीं हैं, वास्तव में कम्पनी को राजस्व की हानि हुई है। चूंकि यह राशि जो कि वसूली नहीं गई है, इस पर राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान हेतु विचार किया गया है, कम्पनी दोहरे खतरे का सामना करती है, एक तरफ तो अभिदाता जो भुगतान करने में विफल है तथा दूसरी ओर लाइसेंसधारक प्रदाता जो इस प्रकार की बिलिंग जिसमें धन नहीं वसूला गया हो, को कटौती के लिए अनुमत नहीं करता है।

प्रबंधन का तर्क युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध सकल राजस्व से केवल तीन कटौतियों की अनुमति देता है, ए जी आर में सकल राजस्व से अप्राप्य ऋण की कटौती देना लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त भविष्य में वसूल की जाने वाली राशि पर राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण वापिस राजस्व में शामिल नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार, 2010-11 से 2014-15 की अवधि में सम्बन्धित राजस्व से अप्राप्य ऋण के समायोजन के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 1026.01 करोड़ कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 88.59 करोड़ तथा ₹ 39.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक –2.11)**।

2.4.2 लीज़ लाइन व पोर्ट प्रभारों के कारण दावित अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ए जी आर कम बताये गये

यू ए एल एल अनुबंध के खंड 19.2 के निबन्धनों में ए जी आर के निर्धारण के लिए अन्य वाहक को भुगतान किये गये लीज्ड लाइन व पोर्ट प्रभार सकल राजस्व से कटौती करने के लिये उपयुक्त नहीं है।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये टी टी एस एल व टी टी एम एल के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि ए जी आर की गणना हेतु विचारित एक्सेस प्रभारों में लीज्ड लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार शामिल नहीं किया था जिनका भुगतान वास्तव में अन्य वाहकों को किया गया था क्योंकि कम्पनी का यह मानना था कि यह थोक अन्तःसम्बद्ध लागत है। टी टी एस एल व टी टी एम एल के सम्बन्ध में कटौती के दावे की कुल राशि क्रमशः ₹ 123.61 करोड़ तथा ₹ 38.65 करोड़ बनती थी।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- परिभाषा के अनुसार, पी एस टी एन दूरभाष लाइन, फाइबर आप्टीकल केबिल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक, सेल्यूलर नेटवर्क, संचार उपग्रह तथा समुद्र के नीचे दूरभाष केबिल, से मिलाकर बना है ये सभी स्वीचिंग केन्द्र द्वारा अंतः सम्बद्ध होते हैं, इस प्रकार विश्व में किसी भी दूरभाष को किसी अन्य से संपर्क करने को अनुमत करता है। पोर्ट प्रभारों से अभिप्राय संचार नेटवर्क में एक्सेस पोइंट हेतु भुगतान योग्य प्रभार हैं तथा लीज लाइन प्रभार ऐसे प्रभार हैं जिनका भुगतान मूल रूप से नेटवर्क टर्मिनेशन पोइंट के मध्य प्रौद्योगिकी पारदर्शिता सम्प्रेषण के लिये

किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर, कम्पनी का कहना है कि पी एस टी एन प्रभारों में पोर्ट प्रभार व लीज लाइन प्रभार शामिल हैं क्योंकि वही एक्सेस प्रभारों की प्रकृति के हैं।

- चूंकि बी एस एन एल नेटवर्क में कॉल करने के लिये अभिदाता से अर्जित राजस्व ए जी आर में लिये जाते हैं, पोर्ट प्रभारों को ए जी आर से कटौती के रूप में अनुमति भी दी जानी चाहिये क्योंकि इस फीस का सीधा सम्बंध राजस्व से है और अन्य आपरेटरों के नेटवर्क में कॉल समाप्त करने के लिए एक्सेस प्रभार की तरह ही हैं। कम्पनी द्वारा लीज लाइन का उपयोग दूरभाष, डाटा व इंटरनेट सेवाओं के लिये किया जाता है। चूंकि कम्पनी ने ए जी आर में दूरभाष व डेटा व राजस्व को बताया है, कम्पनी ने कहा कि लीज लाइन प्रभार जोकि सेवा आपूर्ति से सीधे सम्बन्धित हैं, कटौती की अनुमति भी उसी तरीके से दी जानी चाहिये जैसे एक्सेस प्रभारों के सम्बन्ध में दी गई।
- पोर्ट प्रभारों व लीज्ड लाइन प्रभारों के कारण भुगतान उपभोक्ता के लिये कनेक्टीविटी प्रदान करने हेतु हैं तथा इंटरकनेक्शन लागत की तरह है और उसका भाग है।

प्रबन्धन का तर्क युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लीज़ लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार अवसंरचना लागत की प्रकृति में फिक्सड लागत है और इंटर आपरेटर की वास्तविक कॉल से सम्बन्धित नहीं है। इसका विचार करते हुये, लेखापरीक्षा का यह तर्क है कि लीज़ लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार कटौती योग्य नहीं है।

इस प्रकार 2010-11 से 2011-12 के दौरान सकल राजस्व से लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों की कटौती के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 162.26 करोड़ कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 14.32 करोड़ तथा ₹ 6.20 करोड़ रू0 कम हुआ **(अनुलग्नक-2.12)**।

2.4.3 बैंडविथ लिंक की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व का विचार न करना

परिशिष्ट II से अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण का फार्मेट (ए जी आर विवरण) जैसाकि यू ए एस एल अनुबंध के खंड 20.4 में दिया गया है, लाइसेंस अनुबंध का अभिन्न अंग है। विवरण में, मद I क "वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व" दर्शाने के लिये निर्धारित की गई है और मद 8 "बैंडविथ की बिक्री/लीज से राजस्व, लिंक, आर एवं जी प्रकरण, टर्नकी परियोजनायें आदि, दर्शाने के लिये निर्धारित की गई हैं।" यू ए एस एल अनुबंध के खंड 18.3 में व्यवस्था है कि राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार उगाहने का सीमित प्रयोजन हेतु ए जी आर की गणना करते समय, वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 में टी टी एस एल व टी टी एम एल के ए जी आर विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि बैंडविथ लिंक, आर एवं जी प्रकरण, टर्नकी परियोजना आदि की

बिक्री/लीज से राजस्व ₹ 2461.47 करोड़ तथा ₹ 470.75 करोड़ लाइसेंस फीस (एल एफ) की गणना के लिये ए जी आर विवरणों में लिए गए थे लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एस यू सी) के भुगतान हेतु इन पर विचार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि लीज लाइन सेवा वायर लाइन सेवाओं के भाग के रूप में दी गई थी, वायरलेस सेवाओं के लिये नहीं। यह किसी स्पेक्ट्रम संसाधन का उपयोग नहीं करता है। एस यू सी का भुगतान वायरलेस राजस्व में किया जाता है जोकि स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। अतः ये राजस्व एस यू सी के प्रयोजन हेतु विचारित नहीं होते हैं।

प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बैंडविथ की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व सम्प्रेषण नेटवर्क से आता है जोकि सामान्यतः वायरलाइन व वायरलेस दोनों नेटवर्क के लिये आमतौर पर कॉमन होता है और इसीलिये इस मद को ए जी आर विवरण प्रारूप में अलग रखा गया था। पुनः लाइसेंस अनुबंध के निबन्धनों में, केवल वायरलाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना के लिये छूट है।

इस प्रकार एस यू सी की गणना के लिये बैंडविथ, लिंक आदि की बिक्री/लीज़ से ए जी आर में राजस्व का समावेशन न किये जाने से राशि ₹ 2932.22 करोड़ थी, परिणामस्वरूप भारत सरकार को ₹ 104.26 करोड़ का कम भुगतान हुआ (**अनुलग्नक-2.13**)।

2.4.4 पैस्सिव अवसंरचना परिसम्पत्ति युक्त सबसिडियरी में होल्डिंग की बिक्री पर लाभ को टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना में शामिल नहीं करना

टी टी एम एल ने डब्ल्यू टी टी आई एल को सहायक कंपनी (21वीं सदी इन्फ्राटेली लिमिटेड) में अपनी होल्डिंग मई 2010 में ₹ 956 करोड़ में बेची जिस पर लगभग 2010-11 के लेखों में अपनी सम्पत्ति की बिक्री पर ₹ 834.93 करोड़ का अर्जित लाभ दिखाया। तथापि, टी टी एम एल ने वर्ष 2010-11 के लिये ए जी आर की गणना हेतु इस लाभ पर विचार नहीं किया था।

उपरोक्त तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते समय प्रबन्धन ने बताया कि निवेश बिक्री के लाभ को राजस्व हिस्सेदारी के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिये चूंकि बताये गये स्पष्ट निर्णय व कर कानून द्वारा यह समर्थित गैर अनुज्ञप्त गतिविधि है।

लाइसेंस अनुबंध के निबन्धों में प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विविध राजस्व शामिल किये जाने चाहिये तथा पी एवं एल लेखे में सहायक के रूप में सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ आय के रूप में लेखांकित किया गया था।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 के लिये ए जी आर की गणना हेतु टी टी एम एल ने ₹ 834.93 करोड़ का लाभ शामिल नहीं किया, परिणामस्वरूप भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 83.49 करोड़ तथा ₹ 35.99 करोड़ कम हुआ।

2.4.5 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों पर (पैरा 2.2.1 से 2.4.4) एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 724.23 करोड़ तथा ₹ 387.00 करोड़ बनता था। एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 782.37 करोड़ **(अनुलग्नक- 2.14)** था। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विद्यमान प्राइम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक थी तथा गणना हेतु विचार की गई अवधि सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। जैसा कि लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित था, ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्वि आधार पर की गई है।

2.4.6 यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अंतर्गत अपेक्षित विवरणों का प्रस्तुतिकरण नहीं करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के खंड 20.7 में व्यवस्था है कि राजस्व व लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरण) के वार्षिक वित्तीय लेखा व विवरण अनुलग्नक में निर्धारित मानकों का पालन करते हुये तैयार किये जायेंगे। यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III में वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु मानकों की व्यवस्था है। ए जी आर विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षा को भेजे गये सम्बन्धित लेखांकन अभिलेखों की संवीक्षा से यह निर्दिष्ट होता है कि सभी मानक पूर्ण रूपेण संकलित नहीं किये गये थे। विशेष तौर पर, सेवा कर, बिक्री कर, डिस्काउंट/रिबेट, सामान का बिक्री सम्पत्ति सूची, व्यय व बिना बिल वाले नम्बरों के लिए आय का सेट ऑफ संकलित नहीं किए गए थे।

प्रबन्धन ने बताया कि वे सम्बन्धित वर्षों के लिये लेखापरीक्षित ए जी आर बनाते समय लेखों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जैसाकि अनुलग्नक-I में टिप्पणी 5 में निर्दिष्ट है तथा यू ए एस एल अनुबंध 842-1017/2008-ए एस-IV दिनांक 20.10.2008 में अनुलग्नक-III द्वारा अपेक्षित है कि राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण के लिये टिप्पणियों में उपयुक्त प्रत्यक्ष मानकों से काफी भिन्नता है। तथापि, इससे समायोजित सकल राजस्व व लाइसेंस फीस देयों की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

रिपोर्ट में दर्शाया गए राजस्व कम बताये जाने के उदाहरण पुष्टि करते हैं कि लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये मान्य राजस्व न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थे और न ही लेखों की तैयारी दूरंसचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्णतया अनुरूप थे। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

- मानकों के अनुसार, राजस्व को किसी कटौती के बिना सकल रूप में दर्शाया जाना था। तथापि, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैराग्राफ में वर्णित है, यह देखा जा सकता है कि छूट/कमीशन/वेवर, फ्री एयरटाइम आदि राजस्व से नेट आफ कर दिये गये थे तथा दूरसंचार विभाग को नहीं बताये गये।

- पी एस पी द्वारा संविदा की इन शर्तों के गैर अनुपालन पर दूरसंचार विभाग से प्रत्युत्तर मांगा गया था। दूरसंचार विभाग ने आज तक (मई 2017) प्रत्युत्तर नहीं दिया है।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग सेवा प्रदाताओं के अपेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु मानकों का अनुपालन करने के निर्देश जैसा कि लाइसेंस अनुबन्ध के अनुलग्नक III में जो कि महत्वपूर्ण थे, जारी करने व उन्हें लागू करने में कई वर्षों तक विफल रहा। बाद में, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, कम्पनी ने अपने जी आर/ए जी आर कम बताये थे तथा दूरसंचार विभाग इसका पता नहीं लगा सका था।

आगे, लेखापरीक्षा में पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान टाटा ग्रुप के जी आर ₹ 68,796.25 करोड़ था, ₹ 21,221.76 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा औसत कटौती जी आर का 31 प्रतिशत वर्क आउट किया गया। यद्यपि टाटा ग्रुप द्वारा किया गया कटौती का दावा नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) कार्यालयों द्वारा सत्यापन के अधीन था, सकल राजस्व का 69 प्रतिशत का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा दूरसंचार विभाग के स्तर पर स्वघोषणा के आधार पर था।

लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक-III के अनुसार, दू वि का एल एफ विंग भी टी एस पी द्वारा संभाली गई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में विफल रहा तथा इस डेटा के अभाव में सत्यापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया अप्रभावी होगी।

इस प्रकार, सेवा प्रदाता के राजस्व हिस्सेदारी का सम्पूर्ण सत्यापन व मूल्यांकन जी आर के बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावित कटौतियों के सत्यापन पर केन्द्रित है।

2.5 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग/टी टी एस एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स टी टी एस एल के द्वारा भुगतान योग्य राजस्व हिस्सेदारी की लेखापरीक्षा टिप्पणी, आगे की टिप्पणी हेतु दूरसंचार विभाग के साथ–साथ टी टी एस एल तथा टी टी एम एल को जनवरी 2017 के दौरान भेजी गई। टी टी एस एल व टी टी एम एल ने पुनः कहा (फरवरी 2017) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर परिसर लेखापरीक्षा के दौरान दे दिये गये थे।

दूरसंचार विभाग ने बताया कि (फरवरी 2017):-

- टी एस पी ने 2002-03 में जी आर व ए जी आर की मूल परिभाषा को चुनौती दी थी। तभी से, वहां दीर्घकालिक मुकदमेबाजी है जो आज तक जारी है।
- वर्तमान में दूरसंचार विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में टी एस पी के विरूद्ध अपील की है तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार विभाग के लाइसेंस अनुबंध की अपनी व्याख्या के अनुसार टी एस पी को मांग जारी करने की अनुमति है।
- दूरसंचार विभाग के लाइसेंस अनुबंध व पालिसी निर्णयों के अनुसार, सी ए जी द्वारा दिये गये अंतिम आंकड़ों के आधार पर मांग की जायेगी।

दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी रिजीम एन टी पी-1999 के एक भाग रूप में प्रारम्भ की गई थी इसके क्रियान्वयन के 17 वर्ष बाद भी विभाग लाइसेंस अनुबंध के अनुसार देय राजस्व हिस्सेदारी वसूल नहीं कर सका।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जब सरकार ने सभी आपरेटरों के लिये एल एफ अप्रैल 2004 से प्रभावी दो प्रतिशत तक कम करने का निर्णय किया था, दू वि ने आशा की थी कि सरकार के विरूद्ध चुनौती समाप्त करने के लिये आपरेटरों को यह कमी प्रोत्साहित करेगी। तथापि, एल एफ में कमी का कोई प्रत्याशित प्रभाव नहीं पड़ा तथा आपरेटरों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा तथा मांग पत्रों को चुनौती देकर सरकार के विरूद्ध मुकदमेंबाजी जारी रखी। इस प्रकार, पी एस पी को एल एफ की दर में कमी का लाभ मिला लेकिन मुकदमेंबाजी में पारस्परिक लाभ नहीं मिला।

अध्याय - III

मैसर्स टेलीनॉर (इण्डिया) संचार लिमिटेड द्वारा सांझा किया गया राजस्व

3.1 प्रस्तावना

वर्ष 2008 के दौरान यूनीटैक वायरलैस ने आठ[1] विभिन्न संस्थाओं के नाम पर 22 टेलीकॉम परिमंडलों के लिए जी एस एम लाइसेंस प्राप्त किये। अप्रैल 2009 में यूनीटैक लांग डिसटेन्स कम्यूनीकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (यू एल डी सी एस पी एल) द्वारा नेशनल लांग डिसटेन्स (एन एल डी) व इन्टरनेशनल लांग डिसटेन्स (आई. एल. डी) लाइसेंस प्राप्त किये गये थे। टेलीनॉर 67.25 प्रतिशत शेयरों की हिस्सेदारी के साथ 31 मार्च 2010 को यूनीटैक वायरलैस की नियंत्रक कंपनी थी। यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड ने (अप्रैल 2010) में आठ संस्थाओं के साथ व्यवस्था एवं संयोजन की एक योजना दर्ज की जिसे 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी किया गया और इस योजना को (सितंबर 2010) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। 01 अप्रैल 2010 से यू. एल. डी सी एस पी एल कंपनी के साथ सम्मिलित हो गई।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के कंपनियों व अन्य को वितरित किये गये 2जी लाइसेंसों को रद्द करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, टेलीनॉर समूह ने (नवम्बर 2012) में टेलीविंग कम्यूनिकेशन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड (टी सी एस पी एल) के माध्यम से नीलामी में छः[2] टेलीकॉम परिमंडलों के स्पेक्ट्रम प्राप्त किये। नवम्बर 2013 में उपरोक्त छः टेलीकॉम परिमंडलों को टी सी एस पी एल के नाम पर यूनिफाइड़ लाइसेंस (यू एल) जारी किये गये। बाद में, फरवरी 2014 की नीलामी में, टेलीनॉर समूह ने असम परिमंडल के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त किया व अगस्त 2014 में असम टेलीकॉम परिमंडल के लिए यूनिफाईड लाइसेंस (यू एल) जारी किया गया था। अगस्त 2015 में डी ओ टी के अनुमोदन के साथ कंपनी का नाम टेलीविंग कम्यूनिकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स टेलीनॉर (इन्डिया) कम्यूनीकेशनस प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया।

3.1.1 टेलीनॉर समूह द्वारा धारित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम

टेलीनॉर समूह द्वारा एल एस ए धारित मार्च 2015 को 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में मुख्य रेडियो स्वेक्ट्रम, एम डब्ल्यू एक्सैस व बैकबॉन स्पेक्ट्रम का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 3.1

क्र. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)[3]
1	आन्ध्रप्रदेश	6.4	56
2	असम	6	56
3	बिहार	7.2	56

[1] एडॉनिस प्रौजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अस्का प्रौजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, अजारे प्रॉपर्टीज लिमिटेड, हडसन प्रॉपर्टीज लिमिटेड, नाहन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटेक बिल्डर्स एवं इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, यूनीटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं वोल्गा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड।

[2] आन्ध्रप्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश-पूर्व और उत्तर प्रदेश-पश्चिम।

[3] एक कैरियर = 56 मेगाहर्ट्ज

क्र. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	आवंटित मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पेक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज में)[3]
4	गुजरात	5	56
5	महाराष्ट्र	5	56
6	उत्तर प्रदेश पूर्व	6.8	56
7	उत्तर प्रदेश पश्चिम	7	56

3.1.2 टेलीनॉर समूह द्वारा बताया गया राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को ए जी आर के प्रतिशत के रूप में स्व–मूल्यांकन के आधार पर त्रैमासिक रूप में लाइसेंस फीस (एल एफ) व स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एस यू सी) का भुगतान करना है। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा सूचित किये गये सकल राजस्व (जी आर), कटौती, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) व की गई राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहक आधार (प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के अनुसार – संख्या करोड़ में)	जी आर	कटौतियां	ए जी आर	ए जी आर की जी आर से प्रतिशतता	भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ+ एस यू सी)
2009-10	0.42	36.81	19.24	17.57	48	8.89
2010-11	2.27	860.39	352.45	507.94	59	63.69
2011-12	4.24	3845.33	1459.77	2385.56	62	286.90
2012-13	4.01	2534.13	1025.50	1508.63	60	175.37
2013-14	3.56	3598.81	1444.53	2154.28	60	249.49
2014-15	4.56	4683.07	1804.27	2878.80	61	357.32
	कुल	**15558.54**	**6105.76**	**9452.78**	**61**	**1141.66**

3.2 प्रीपेड सेवाओं के लिए विक्रेताओ/अभिदाताओं को कमीशन/ऑफर/छूट से संबन्धित राजस्व को नेटिंग ऑफ करने के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए यूनीटेक/टेलीनॉर द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रीपेड सेवाओं से संबन्धित डाटा/अभिलेख की जॉच में यह पाया गया कि :–

- वितरकों/एजेन्टो को दी जाने वाली मार्जिन/कमीशन को प्रीपेड सेवाओं के राजस्व में सम्मिलित नहीं किया गया था।
- उपभोक्ताओं को दिये गये प्रस्तावों जैसे ग्राहको को मुफ्त एयर टाईम (एफ ए टी), ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रस्ताव, ग्राहको को दिये गये फुल टॉक टाईम का प्रस्ताव,

उपभोक्ताओं को दिये गये छूट के प्रस्ताव आदि को प्रीपेड सेवाओं से संबंधित राजस्व से सेट ऑफ किया गया था।

मदवार विवरण नीचे दिया गया है-

3.2.1 वितरकों को मार्जिन/कमीशन के भुगतान को नेटिंग ऑफ करने के कारण राजस्व की कम रिर्पोटिंग

यूनीटेक/टेलीनॉर समूह प्रीपेड भाग में चैनल विक्रय सहभागियों (डीलर्स/वितरकों) द्वारा विभिन्न उत्पादो की बिक्री करता है जिसके लिए उन्हें मार्जिन/कमीशन भुगतान किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 के यूनीटेक/टेलीनॉर समूह द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/सूचनाओं की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि कंपनी के खाते में राजस्व, डीलर्स/वितरकों को प्रदान की गई कमीशन/मार्जिन को घटाने के बाद बुक किया गया था। उपरोक्त मार्जिन/कमीशन जो वितरकों को प्रदान किये गये थे उन्हें जी आर/ए जी आर में वापस नहीं जोड़ा गया था। जैसा कि डीलर्स/वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन/मार्जिन व्यय की प्रकृति के थे, अतः ऐसे खर्चों को राजस्व के साथ नेटिंग, लाइसेंस की शर्तों के विरूद्ध था जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सकल राजस्व संबंधित खर्चों से सेटऑफ किये बिना होगा। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लेखो के साथ–साथ सी सी ए/डी ओ टी को प्रस्तुत किये गये ए जी आर विवरणों में वास्तविक राजस्व की कमी हुई।

यह पाया गया कि वित्तीय वर्षों 2009-10 to 2014-15 के दौरान डीलर्स/वितरकों को कुल ₹ 944.38 करोड़ की राशि कमीशन/मार्जिन के रूप में भुगतान की गई थी और इस राशि को जी आर/ए जी आर की गणना के लिए राजस्व में सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:

- कंपनी व वितरकों के मध्य संबंध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल (पी टू पी) आधार पर था।
- भारतीय चार्टेड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ए एस–9 के अनुसार, राजस्व को अनुच्छेद 4.1 में परिभाषित किया है जिसके अनुसार "राजस्व नकदी, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न प्रतिफल, सेवाओं के प्रतिपादन व अन्य लोगो द्वारा अनुवर्तित व्यय के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग, रॉयल्टी और लाभांश का, सकल अन्तः प्रवाह है। राजस्व को ग्राहको को दिये जाने वाली वस्तुओं के शुल्क और उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं व संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त शुल्क के रूप में मापा जाता है..."
- आगे, टी डी सैट के दिनांक 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कहा कि "हमारी दृष्टि में "सकल राजस्व" की परिभाषा यह नही हो सकती कि हम लाइसेंसी को उस सेवा की थोक की कीमत तय करने से रोके'' जोकि एम आर पी से कम है। परीक्षा यह है कि कैसे वास्तविक लेनदेन तय होता है। यदि बिक्री व चालान प्रक्रिया एम आर पी पर है व पृथक रूप से कोई छूट प्रदान की जाती है, तो

खण्ड संख्या 19.1 के अनुसार ऐसी छूट कटौती योग्य नही होगी तब भी जबकि लाभ और हानि को राजस्व की छूट को हटाने के पश्चात् खाते में बुक किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यदि बिक्री एक विवरित/सहमति वाले मूल्य पर है, सहमति वाले मूल्य पर चालान किया गया है व बिना किसी कटौती के राजस्व को लाभ व हानि के खाते में बुक किया गया है तो वास्तविक क्रय मूल्य ही राजस्व होगा व एम आर पी एवं क्रय मूल्य के बीच में आने वाले मूल्य के अंतर "सकल राजस्व" में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

- टी डी सैट के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दर्ज कर दी गई है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नही है क्योंकि -

- यूनिटेक/टैलीनोर समूह अंततः सेवाओं को प्रदान कर रहा है और इसीलिए, वितरकों को प्रदान किये जाने वाले छूट/कमीशन बाजार व्यय की प्रकृति की होगी और इस प्रकार राजस्व से घटायी नही जानी चाहिए। यह खण्ड संख्या 19.1 की शर्त के अनुसार हैं।
- लेखापरीक्षा का मत है कि यह लेनदेन प्रिसिंपल टु प्रिसिंपल के अंतर्गत नही आता क्योंकि अन्ततः ग्राहकों को सेवायें प्रदान करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से यूनीटेक/टैलीनोर समूह का है ना कि वितरकों का।
- जबकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचारधीन है, लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण यह है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/डीलर्स को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन बाजार व्ययो की प्रकृति का है और इसलिए राजस्व के साथ ऐसे व्ययो का समायोजन लाइसेंस की शर्तो के विरूद्ध था।

इस प्रकार प्रीपेड सेवाओं से कमीशन/मार्जिन की ₹ 944.38 करोड़ (**अनुलग्नक-3.01**) की राशि का समायोजन (नेटिंग ऑफ) के कारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के अवधि के लिए जी आर/ए जी आर के अन्डर स्टेटमेंट एवं परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा एल एफ व एस यू सी के क्रमशतः ₹ 79.19 करोड़ व ₹ 34.28 करोड़ की राशि कहे गये राजस्व पर भुगतान नही किये गये थे।

3.2.2 ग्राहकों/विक्रेताओं को दिये गये प्रस्तावों के कारण राजस्व की कम रिर्पोटिंग

यूनीटैक/टैलीनोर समूह अपने ग्राहकों/डीलर्स को फ्री एयरटाइम (एफ ए टी), प्रोत्साहन आफर, फुल टाक टाईम (एफ टी टी) आदि की ऑफर देता हैं।

वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए जी एल के सार की समीक्षा और ओरेकल फाइनैशियल्स से प्राप्त जनरल वाउचर्स (जे वी) सार के सत्यापन से पता चलता है कि वितरकों/डीलर्स को दी जाने वाली प्रमोशनल प्रस्तावों के मूल्य ₹ 1330.97 करोड़ की राशि को जी आर/ए जी आर में स्वीकार नहीं किया गया। चूंकि ग्राहकों को दिये जाने वाले प्रस्ताव जैसे कि फ्री एयरटाईम, व्यवसाय को बढ़ाने हेतु एक सम्पूर्ण व्यवसायिक

रणनीति का भाग था, अतः ऐसी छूट/प्रस्ताव/कटौती कि कीमत खर्चे की प्रकृति की थी। आगे लाइसेंस समझौते के अनुसार सेवा राजस्व को बिना किसी समायोजन के सकल राजस्व के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि के प्रस्तावों के मूल्यों को प्रीपेड राजस्व में ना जोड़ने की परिणती वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि में एल एफ/एस यू सी के उद्देश्य से ₹ 1330.97 करोड़ के कम राजस्व की रिर्पोटिंग के रूप में हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:-

- कम्पनी कुछ प्रीपेड टैरिफ योजनाएं आफर करती है जिसमें ग्राहकों को एक तय मूल्यवर्ग के रिचार्ज वाउचर से रिचार्ज करने पर फ्री एयरटाईम प्रदान किया जाता था और राशि जो वास्तविक रूप में ग्राहक द्वारा अदा की गई थी, उसे अन्ततः राजस्व के रूप में बुक किया गया था। जो टैरिफ योजनायें टी आर ए आई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती थी उनके संबंध में यह संभव नही था कि फ्री एयरटाईम को एक व्यय के रूप में माना जाये क्योंकि यह कम्पनी द्वारा किया गया व्यय नहीं था। "कुल राजस्व" की गणना करने के क्रम में अन्तर्वाह की वस्तु काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त लेखांकन के मानक संख्या-9 जो कि भारतीय चार्टेड अकाऊटेंट संस्थान द्वारा जारी है, के अनुसार राजस्व, नकद, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान वस्तुओं की बिक्री, सेवाओं के प्रदान करने से उत्पन्न प्राप्त प्रतिफल, व अन्य लोगों द्वारा अनुवर्तित ब्याज के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग, रॉयल्टी एंव लाभांश का, सकल अन्तःप्रवाह है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- चूँकि एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि व्यवसाय को बढाने हेतु एक संम्पूर्ण व्यवसायिक रणनीति का भाग था, अतः ये व्यय की प्रकृति की थी और लाइसेंस अनुबंध के अनुसार खर्चे से सम्बन्धित मदो के लिए समायोजन अनुमत्य नही था। आगे, एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो आदि जैसे प्रस्तावों को टैरिफ के अनुसार प्रस्तावित किया जाना एंव ग्राहकों को दिये गये प्रस्तावों को विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नही किया गया।
- लेखापरीक्षा यह मत रखता है कि एयरटाईम एक मुफ्त वस्तु नही है अपितु इसका एक आंतरिक मूल्य है, व एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो जैसे प्रस्ताव देते हुए लाइसेंस धारक इनको व्यय के रूप में दर्ज करने के बजाय राजस्व को छोड़ रहे है जिसके फलस्वरूप एल एफ और एस यू सी से बचा जा रहा है।

इस प्रकार, ऑफर्स एफ टी टी/एफ ए टी आदि की ₹ 1330.97 करोड़ **(अनुलग्नक-3.02)** की राशि को प्रीपेड सेवाओं के राजस्व में सम्मलित ना करने के कारण वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान जी आर/ए जी आर में कमी आई और डी ओ टी को एल एफ व एस यू सी की क्रमशतः ₹ 111.31 करोड़ व ₹ 49.53 करोड़ की राशि का कम भुगतान किया गया।

3.2.3 प्रीपेड राजस्व से छूट का समायोजन के कारण राजस्व की कम रिर्पोटिंग

वर्ष 2009-10 से 2014-15 के यूनीटैक/टेलीनॉर समूह के प्रीपेड सेवाओं से संबंधित ऑकड़ो/अभिलेखों की जॉच करने पर पाया गया कि कम्पनी द्वारा प्रीपेड ग्राहकों को समायोजन/छूट प्रदान की गई थी। यह भी पाया गया कि कम्पनी ने छूट की कीमत को व्यय शीर्ष के बजाय प्रीपेड राजस्व शीर्ष को डेबिट किया गया था जिसके फलस्वरूप ए जी आर में राजस्व ₹ 159.55 करोड़ कम दिखाया गया।

लाइसेंस समझौते के अनुसार, जी आर में किसी संम्बन्धित खर्चे के समायोजन के बिना सेवाओं से प्राप्त समस्त राजस्व को सम्मिलित करना है। इस प्रकार छूट की कीमत को खर्चे मानने के बजाय राजस्व शीर्ष को डेबिट करना लाइसेंस समझोते का उल्लंघन था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:

- ग्राहकों को दी जाने वाली छूट में गलत शुल्क शामिल है जिन्हें कि ग्राहकों के लिए क्रेडिट समायोजन द्वारा संशोधित किया गया व उन्हें मुफ्त अतिरिक्त टाक टाईम के साथ प्रमोशनल पैक दिये गये। व्यवसाय के सामान्य क्रम में, राजस्व इस तरह की छूट देने के लिये पहचाना जाता है। गलत शुल्क के लिए व्यवसाय में यह आवश्यक है कि इस राशि को वापस किया जाये व ग्राहको को ये छूट टी आर ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार है।
- ए एस-9 के अनुच्छेद संख्या 4.1 के अनुसार राजस्व नकदी, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान सामान की बिक्री से उत्पन्न प्रतिफल, सेवाओं के प्रतिपादन व अन्य लोगों द्वारा अनुवर्तित ब्याज के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग व रॉयल्टी एवं लाभांश का सकल अन्तः प्रवाह है। राजस्व को ग्राहकों को दिये जाने वाले वस्तुओं के शुल्क और उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवाओं व संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त शुल्क के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार जैसा कि उपर बताया गया है, ग्राहकों को दिये जाने वाले प्रमोशनल पैक व मुफ्त/अतिरिक्त टाकटाइम के कारण गलत शुल्कों से होने वाली त्रुटि का समायोजन करना व्यवसायिक कार्य का ही एक सामान्य हिस्सा थे और इसके कारण नकदी के अंतर्वाह, प्राप्तियों अथवा अन्य प्रतिफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा परिणामस्वरूप इन्हें राजस्व के विरूद्व समायोजित करना पड़ा व उन्हें प्रथक रूप से एक व्यय के रूप में नहीं रखा जा सका।

प्रबन्धन द्वारा दिया गया उत्तर विश्वसनीय नही है क्योंकि :–

- ग्राहकों से गलत शुल्कों, व ग्राहकों को दिये जाने वाले प्रमोशन के प्रस्ताव (एफ ए टी आदि) के समायोजन से संबन्धित छूट का व्योरा प्रस्तुत नही किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये ऑकड़े जी एल कोड में बुक होने वाले मूल्य के साथ समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे व कम्पनी इन ऑकड़ों से संबंधित कोई समाधान नहीं कर पाई। आगे, कम्पनी द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली छूट के कारण लगने वाले गलत शुल्कों के पक्ष में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये।

- लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस समझौते के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी के नियमों के अनुसार, सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को कुल राजस्व के रूप में दर्शाया जाये व कटौती/छूट को प्रथक रूप से दर्शाया जाए। हालांकि प्रबंधन ने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय कटौती/छूट का समायोजन किया जो कि लाइसेंस समझौते के विरूद्व था। क्योंकि यह व्यवसाय को बढ़ाने की सम्पूर्ण वाणिज्यिक युक्ति का भाग था, इसलिए ये खर्चे की प्रकृति की थी और लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार खर्चे की संबंधित मदों के लिए समायोजन अनुमत्य नही था। इस प्रकार इन्हें पुनः जी आर में शामिल किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार प्रीपेड सेवाओं की छूट से प्राप्त ₹ 159.55 **(अनुलग्नक-3.03)** करोड़ की राशि के समायोजन का परिणाम जी आर/ए जी आर को कम दिखाने व भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी क्रमशतः ₹ 13.11 करोड़ व ₹ 6.24 करोड़ की राशि का कम भुगतान के रूप में फलित हुआ।

3.3 अन्य आपरेटरो को भुगतान/क्रेडिट किये गये इंटर आपरेटर ट्रेफिक (आई ओ टी) छूट को समायोजित करने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग

यूनीटेक/टेलीनॉर समूह का रोमिंग सेवाये प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपरेटरो के साथ अनंबंध है और रोमिंग अनुबंध कम्पनी नेटवर्क के थोक प्रयोग के लिए मात्रा छूट प्रदान करता है। आपरेटर के अभिलेख की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 कि अवधि में इन आपरेटरों को भुगतान की गई इंटर आपरेटर ट्रैफिक (आई ओ टी) की छूट, राजस्व से घटायी गयी। अन्य आपरेटरों के साथ रोमिंग व्यवस्था, दो आपरेटरों में मध्य आपसी अनुबंध का मामला था और दो आपरेटरो के मध्य व्यवसाय बढ़ोतरी के लिए वाणिज्यिक रणनीति का भाग था। इस प्रकार, ये छूट खर्चें की प्रकृति की थी इसलिेए लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार इनको राजस्व से घटाया नही जाना चाहिए।

कंपनी से संम्बधित डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि में ₹ 3.27 करोड़ की राशि रोमिंग राजस्व को डेबिट की गयी थी जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:-

- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय रोमिंग राजस्व, व्यवसाय द्वारा अंगीकृत समझौतो के आधार पर प्राप्त किया जाता है। समझौते की शर्तों के अनुसार, तय लक्ष्य प्राप्त करने पर पार्टी कम दर पर लाभ प्राप्त करने की हकदार थी। प्रथा अनुसार राजस्व को टी ए पी आई एन के आधार पर पहचाना जाता था, तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद भी संशोधित टी ए पी आई एन की फाईलों में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः तय लक्ष्य प्राप्त करने पर मिलने वाले कम दरो पर लाभ को क्रेडिट नोट द्वारा अन्य पार्टी को दे दिया गया। परिणामस्वरूप प्रणाली की मजबूरी के कारण क्रेडिट नोट जारी किए गए अतः इस प्रकार की राशि को व्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका।

- ए एस-9 के अनुछेद संख्या 4.1 के अनुसार राजस्व "राजस्व नगदी, उपक्रम के सामान्य गतिविधियों के दौरान वस्तुओं की बिक्री सेवाओं के प्रदान करने से उत्पन्न प्राप्त प्रतिफल व अन्य लोगों द्वारा अनुवर्तित ब्याज के साथ उपक्रम के संसाधनों के प्रयोग, रौयल्टी एवंम लाभांश का, सकल अन्तर्वाह है। राजस्व को ग्राहकों को दिये जाने वाले वस्तुओं के शुल्क के अनुसार मापा जाता है व उन्हें इसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं व संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त लाभ के शुल्क को भी मिलाया जाता है।"

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि-

- सहमत प्रभारो से ऊपर दी जाने वाली छूट व्यवसाय के बढ़ोतरी हेतु एक समग्र वाणिज्यिक रणनीति का भाग थे और इस प्रकार के छूट खर्चे की प्रकृति की थी
- लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस फीस के उददेश्य हेतु राजस्व के संबंधित खर्चों को बिना समायोजन के सकल राजस्व के रूप में दर्शाया जाए क्योंकि यह लाइसेंस समझौते के अर्न्तगत आवश्यक है।

इस प्रकार अंतराष्ट्रीय रोमिंग प्रचालकों के संबंध में ₹ 3.27 करोड़ **(अनुलग्नक-3.04)** की आई ओ टी छूट के समायोजन के कारण जी आर/ए जी आर में कमी आई। परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा एल एफ व एस यू सी के संबंध में क्रमशतः ₹ 0.32 करोड़ व ₹ 0.11 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

3.4 यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू/टेलीनॉर द्वारा जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ से प्राप्त राजस्व की कम रिपोर्टिंग

लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार, जी आर में अन्य विविध राजस्व सम्मलित होगा। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के यूनीटैक/टेलीनॉर समूह के जी एल की समीक्षा से पता चलता है कि ₹ 22.58 की करोड़ की राशि को फोरेक्स लेन–देन पर लाभ से प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया है। तथापि ए जी आर के लिए समाशोधन/मेपिग के सत्यापन पर यह पाया गया कि फोरेक्स लाभ से प्राप्त राजस्व को, डी ओ टी को भुगतान किये जाने वाले राजस्व शेयर के उद्देश्य से जी आर/ए जी आर में सम्मिलत नही किया गया था।

यहॉ यह उल्लेख करना उचित है कि ओरेकल वित्तीय प्रणाली से प्राप्त की गई रिर्पोट के डाटा सार से उपयुक्त प्राप्त लाभ की गणना इस विशेष मद के वास्तविक लाभ को नहीं दर्शाती क्योंकि कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ/हानि शीर्ष के अंतर्गत सभी मदो के मूल्य का पुनः आगणित व परिपक्व मदों को प्राप्त लाभो के अन्तर्गत तथा अपरिपक्व मदो को अप्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित किया है। इस कारण उस वर्ष में विशेष मद से प्राप्त लाभ, उस मद के मध्यवर्ती अवधि के दौरान के लाभ/हानि के, अप्राप्त मद में लेखांकन के कारण वास्तविक लाभ नही होगा। लेखापरीक्षा, प्रत्येक मद के मौलिक मूल्य के न मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष प्राप्त लाभ के अन्तर्गत लेखांकित मदो के वास्तविक मूल्य को ज्ञात नही कर सका। संचालक को प्रत्येक मद के लाभ को इसके प्रारिम्भक मूल्य के लेखांकन के सन्दर्भ में गणना में करनी चाहिए व जी आर/ए जी आर में कुल विदेशी विनियम लाभ को सम्मलित करना चाहिए।

कम्पनी ने उत्तर दिया कि

- विदेशी लाभ हानि के विषय को भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये मानक 11 की गणना के अन्तर्गत रखा गया था। ए एस-11 के अनुसार, एक विदेशी मुद्रा के लेन–देन को रिपोर्टिंग, मुद्रा की प्रारंभिक मान्यता में अभिलेखित करना चाहिए व विदेशी मुद्रा की राशि, लेन–देन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा व विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय की दर तय कर देनी चाहिए। परिणामस्वरूप लेनदार/देनदार के उत्तरदायित्व निभाने के कारण विदेशी लाभ/हानि उत्पन्न होते हैं व इनका राजस्व से कोई संबंध नही होता।
- विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव से प्राप्त होने वाली आय की प्रकृति एक वास्तविक नहीं अपितु एक काल्पनिक राजस्व की थी। यह दोहराया जाता है कि उन खरीदों व लेन देनों के संबंध में जैसे कि परामर्श कार्य के व्यय, उपकरणों की खरीद अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण, विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव राजस्व के भाग नही होते है। ऐसी अस्थिरता अततः कीमतों में उतार–चढ़ाव, अथवा खरीद मूल्य अथवा देनदारी पर भी प्रभाव पड़ता है व इसका राजस्व से कोई संबंध नही होता।
- टी डी सैट के अप्रैल 2015 के निर्णय में इसे दोहराया गया है कि विदेशी विनिमय में होने वाली उतार–चढ़ाव का लाइसेंस फीस पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। सकल राजस्व व समायोजित सकल राजस्व की गणना का प्रश्न प्रारंभ से ही विवादों में फंसा हुआ है। डी ओ टी व टी एस पी दस वर्षों से अधिक समय से कुल राजस्व/समायोजित कुल राजस्व की गणना के विषय को लेकर विवादों में है व इस पूर्ण अवधि के दौरान यह मामला बीच में ही रूका हुआ है। यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है व अभी इसका अन्तिम फैसला आना शेष है। अतः जैसा कि उपर बताया गया है, विदेशी लाभ लाइसेंस फीस के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुल राजस्व का हिस्सा नहीं हो सकता।

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि-

- लेखापरीक्षा का यह तर्क है कि लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु जी आर में अन्य विविध राजस्व शामिल होगा व इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (जिसको पी एण्ड एल के खातों में आय के रूप में लेखाकंन किया गया है), जी आर में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा ने केवल वास्तविक लाभ को ही विचार किया है।
- टी डी सैट द्वारा 23 अप्रैल 2015 को दिये हुए निर्णय को जुलाई 2015 में डी ओ टी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। जबकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा मानता है कि कंपनी द्वारा जी आर में विदेशी लाभ की गणना ना करना लाइसेंस की शर्तों से भिन्न था।

इस प्रकार विदेशी मुद्रा विनिमय राजस्व की ₹ 22.58 करोड़ (**अनुलग्नक-3.05**) की राशि सम्मिलित न करने से जी आर/ए जी आर में कमी आई। परिणामस्वरूप एल एफ व एस यू सी की राशि क्रमशतः ₹ 1.89 करोड़ व ₹ 0.85 करोड़ का भुगतान नही किया था।

3.5 जी आर/ए जी आर हेतु ब्याज की आय पर विचार न करना

लाइसेंस समझौते के अनुसार राजस्व शेयर के भुगतान के उद्देश्य से ब्याज के रूप में राजस्व, जी आर में सम्मिलित होगा। वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान यूनीटैक/टेलीनॉर समूह द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ो/अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि एफ डी पर ब्याज आय व सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनी/कंपनी से संबंधित पार्टियों को दिये गये अग्रिम व ऋणो से प्राप्त ब्याज राशि ₹ 285.16 करोड़ व ₹ 2.16 करोड़ कंपनी खातों में बुक किया गया था, इन्हें जी आर/ए जी आर के उद्देश्य से विचार में नही लिया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर के विवरण में कहा कि:-

- एफ डी से प्राप्त ब्याज टेलीकॉम संचालन से संबंधित नही था व इसे ए जी आर में सम्मिलित नही किया जा सकता। आगे, जो ब्याज आय, अधिशेष पूँजी/उधार पूंजी की तैनाती के कारण प्राप्त हुई उसे राजस्व नही कहा जा सकता। व्यवसाय में पूंजी लगाने के कारण ऋणों के संवितरण मेल नही खा पाये व अंतिम रूप से लाभ का प्रयोग करने के फलस्वरूप वित्तीय आय व वित्तीय व्यय पर प्रभाव पड़ा।
- ''समायोजित सकल राजस्व'' की गणना का प्रश्न आरंभ से ही विवादों में है। डी ओ टी व टी एस पी दस वर्षो से अधिक समय से सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व की गणना के विषय को लेकर विवादों में है व इस पूर्ण अवधि के दौरान यह मामला बीच में ही रूका हुआ है। यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है व इसका अंतिम निर्णय आना बाकी है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि-:

- लाइसेंस समझौतें में जी आर की परिभाषा के अनुसार ब्याज आय को राजस्व शेयर की गणना के हेतु जी आर/ए जी आर में सम्मिलित किया जाना है।
- जबकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो, जी आर में ब्याज को सम्मलित ना करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लघंन था।

इस प्रकार वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित ब्याज आय को सम्मलित ना करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर में ₹ 287.32 करोड़ कम दर्शाया गया है जैसा कि (**अनुलग्नक-3.06**) में विस्तृत है। परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी का क्रमशत ₹ 24.84 करोड़ एवं ₹ 9.35 करोड़ का भुगतान नही किया गया था।

3.6 एल एफ/एस यू सी की गणना हेतु ए जी आर में विविध आयों को सम्मलित करने पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व में, ब्याज संबंधी राजस्व, लाभांश व अन्य विविध राजस्वों को संबन्धित मदो के खर्चों को समायोजन किये बिना शामिल किये

जाएगे। लेखापरीक्षा के साथ साझा किये गये ए जी आर के आंकड़ो/अभिलेखों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान विविध आय जैसे कि स्क्रेप बिक्री से प्राप्त आय, अचल संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ, अन्य आय आदि के रूप में लेखांकित किये गये ₹ 56.55 करोड़ की राशि लाइसेंस फीस व स्पैक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान करने के लिए विचार में नही लाया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि –

- विविध आय गैर लाइसेंसी गतिविधियों से थी। ऐसी प्राप्तियॉ जैसें कि स्क्रैप की बिक्री, ठेका व अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ आदि व्यवसाय के लिए आकस्मिक थे जोकि लाइसेंस समझौते के तहत किसी भी प्रकार से टेलीकॉम संचालन से संबंधित नही थे।

- कंपनी का लेखांकन व लेखाओं का प्रस्तुतीकरण कंपनी एक्ट के नियम VI के ही अनुसार था। संपत्ति की बिक्री से प्राप्त कोई लाभ/हानि पूंजीगत प्राप्ति की प्रकृति का है। संपत्तियों के लिये किये गये निवेश के कारण राजस्व उत्पन्न हुआ जोकि लाइसेंस फीस से संबंधित था। ऐसी संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लाभ/हानि कुछ नही थे परन्तु मूल्यह्रास व खातों में दिये गये संपत्ति के मूल्यों में कमी के लिए बने प्रावधानों के कारण वसूली की राशि कीमत से अधिक हो गई। यह लाभ कोई वास्तविक लाभ नही था क्योंकि संपत्ति के मूल्यह्रास व मूल्यों में कमी के लिए बने प्रावधानों को पहले प्राप्त नही किया गया था। यह संचालन से प्राप्त राजस्व व पहले से व्यवसाय हेतु पूंजीगत व्यय पर लाइसेंस शुल्क वसूल किये जाने के समान होगा।

- टी डी सैट ने भी अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया कि जब तक कि बिक्री मूल्य सकल बुक मूल्य से (वास्तविक अथवा ऐतिहासिक मूल्य) से अधिक ना हो, बिक्री आय पद्धति आयकर के प्रति जवाबदेह होगी, व इसे सकल राजस्व की गणना करते समय विचार में नही लाया जा सकता।

- समायोजित कुल राजस्व की गणना का प्रश्न आरंभ से ही विवादों में है। डी ओ टी व टी एस पी दस वर्षो से अधिक समय से ''कुल राजस्व व समायोजित कुल राजस्व'' की गणना के विषय को लेकर विवादों में है व इस पूर्ण अवधि के दौरान यह मामला बीच में ही रूका रहा। अब भी यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है व अभी इसका अंतिम निर्णय आना शेष है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इस प्रकार है:-

- जी आर की परिभाषा स्पष्टरूप से यह बताती है कि राजस्व शेयर की गणना करने हेतु विविध राजस्व को जी आर में सम्मलित करना चाहिए।

- जबकि यह मामला माननीनय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तो, जी आर में विविध आय को सम्मलित ना करना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

अतः ए जी आर में ₹ 56.55 करोड़ की विविध आय की मदों जैसा कि ऊपर वर्णित है, को ए जी आर में विचार करने के परिणामस्वरूप **(अनुलग्नक-3.07 एवं 3.08)** एल एफ व एस यू सी के क्रमशतः ₹ 4.64 करोड़ व ₹ 2.05 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

3.7 व्यापार हस्तांतरण समझौते के अंतर्गत यू डब्ल्यू एल से टी डब्ल्यू एल/टेलीनॉर व्यवसाय की बिक्री से होने वाले लाभ पर लाइसेंस फीस की गैर अदायगी

यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राईवेट लिमिटेड ने टेलीविंग संचार सेवा प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने व्यवसाय की निरन्तरता पर मंदी बिक्री आधार पर, हस्तातरण के लिए एक व्यापार हस्तांतरण समझौते (बी टी ए) किया था। डी ओ टी के नवम्बर 2013 के अनुमोदन के आधार पर, यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 251.50 करोड़ की राशि के लाभ के साथ अपने जी एस एम व्यापार को मैसर्स टेलीविंग संचार सेवा प्राईवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। इस राशि को लाइसेंस फीस की गणना के लिए विचार में नही लाया गया।

लाइसेंस फीस की गणना के लिए जी एस एम व्यवसाय की बिक्री से प्राप्त लाभ को जो विविध आय के दायरे में आती है, को नही लिया जाना लाइसेंस समझौते का उल्लंघन है। यू ए एस के लाइसेंस समझौते के खंड संख्या 19.1 यह परिभाषित करता है कि कुल राजस्व में व्यय से संबंधित वस्तुओं को बिना जोड़े विविध राजस्वों को सम्मलित किया जाता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि:-

- यूनीटैक वायरलैस (तमिलनाडु) प्राईवेट लिमिटेड (यूनीटैक वायरलैस) के लाइसेंस को रद्द करने के पश्चात्, टेलीविंग संचार प्राईवेट लिमिटेड (जोकि अब टैलीनोर संचार प्राईवेट लिमिटेड है) के समूह ने छः परिमंडलों की बोली में स्पैक्ट्रम को प्राप्त किया। इससे अधिक, उपरोक्त परिमड़लो में सेवाओं को जारी रखने के लिए यूनीटैक वायरलैस से टैलीनोर इंडिया का व्यापार हस्तांतरण किया गया जिसे की डी ओ टी द्वारा अनुमोदित किया गया। व्यापार के हस्तांतरण की प्रक्रिया में कुछ भौतिक संपत्ति के मूल्याकंन जैसे की ग्राहकों के साथ संबंध, कार्यबल, आई पी आर, अनुकूल पट्टे आदि तथ्य यूनीटैक वायरलैस को खातो में नही थे परंन्तु उन्हें बाद में दर्ज किया गया व कथित गणना की राशि को वास्तविक रूप से टैलीनोर इंण्डिया द्वारा यूनीटैक वायरलैस को अदा किया गया। इस प्रकार की अदायगी की गणना ए जी आर के अंतर्गत नहीं की जा सकती क्योंकि ए जी आर की गणना यू ए एस एल की खण्ड संख्या 19.1 के अंतर्गत की जाती है जिसमें ग्राहकों के साथ संबंध, कार्यबल, जी पी आर, अनुकूल पट्टो को सम्मलित नही किया जाता।
- 'राजस्व' व 'पूंजी' के बीच के अंतर को कभी भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। कहीं भी यह सुझाव नहीं दिया जाता कि राजस्व में संपत्ति अथवा संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को सम्मलित किया जाता है। राजस्व का अर्थ है वह आय जोकि किसी भी समूह/संगठन को अपनी साधारण व्यवसायिक क्रियाओं से प्राप्त होती है जबकि आय की परिभाषा इससे कहीं अधिक विस्तृत रूप में होती है। आगे,

> ''किसी भी अन्य विविध राजस्व'' का अर्थ ''अन्य विविध आय'' नहीं हो सकता। इसे ''कुल राजस्व'' का हिस्सा बनाने के क्रम में विविध अंतर्वाह/प्रवेश को पहले राजस्व के योग्य बनाना होगा।

प्रबंधन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार नही है क्योंकि लाइसेंस समझौते के अनुसार, सकल राजस्व में ब्याज खाते से प्राप्त राजस्व, लाभांश व अन्य विविध राजस्वों को, इन मदो के व्ययो से समायोजन किये बना सम्मिलित होगें। लेखापरीक्षा का तर्क है कि पी एण्ड एल खातों में दर्शाये गए लाभ, विविध आय का हिस्सा थे अतः लाइसेंस समझौते के अनुसार, जी आर/ए जी आर की गणना करते समय इन्हें विचार में लाना चाहिए।

व्यवसाय की बिक्री से प्राप्त लाभ को सम्मिलित न करने के कारण वर्ष 2013-14 में जी आर/ए जी आर में ₹ 251.50 करोड़ की कमी आई। परिणामस्वरूप एल एफ एवं एस यू सी के क्रमशताः ₹ 22.02 करोड़ व ₹ 8.40 करोड़ की राशि का कहे गये राजस्व पर भुगतान नही किया गया था। **(अनुलग्नक-3.09)**

3.8 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलो (पैरा संख्या 3.2.1 से 3.7 तक) के अनुसार एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान की राशि क्रमशतः ₹ 257.32 करोड़ व ₹ 110.81 करोड़ थी। इस एल एफ व एस यू सी पर कम/गैर भुगतान पर बनने वाली ब्याज की कुल राशि ₹ 235.62 करोड़ थी **(अनुलग्नक-3.10)** । ब्याज की गणना लाइसेंस समझौते में निर्धारित दर पर आधारित थी जो कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की मुख्य उधारी दर से दो प्रतिशत ऊपर है व इसकी गणना के लिये विचार में लाई गई अवधि विचाराधीन वित्तीय वर्ष के अंत से मार्च 2016 तक ली गई। लाइसेंस समझौते में निर्धारित ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर है।

3.9 राजस्व व लाईसेंस फीस के विवरणी में प्रकटीकरण (ए जी आर का विवरण)

लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक–III में विशेष लाइसेंस क्रियाकलाप से राजस्व को लाइसेंस द्वारा मान्यता दिये जाने के लिए भिन्न व विशिष्ठ मानक का वर्णन किया गया है। मानक यह स्पष्ट करते है कि वार्षिक वित्तीय विवरणों/राजस्व व लाइसेंस फीस की विवरणी (ए जी आर विवरणी) में निम्नलिखित दिखाये जावे -

- सकल राजस्व (सेवाओं की बिल योग्य राशि) कटौति/छूट के अलग–अलग विवरणों के साथ
- मदवार ऐसे आय का विवरण जिसे सम्बन्धित खर्चें से समायोजित कर दिया गया है।
- अर्जित राजस्व की वह कोई भी श्रेणी, जिसकी राशि कुल अर्जित राजस्व से 5 प्रतिशत अधिक है उसे अलग से दिखाया जायेगा तथा किसी अन्य मद में सम्मिलित नही किया जायेगा।
- बिल किए गए, इक्ट्ठे किए गए व सरकार को प्रेषित किए गए सेवा करों को प्रथक रूप से दिखाया जायेगा।

- बिल किए गए, इक्ट्टे किए गए व सरकार को प्रेषित किए गए बिक्री करों को प्रथक रूप से दिखाया जायेगा।
- ब्याज की आय व लाभांशों को बिना किसी सबंधित व्ययों के समायोजन के पी एण्ड एल खाते में आय के अन्तर्गत पृथक रूप से दिखाया जाऐगा।
- मदवार ऐसे आय का विवरण जिसे संबंधित खर्चे से समायोजित कर दिया गया है।

यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू एल के लेखापरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपरोक्त मानकों में से कुछ मानकों पर विचार नही किया गया। राजस्व को कम दिखाये जाने के उदाहरणों से जैसाकि रिपोर्ट में लिया गया है, यह पुष्टि होती है कि यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू एल द्वारा एल एफ व एस यू सी की अदायगी के लिये दी हुई राशि ना तो पूर्णतया लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप थी और ना ही खातों की तैयारी पूर्णतया डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की गई थी। इकाईयों के वार्षिक खातों मे भले ही सामान्यत, डी ओ टी द्वारा दी गई आवश्यक सूचनायें को दिया जा रहा था परन्तु ए जी आर विवरणों के साथ प्रस्तुत वार्षिक लेखाओं में महत्वपूर्ण डाटा जो राजस्व के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा मान्यता दी गयी, सही राजस्व को प्रभावित करती है, नही दिया जा रहा था। उदाहरणतया सकल राजस्व के साथ छूट/रिबेट के विवरण को अलग से दिखया जाना, घरेलु तथा बाहरी अभिदाताओं के लिए कुल एयरटाइम इकाईयों का विवरण, बिल न किये वाले नम्बर जिसे अलग से दिखाया जाना था तथा खर्चें में क्रेडिट जो ए जी आर की शुद्धता को प्रभावित करती है, इत्यादि को वार्षिक लेखाओं में नही दिखाया गया। यद्यपि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने हमेशा ही यह सत्यापित किया कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा–निदेशों/मानको के अनुसार लेखों को तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने बताया कि उपरोक्त आवश्यकताओं को संकलित किया गया है, क्योंकि वे या तो बिलिंग प्रणाली, या बही खातों में उपलब्ध है अथवा उन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण/बैलेंस शीट में दर्शाया गया है। जबकि प्रबंधन ने उत्तर दिया कि किसी भी आय के मद को सम्बन्धित व्यय से समायोजित नही किया गया है। यह पाया गया कि छूट/प्रस्तावों जैसे मामलों में राजस्व को खर्चें से समायोजित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को कम दिखाया गया।

यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन ना करने के बावजूद भी, डी ओ टी ने इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर जोर नही दिया। लेखापरीक्षा का मत है कि, डी ओ टी द्वारा निर्धारित उपरोक्त खुलासे ऐजेन्सियों को जिन्हे लाइसेंसी कम्पनियों द्वारा प्रतिपादित किये गये जी आर की शुद्धता को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है, को सत्यापन प्रक्रिया की पूर्णता निश्चित करने में सुविधा होगी।

3.10 लेखापरीक्षण के अवलोकनों के लिए डी ओ टी/टेलीनॉर का उत्तर

टेलीनॉर द्वारा देय राजस्व शेयर पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को जनवरी 2017 के दौरान डी ओ टी और टेलीनॉर को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। टेलीनॉर ने एक बार फिर

(फरवरी 2017), परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर दिये गये उत्तर को दोहराया।

डी ओ टी ने (फरवरी 2017) में कहा कि

- जी आर व ए जी आर की आधारभूत परिभाषा को टी एस पी द्वारा 2002-03 में चुनौती दी गई थी। तब से आरम्भ हुई दीर्घ मुकद्दमेबाजी आज तक जारी है।
- डी ओ टी ने वर्तमान में टी एस पी के विरूद्व उच्चतम न्यायालय में अपील की है व एस सी के आदेशों के अनुसार, विभाग को लाइसेंस समझौते के अनुसार टी एस पी को मॉग जारी करने की अनुमति दी गई थी।
- डी ओ टी के समझौते व नीतिगत निर्णय के अनुसार सी ए जी द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्तिम आकड़ों के आधार पर मॉग उठाई जायेगी।

डी ओ टी की प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि राजस्व शेयर को एन टी पी-1999 के हिस्से के रूप में लाया गया था जैसा कि लाइसेंस समझौते में उल्लखित है, विभाग इसका देय राजस्व शेयर को प्राप्त करने में इनके लागू होने के 17 वर्ष बाद भी सक्षम नही हो सका।

यहॉ पर बताना उचित होगा कि जब सरकार ने लाइसेंस फीस को सभी संचालकों के लिए 2 प्रतिशत तक कम कर दिया जो कि अप्रैल 2004 से प्रभावी था, तो डी ओ टी को यह उम्मीद थी कि यह कमी संचालकों द्वारा सरकार के खिलाफ चुनौतियों को वापस लेने में तत्परता दिखायेगे। हालॉकि लाइसेंस फीस में हुई कमी के कारण संचालकों पर कोई उपेक्षित प्रभाव नही पड़ा व संचालकों ने जी आर/ए जी आर और मांग पत्रों की परिभाषा को चुनौती के लिए सरकार के विरूद्व सतत मुकद्दमेंबाजी को जारी रखा। इस प्रकार पी एस पी को लाइसेंस फीस के दामों में कमी होने का लाभ हुआ किन्तु सरकार को मुकद्दमेबाजी कमी का पारस्परिक लाभ नही हुआ।

अध्याय - IV

मैसर्स वोडाफोन दूरसंचार लिमिटेड द्वारा राजस्व की हिस्सेदारी

4.1 प्रस्तावना

वोडाफोन टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड (वी टी एल) जिसे पहले डाटाकॉम साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) से 21[1] लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (एल एस ए) के लिए 2008 में एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस (यू ए एस एल) प्राप्त किया था। वी टी एल को 20 लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) में स्पैक्ट्रम आबंटित किया गया था तथा कम्पनी ने 2010-11 से 2011-12 की अवधि के दौरान 17 एल एस ए में 'ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल' (जी एस एम) सेवा प्रदाता के रूप में परिचालन शुरू किया था।

उपरोक्त वर्णित लाइसेंस के अलावा, वोडाफोन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के पास वर्ष 2009 से हासिल किये गये 'राष्ट्रीय दूरस्थान' (एन एल डी) और 'अन्तर्राष्ट्रीय दूरस्थान' (आई एल डी) लाइसेंस हैं। वी टी एल ने क्रमशः 2010 तथा 2012 में एन एल डी और आई एल डी सेवाओं का शुभारम्भ किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12 फरवरी, 2012 के निर्णय के पश्चात् वी टी एल को प्रदान किये गये समस्त 21 लाइसेंसों को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया गया। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, वी टी एल ने 'यू ए एस एल' के अधीन जनवरी 2013 तक अपनी सेवाँए जारी रखी। तत्पश्चात् वी टी एल ने सितम्बर 2012 में दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित नीलामी में भाग लिया तथा छः सेवा क्षेत्रों जैसें बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सफल बोली दाता रहा।

4.1.1 वी टी एल द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम रखना

वी टी एल को 2008-09 के दौरान 1800 मेगाहर्ट्ज आवृति बैण्ड में 20 एल एस ए में ग्लोबल सिस्टम आफ मोबाइल (जी एस एम) स्पैक्ट्रम आबंटित किया गया था जिसे कम्पनी ने 2012-13 तक अपने पास बनाये रखा। कम्पनी द्वारा रखे गए संघटित स्पैक्ट्रम का विवरण नीचे **तालिका** 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1

क्र. सं.	तकनीक	स्पैक्ट्रम	एक्सेस कैरियर की सख्या*	एम डब्ल्यू बैकबॉन कैरियर की संख्या*#	एल एस ए (सेवाक्षेत्र)
1	जी एस एम (यू ए एस एल)	2 x 4.4 मेगाहर्ट्ज	2	1	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटका, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं चैन्नई, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) और पश्चिम बंगाल

* प्रत्येक कैरियर (वाहक) 56 मेगाहर्ट्ज का है

*# मुम्बई तथा कोलकता में बैकबॉन कैरियर (वाहक) आंबटित नहीं किया गया

[1] आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटका, केरल, कोलकाता, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मुम्बई, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एवं चैन्नई, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम) व पश्चिम बंगाल

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त सेवा क्षेत्रों का लाइसेंस रदद् करने के पश्चात्, वी टी एल ने सितम्बर 2012 में आयोजित नीलामी में हिस्सा लिया तथा उसे तालिका 4.2 में दर्शाये गए छः सेवा क्षेत्रों में सफल बोलीदाता घोषित किया गया:

तालिका 4.2

तकनीक	स्वीकृत लाइसेंस अनुबन्ध की तिथि/स्पैक्ट्रम आबंटन की तिथि	स्पैक्ट्रम	एक्सेस कैरियर की संख्या	बैकबॉन कैरियर की संख्या	एल एस ए (सेवाक्षेत्र)
जी एस एम (यू एल) एक्सेस सेवाएँ	04 मार्च 2013/ 02 अप्रैल 2013	2 x 5 मेगाहर्ट्ज	2	1	बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

4.1.2 वी टी एल द्वारा बताया गया राजस्व एवं राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वमूल्यांकन आधार पर त्रैमासिक आधार पर 'ए जी आर' के प्रतिशत पर 'लाइसेंस शुल्क' (एल एफ) और 'स्पैक्ट्रम उपयोग शुल्क' (एस यू सी) का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। वी टी एल द्वारा वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान सूचित सकल राजस्व (जी आर), कटौतियॉ, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) तथा राजस्व की हिस्सेदारी (एल एफ और एस यू सी) का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर अभिदाता बेस (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर*	ए जी आर से जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2009-10	0	0	0	0	0	0
2010-11	0.71	376.68	334.34	101.56	26.96	12.11
2011-12	0.60	730.16	454.46	278.26	38.10	30.76
2012-13	0.20	459.18	302.94	173.97	37.88	18.93
2013-14	0.50	872.14	503.93	368.33	42.23	40.50
2014-15	0.71	1447.30	966.77	480.83	33.22	51.17
कुल		**3885.46**	**2562.44**	**1402.95**	**36.10**	**153.47**

*ए जी आर संख्याएं नकारात्मक ए जी आर लाइसेंस (एल एस ए) सेवा क्षेत्रों को छोड़कर दी गई हैं

4.2 वितरकों/अभिदाताओं को कमीशन/छूट/ऑफर के नेटिंग आफ के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वी टी एल द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पूर्व प्रदत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डाटा/दस्तावेजों की जाँच में यह पाया गया कि –

- वितरकों/एजेन्टों को दिए गए कमीशन को अग्रिम छूट दिखाकर प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित राजस्व को कम करके दिखाया गया है।
- उपभोक्ताओं को पेश किए गए विभिन्न प्रस्तावों जैसे ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी) तथा वितरकों को मुफ्त सिम–कार्ड बांटने इत्यादि को प्रीपेड सेवाओं से प्राप्त राजस्व से अलग कर दिया गया था।

मद–वार विवरण निम्न प्रकार से है:-

4.2.1 वितरकों को दिया गया कमीशन/छूट के नेटिंग ऑफ के कारण प्रीपेड राजस्व की कम सूचना

वी टी एल बिक्री भागीदारों/एजेन्टों/फ्रेचाइंजी/डीलरों/वितरकों आदि के माध्यम से प्रीपेड खण्ड में विभिन्न उत्पादों/सेवाओं को बेचता है जिसके लिए छूट/कमीशन दिया जाता है। ऐसे छूट/कमीशन आदि लाइसेंस धारक के खर्च के रूप में हैं।

वी टी एल के खातों की समीक्षा में यह पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान वितरकों/फ्रेचाइजी/एजेटों/डीलर्स को अनुमानतः ₹ 66.91 करोड़ की भुगतान राशि को राजस्व हेतु संज्ञान/विचार में नहीं लिया गया था क्योंकि वास्तविक बिल राशि को गणना में लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)/नियत्रंक, संचार लेखा (कंट्रोलर ऑफ अकाउन्टस) को प्रस्तुत किए गए समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) विवरण में प्रीपेड राजस्व को कम दिखाया गया व फलस्वरूप वास्तविक राजस्व कम दर्शाया गया। चूँकि वितरकों/फ्रेचाइजी/एंजेटों/डीलरों को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन खर्च के रूप में था, अतः इस खर्च को राजस्व में शामिल न करने के (जो कि लाइसेंस के नियम एवं शर्तो के विरूद्व था) परिणामस्वरूप ₹ 66.91 करोड़ की सकल राजस्व (जी आर) की राशि कम दर्ज की गई।

प्रबन्धन द्वारा निम्न उत्तर दिया गया: –

- कम्पनी ने हमेशा केवल दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले समायोजित सकल राजस्व के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी पर विचार किया है;
- प्राथमिक बिलिंग के समय वितरकों को प्राथमिक मार्जिन की पेशकश की जाती है। अर्थात् प्राथमिक बिलिंग केवल रिचार्ज वाउचर के लिए है और सभी चालानों में निर्धारित मूल्य दिया गया है;
- प्रसंस्करण के जी एल राजस्व लेजर में डेबिट की गई राशि प्राथमिक बिलिंग के समय वितरकों को दी जाने वाली व्यापार छूट की है। लेखांकन नीति के अनुसार वितरकों द्वारा भुगतान की गई राशि को लाभ एवं हानि खाता में दर्ज किया जाता

है, न कि वितरक के माध्यम से बेचे गये उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) पर किया जाता है;

- यह भी कहा गया है कि लेखाकंन मानक 9 (ए एस-9) के संदर्भ में *"कम्पनी की माल की बिक्री, सेवा प्रदान करने जैसी सामान्य गतिविधियों से उत्पन्न प्राप्त होने वाला या विचारणीय सकल नकद अंतर्वाह राजस्व है"* अतः उपरोक्त बिन्दुओं को संज्ञान में रखते हुए लाइसेंस फीस का भुगतान प्राप्त राजस्व पर किया गया है। टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को निर्णय में हवाला देते हुए यह भी कहा कि 'जी आर' की गणना करने के संदर्भ में, प्रवाह का अर्थ काल्पनिक न होकर अपितु प्राप्ति से है;
- टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में यह भी उल्लेख किया कि यदि बिक्री एक सहमत कीमत पर होती है और उस सहमत कीमत को राजस्व के अधीन लाभ एवं हानि खाता में दर्ज कर चालान जारी किया गया हो तो बिना किसी छूट के वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व होगा और 'अधिकतर खुदरा मूल्य' (एम आर पी) तथा 'बिक्री मूल्य' के अन्तर को 'सकल राजस्व' में शामिल नहीं किया जा सकता है;
- उपरोक्त तथ्यों/विवरणों को ध्यान में रखते हुए, वी टी एल वितरकों को ₹ 66.91 करोड़ की राशि अग्रिम कमीशन के रूप में दिए जाने के फलस्वरूप ' सकल राजस्व' को कम बताया जाने के लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार करने या उस पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त प्रातिक्रिया से सहमत न होने का कारण है:

- वी टी एल अतंतः सेवाएं प्रदान कर रही है और वी टी एल ने सीधे ग्राहकों को कार्ड बेचे है। राजस्व की गणना सेवाएँ प्रदान करने के पूर्ण मूल्य पर होनी चाहियें और बिक्री सम्बन्धी व्ययों की गणना व्यय के रूप में दर्ज होनी चाहिये। उसी समानता पर वितरकों को दी गई छूट/कमीशन व्यय की रूप में होना चाहिये और इस प्रकार राजस्व से कटौती नहीं की जानी चाहिए;
- चूंकि यह प्रकरण 'उच्चतम न्यायालय' में उपन्यायिक है, तो लेखापरीक्षा का विचार है कि वितरकों/फ्रैंचाइजी/डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन/छूट विपणन व्यय के रूप में होगा। अतः ऐसे व्ययों का राजस्व पृथक करना (सेट ऑफ करना) लाइसेंस नियमों के विरूद्व है।

अतः इस प्रकार सकल राजस्व की गणना करते समय प्रीपेड वितरकों को कमीशन/छूट के रूप में दी गई ₹ 66.91 करोड़ की राशि को संज्ञान में न लेने के फलस्वरूप 'सकल राजस्व'/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) कम बताया गया। जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस तथा स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार (एस यू सी) की राशि, जो कि क्रमशः ₹ 5.82 करोड़ तथा ₹ 2.63 करोड़ बनती थी, का कम भुगतान किया गया **(अनुलग्नक-4.01)**।

4.2.2 प्रीपेड अभिदाताओं को फ्री एयर–टाइम के कारण राजस्व की कम रिपोर्टिंग

वी टी एल अपने प्रीपेड ग्राहकों को फ्री एयर–टाइम (एफ ए टी) प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान राजस्व शेयर की गणना करते समय उपभोक्ताओं को उपलब्ध फ्री एयर टाइम की कुल राशि ₹ 92.10 करोड़ को जी आर/ए जी आर में स्वीकार्य नहीं किया गया था। चूंकि उपभोक्ताओं को की गई पेशकश जैसे 'फ्री एयर–टाइम का प्रस्ताव' व्यापार को बढ़ाने के लिए समग्र व्यवसायिक रणनीति का हिस्सा था, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की लागत खर्चों के रूप में थी। तथापि लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार, सेवा राजस्व किसी भी सैट–आफ के बिना सकल दिखाया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार राजस्व हिस्सेदारी की गणना में फ्री–एयर–टाइम (एफ ए टी) के शामिल न किए जाने के कारण ₹ 92.10 करोड़ की कुल राशि को कम बताया गया।

वी टी एल ने कहा कि:-

- कुछ चुनिंदा प्रीपेड प्रशुल्क योजना तथा इन योजनाओं का प्रस्ताव बाजार की मॉग/प्रबन्धन के फैसले पर आधारित था। ऐसी योजना में यदि ग्राहकों को फ्री एयर–टाइम प्रदान किया गया था, तो प्रशुल्क की राशि, जो ग्राहकों द्वारा विशेष मूल्य वर्ग के वाउचर द्वारा रिचार्ज की गई थी, अतंतः राजस्व के रूप में दर्ज की गई थी। यह प्रशुल्क योजनाएॅ ट्राई के दिशा–निर्देशों के अधीन थीं;
- वी टी एल द्वारा फ्री एयर–टाइम का प्रस्ताव केवल जी एस एम प्रीपेड ग्राहकों के लिये था तथा यह प्रस्ताव टाक–टाइम के अतिरिक्त और अधिक था। फ्री एयर–टाइम एक प्रचारक गतिविधि, है जिसका प्रयोग ग्राहकों को बनाए रखने एवं मंथन करने के उददे्श्य से किया जाता है;
- कम्पनी ने फ्री एयर–टाइम के विरूद्व राजस्व को स्वीकार्यता दी है तथा इसके अनुरूप नकद प्रवाह/रसीद इसके अनुरूप नहीं है;
- एफ ए टी एक प्रकार की योजनाबद्व व्यापार रणनीति है तथा ट्राई के साथ दायर प्रशुल्क योजना का हिस्सा है। यह ग्राहकों को अग्रिम तौर पर दिया जाता है और ऐसी काल्पनिक मौद्रिक राशि लाइसेंस फीस के अधीन नहीं हो सकती है;
- ए एस-9 के सदंर्भ में, राजस्व प्राप्तियॉ उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री या सेवाएॅ प्रदान करने से प्राप्त नकद सकल प्रवाह है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त राजस्व पर लाइसेंस फीस का भुगतान किया गया था;
- तदनुसार उपरोक्त तथ्यों और विवरणों को ध्यान में रखते हुए, एफ ए टी की ₹ 92.10 करोड़ की राशि पहले ही राजस्व में विचार हेतु रख ली गई थी। लाइसेंस फीस की गणना प्राप्त राजस्व पर की गई थी। इसीलिए वी टी एल इस बिदुं को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि एफ ए टी का राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव है।

प्रबन्धन द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टि कोण इस प्रकार है:-

- लेखापरीक्षा का तर्क है कि एयर–टाइम एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है। इसका आंतरिक मूल्य होता है तथा एफ ए टी प्रदान करने पर लाइसेंस धारक एल एफ तथा एस यू सी को बचाने के लिए राजस्व को स्वभाविक तौर पर दर्शाने के बजाय इसको व्यय के तौर पर दर्ज करता है।
- प्रशुल्क के अनुसार दिये गये एफ ए टी का विवरण और जो ग्राहकों को बढ़ावा देने के रूप में पेश किया गया था, प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः प्रीपेड ग्राहकों को दिये गये ₹ 92.10 करोड़ के एफ ए टी की नैटिगं कर जी आर/ए जी आर को कम बताया गया व परिणाणस्वरूप लाइसेंस फीस तथा 'एस यू सी' की ₹ 7.88 करोड़ और ₹ 3.69 करोड़ का कम भुगतान किया गया **(अनुलग्नक-4.02)**।

4.2.3 प्रीपेड सिम कार्डों की बिक्री से प्राप्त राजस्व का ध्यान में न रखना

कम्पनी ने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान 1+1 योजना संचालित की थी। इस योजना के तहत वितरकों को एक सिम के मूल्य पर दो सिम वितरित किये गये थे। लेखापरीक्षा ने वी टी एल के जनरल लेजर की जॉच में यह पाया कि एक सिम से प्राप्त राजस्व की गणना की गई थी, जबकि मुफ्त दिए गए ₹ 5.25 करोड़ के सिम कार्डों की राशि को जी आर/ए जी आर की गणना करते समय विचार नहीं किया गया था। चूंकि, यह योजना प्रचार हेतु थी सिम कार्डों के मूल्य का समावेश न करना यू ए एस एल/यू एल अनुबंध के अनुच्छेद 19.1 के विचलन में था।

वी टी एल ने प्रत्युतर दिया कि:-

- कम्पनी बाजार माँग/प्रबन्धन निर्णय के आधार और वितरकों द्वारा 1+1 सिम की प्रस्तुत मांग के विरूद्ध वितरकों को 1+1 सिम की पेशकश करती है;
- 1+1 सिम कार्ड की योजना में, वितरकों को 1 सिम के मूल्य पर 2 सिम प्रदान किये गये थे और 1+1 सिम की चूक से राजस्व के रूप में गणना चूक से की गई है। तदनुसार राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज हुई खातों में सही प्रविष्टियों कर, राजस्व को सही कर लिया गया है और कम की गई राशि केवल 1+1 सिम की है, जिसका कोई मूल्य नहीं है;
- 1+1 सिम योजना वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए लागू थी। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 2 फरवरी 2012 के अपने निर्णय में यू ए एस एल लाइसेंस निरस्त कर दिये थे, अतः मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसी विपणन योजनायें कम्पनी द्वारा आवश्यक थीं;
- यह भी निवेदन किया जाता है कि ए एस-9 के सदंर्भ में, राजस्व विभिन्न प्राप्तियों उद्यम की सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री या सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त नकद सकल प्रवाह है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त राजस्व पर लाइसेंस फीस का भुगतान किया गया था;

- टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में हवाला देते हुए कहा कि "जी आर" की गणना हेतु प्रवाह का मतलब काल्पनिक न होकर प्राप्ति से है;
- वी टी एल, उपरोक्त तथ्यों/विवरणों को ध्यान में रखते हुए ''एफ ओ सी'' के तौर पर ₹ 5.25 करोड़ के लेखापरीक्षा बिन्दु को स्वीकार या विचार करने की स्थिति में नहीं है।

वी टी एल प्रबन्धन द्वारा की गई टिप्पणी पर लेखापरीक्षा के विचार निम्न प्रकार से है:-

- लेखापरीक्षा का विचार है कि 1+1 योजना मूलतः प्रचार के लिए है। अतः सिम के बिक्री मूल्य की राजस्व के तौर पर गणना की जानी चाहिए तथा मुफ्त दिए गए सिम की कीमत को व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। 'क्यू टी एल' ने मुफ्त बांटे गए सिम के मूल्य की गणना न करने के कारण राजस्व को ₹ 1.90 करोड़ कम करके बताया।
- यह जवाब कि फ्री सिम की कोई कीमत नहीं है, विचार योग्य नहीं है चूंकि उन्हें वितरकों द्वारा अलग से बेचा जा सकता है तथा इन सिम को कम्पनी द्वारा अलग से सक्रिय किया जाना अपेक्षित है;
- चूंकि यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का यह मत है कि 1+1 योजना की प्रकृति बाजारी खर्चों की है अतः इसको राजस्व में शामिल न करना लाइसेंस शर्तों के विरूद्ध है।

अतः प्रबन्धन का ₹ 5.25 करोड़ के राजस्व को विचार न करने का निर्णय लाइसेंस अनुबन्ध के विरूद्ध था और परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को उसी हद तक कम दर्शाया गया। फलस्वरूप इसी प्रभाव के साथ एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ व ₹ 0.24 करोड़ कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-4.03)**।

4.3 राजस्व हिस्सेदारी में शामिल नही की गई आय

कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंसधारी कम्पनियों के खातों के प्रमाणीकरण के बारे में लाइसेंस समझौते के दौरान यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि राजस्व हिस्से के बयानों में दिखाई देने वाले राजस्व तथा कम्पनी के अपने लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित वार्षिक खातों में दिखाये गये राजस्व के बीच सामंजस्य किया जाना चाहिए।

ट्रायल बैलेंस के साथ समाधान विवरण, की समीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार लेखा में लेखापरिक्षित ए जी आर विवरण जो कि लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की गई थी तथा वर्ष 2009-10 से 2014-15 के लिए वी टी एल के प्राथमिक लेखांकन अभिलेखों से उनके मिलान कार्य से यह दर्शित हुआ कि कम्पनी के लेखाओं में दर्शाई गई कुछ श्रेणियों के तहत आय जी आर/ए जी आर के परिकलन तथा राजस्व शेयर के भुगतान के लिए विचारित नहीं की गई थी। यद्यपि ये राजस्व, राजस्व शेयर के भुगतान के लिए जी आर का भाग होने चाहिए, ए जी आर विवरण में शामिल नहीं किए गए। जी आर/ए जी आर से अलग कर दी गई आय नीचे चर्चित है:

4.3.1 राजस्व शेयर के लिए ब्याज आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व शेयर के भुगतान के लिए जी आर में ब्याज से प्राप्त आय शामिल होनी चाहिए। वर्ष 2009-10 से 2014-15 की अवधि के लिए वी टी एल द्वारा प्रस्तुत डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2014-15 में लेखा पुस्तकों में लेखांकित ₹ 59.85 करोड़ की ब्याज आय पर एल एफ व एस यू सी के भुगतान के उद्देश्य से विचार नहीं किया गया।

वी टी एल प्रबंधन ने बताया:

- ब्याज दूरसंचार सेवाओं से अर्जित राजस्व का भाग नही था अतः उसे ए जी आर की गणना में नही शामिल किया गया।
- इस मामले को माननीय टी डी सैट में चुनौती दी गई थी व टी डी सैट ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को अपने फैसले के तहत आपरेटरों के खिलाफ निर्णय दिया। टी डी सैट के फैसले को कम्पनी के साथ साथ डी ओ टी ने भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
- कम्पनी सुनिश्चित करती है कि जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंततः इस मामले में निर्णय लिया जायेगा, कम्पनी ब्याज आय से अर्जित आय पर एल एफ तथा एस यू सी के भुगतान सहित उसका पालन करेगी।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया निम्न कारणों से ठोस नही है:-

- लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन हेतु जी आर/ए जी आर में ब्याज आय के समावेशन हेतु स्पष्ट रूप से कहा गया है; और
- यद्यपि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में उपन्यायिक है, लेखापरीक्षा का विचार है कि लाइसेंस अनुबंध के संदर्भ में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन हेतु ब्याज आय को जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

ब्याज आय को शामिल नहीं करने के परिणामरूवरूप जी आर/ए जी आर ₹ 59.85 करोड़ कम दर्शाया गया और फलस्वरूप एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 4.80 करोड़ व ₹ 1.91 करोड़ कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-4.04)**।

4.3.2 विदेशी मुद्रा लाभ का जी आर/ए जी आर में शामिल न करना

लाइसेंस अनुबंध के संदर्भ में सकल राजस्व में अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि डी ओ टी को देय राजस्व हिस्से के प्रयोजनार्थ लेन–देन से प्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ के रूप में बुक किए गए ₹ 15.34 करोड़ को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रत्येक मद का वास्तविक मूल्य न होने के कारण प्रत्येक वर्ष वसूले लाभ के अन्तर्गत लेखित मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सकी। प्रचालक को प्रत्येक मद से लाभ की गणना, लेखों की आरम्भिक कीमत के संदर्भ में करनी चाहिए और कुल विदेशी मुद्रा लाभ को जी आर/ए जी आर में शामिल करना चाहिए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि-

- विदेशी विनिमय मे उतार–चढ़ाव आकस्मिकता थी जिसका प्रत्येक व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता था और इस प्रकार का लाभ कम्पनी की प्राथमिक व अनुपूरक सेवाओं से उपार्जित नहीं हुआ था, जैसा कि अपने उपभोक्ताओं/अभिदाताओं को दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराया जाना। फोरेक्स लाभ परिणाम तब होता है जबकि घरेलू मुद्रा व विदेशी मुद्रा की वृद्धि के कारण विदेशी विनिमय में भुगतान कम होता है और इस प्रकार की विनिमय भिन्नताये तब उत्पन्न होती है जब दरें पुस्तकों में प्रारम्भ में दर्ज की गई दरों से भिन्न होती हैं।
- लेखापरीक्षा ने लेखाशीर्ष मे दर्ज हानि को उपेक्षित कर केवल काल्पनिक लाभ पर विचार किया। फोरेक्स लाभ–हानि, दूरसंचार व्यय से भिन्न है, जहाँ वैचारिक लाभ पर विचार, हानि को अलग करके किया जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक बुक क्लोजिंग अवधि की समाप्ति पर विनिमय दर भिन्नताओं का हिसाब देने में स्वीकृत उन्हीं सिद्वांतों में रिकार्ड किए गए है। यह केवल विक्रेता को भुगतान करते समय कार्यान्वित करवाये गये हैं।
- दिनांक 23 अप्रैल 2015 को टी डी सैट पारित निर्णय में कहा गया था कि विदेशी विनिमय उतार–चढ़ाव के कारण कोई लाभ अथवा हानि पर लाइसेंस फीस वहन नहीं होनी चाहिए।

निम्न कारणों से प्रबंधन का तर्क ठोस नही है:-

- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार विविध आय को जी आर में शामिल किया जाना चाहिए तथा लेखापरीक्षा का मत है कि विदेशी विनिमय से होने वाले लाभ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।
- कम्पनी लेखांकन के लिए वाणिज्यिक तरीके अपनाती रही है तथा लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्वांत के अनुसार "लाभ/हानि" की गणना सभी उपार्जित प्राप्तियों तथा व्यय को हिसाब में लेने व दो भिन्न तिथियों पर व्यापारिक संपत्तियों की तुलना करने के बाद की जाती है। लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय भिन्नता के कारण उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ (राजस्व)/हुई हानि (व्यय) तार्किक है तथा इसे आकस्मिक/सांकेतिक प्रकृति का नही माना जा सकता है। पुनः लेखापरीक्षा ने केवल प्राप्त किये गये लाभ पर विचार किया है।
- यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार विदेशी विनिमय से होने वाले लाभ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

क्यू टी एल द्वारा वसूले गए विदेशी विनिमय लाभ को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 15.34 करोड़ कम दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एल एफ/एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.38 करोड़ और ₹ 0.43 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया **(अनुलग्नक-4.05)**।

4.4 एल एफ व एस यू सी के अल्प/गैर भुगतान पर ब्याज

जैसा कि उपरोक्त मामलों में उल्लिखित है (पैरा 4.2.1 से 4.3.2) एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 20.30 करोड़ व ₹ 8.90 करोड़ बनता था। एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर ब्याज ₹ 18.88 करोड़ है **(अनुलग्नक-4.06)**। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर के आधार पर की गई थी अर्थात वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की मौजूदा मूल उधार दर से 2 प्रतिशत अधिक तथा गणना के लिए विचारित अवधि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्वि दर पर की गई है।

4.5 राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क के विवरणों में प्रकटीकरण (ए जी आर विवरण)

यू ए एस एल अनुबंध में प्रावधान था कि प्रचालक कम्पनी का लेखा इसके वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। इसके साथ–साथ अनुबंध में लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस संबंधी गतिविधि से प्राप्त राजस्व पहचान करने एवं इसको बताने हेतु पृथक एवं विशिष्ट मानदंड/दिशानिर्देश भी उपलब्ध है। इन मानकों, जिनका विस्तृत वर्णन यू ए एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक–III में है, में लाइसेंस द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण सूचना को प्रकट करने का प्रावधान किया है। जैसे कि उस अवधि की बिल योग्य राशि, छूट/रिबेट के विवरण, घरेलू तथा बाहरी ग्राहको के लिए कुल एयर टाइम यूनिट्स का विवरण तथा बिल न किए जाने वाले नम्बर (सर्विस कनेक्शन) आदि। लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 20.2 एवं 20.6 के साथ पठित मानदंड/दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों, स्वीकार्य लेखा संबंधी मानकों इत्यादि का अनुपालन करते हुए अपना लेखा तैयार करना लाइसेंसधारी कम्पनी का विशेषाधिकार है, राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य से लाइसेंसधारी कम्पनी के ए जी आर की गणना यू ए एस लाइसेंस में ग्रहीत राजस्व की परिभाषा के अनुसार होगी।

- अनुबंध में यह भी बताया गया है कि *लाइसेंसधारी लाइसेंसधारक को कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हलफनामे पर शपथ लेते हुए प्रमाणित विवरण देने के लिए बाध्य है जिसमें प्रत्येक तिमाही के भुगतान के साथ साथ प्रत्येक तिमाही के लिए अलग से राजस्व के पूर्ण लेखों का ब्यौरा हो जैसा कि शर्त 19 में परिभाषित है।* लाइसेंस कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षा को जो कम्पनी अधिनियम में प्रावधानों/संबंधित लेखा मानकों इत्यादि के अनुसार लेखा तैयार करते हैं यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि लाइसेंस अनुबंध ***(अनुलग्नक–II के परिशिष्ट-I)*** में शामिल मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क का विवरण तैयार किया गया है।

- रिपोर्ट में दर्शाये गए राजस्व को कम बताने के उदाहरण पुष्टि करते थे कि वी टी एल द्वारा लाइसेंस शुल्क एवं एस यू सी के भुगतान हेतु प्राप्त राजस्व की पहचान न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थी और न ही लेखा को तैयार करने में डी ओ टी द्वारा निर्धारित मानकों का पूरी तरह अनुपालन किया गया। यद्यपि प्रबंधन ने कहा कि राजस्व को समायोजित करने के बाद छूट बुक की गई, किन्तु लाइसेंस अनुबंध के अनुसार वी टी एल के वार्षिक लेखा में इसका विवरण कभी नहीं दर्शाया गया। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि उस बिल योग्य राजस्व को ए एस-9 के अनुसार सकल राजस्व के रूप में दर्शाया गया तथा बिल योग्य धनराशि पर कोई छूट प्रदान नही की गई। प्रबंधन का पक्ष लाइसेंस अनुबंध के अनुरूप नही था क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी की सेवा आय सकल रूप में दर्शानी थी तथा छूट कटौती के विवरणों को अलग से दर्शाना था। लाइसेंसधारी के साथ सभी अपेक्षित सूचनाओं को साझा करने/प्रकट करने के लिए लाइसेंसधारी की अनिच्छा को डी ओ टी द्वारा संबोधित नही देखा गया था। भले ही जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंध के अनुपालन में नहीं थी, वैधानिक लेखापरीक्षा ने हमेशा प्रमाणित किया कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा निर्देशों/नियमों के अनुसार खाते तैयार किए गए थे। इसके अलावा अनुबंध में यह भी निर्धारित किया गया था कि लाइसेंसधारी कम्पनी डी ओ टी को कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ–पत्र पर एक प्रमाणिक विवरण भेजेगी जिसमें भुगतान के साथ साथ प्रत्येक तिमाही के राजस्व के पूर्ण लेखों का अलग से ब्यौरा हो जैसा कि शर्त 19 में परिभाषित है, जिसका अनुपालन करने में कम्पनी असफल रही तथा डी ओ टी द्वारा अपने भाग पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि लाइसेंसधारी, जैसा लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित है, के अनुसार अपने राजस्व का खुलासा करें। हालांकि नियंत्रक संचार लेखा कार्यालयों को औसत सकल राजस्व (ए जी आर) तक पहुँचने के लिए प्रचालकों द्वारा दावा की गई कटौती की शुद्वता की पुष्टि करने के लिए स्थापित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सकल राजस्व लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार है, सिस्टम को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

4.6 लेखापरीक्षा कथन पर डी ओ टी/वी टी एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स वी टी एल द्वारा देय राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को दिसम्बर 2016 में डी ओ टी और वी टी एल को उनकी टिप्पणियों हेतु प्रेषित कर दिया गया था। वी टी एल ने परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अपने उत्तर को एक बार फिर (जनवरी 2017) दोहराया।

डी ओ टी ने कहा (फरवरी 2017) कि :–

- 2002-03 में टी एस पी द्वारा जी आर/ए जी आर की परिभाषा को चुनौती दी गई थी तबसे दीर्घकालिक मुकदमेबाजी हो रही है और अभी भी जारी है।

- डी ओ टी, टी एस पी के विरूद्व वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अपील में गया है तथा एस सी (सर्वोच्च न्यायालय) के आदेशों के अनुसार विभाग को लाइसेंस अनुबंध की अपनी समझ के अनुसार टी एस पी को डिमाण्ड जारी करने की अनुमति मिली हुई थी।
- सी ए जी द्वारा बताए गए अंतिम आकड़ों, लाइसेंस अनुबंधो के अनुसार तथा डी ओ टी के नीतिगत निर्णयों के आधार पर डिमान्ड जारी की जाएगी।

डी ओ टी की प्रतिक्रिया साबित करती है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था एन टी पी-1999 के एक भाग के रूप में शुरू की गई थी, विभाग इस व्यवस्था के लागू होने के 17 वर्षो के बाद भी अपना देय राजस्व अंश, जैसे लाइसेंस अनुबंध में उल्लेखित है, वसूल नहीं कर सका है।

यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जब सरकार ने अप्रैल 2004 से प्रभावी, एल एफ की दर को समस्त प्रचालकों के लिए दो प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया, डी ओ टी ने यह अपेक्षा कि थी कि ऐसी कमी प्रचालकों को सरकार के विरूद्व चुनौतियों को वापस लेने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि एल एफ में की गई कमी का अपेक्षित प्रभाव नही हुआ और प्रचालकों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा में डिमान्ड नोट्स को चुनौती देते हुए सरकार के विरूद्व मुकदमेबाजी करना जारी रखा। इस प्रकार पी एस पी ने एल एफ की दर में छूट का लाभ उठाया परन्तु सरकार को इसके बदले में मुकदमेबाजी में अपेक्षित कमी का लाभ नही मिला।

अध्याय - V

मैसर्स क्वाडरैन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व

5.1 प्रस्तावना

क्वाडरेन्ट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड (क्यू टी एल) जिसे पहले एच एफ सी एल इन्फोटेल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने दूरसंचार विभाग से पंजाब लाइसेंस सर्विस एरिया (एल एस ए) के लिए साल 2000 में यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेस लाइसेंस (यू ए एस एल) प्राप्त किया था। क्यू टी एल ने अपनी मूल टेलीफोन सेवा को अक्टूबर 2000 में शुरू किया। इसके बाद, कंपनी ने पंजाब सर्कल के लिए नवम्बर 2003 से यूनिफाइड एक्सेस (बेसिक और सेल्यूलर) सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) में माइग्रेट किया और मई 2004 में यू ए एस एल समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्यू टी एल को पंजाब टेलीकाम सर्विस एरिया के लिए अगस्त 2006 में कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) स्पैक्ट्रम दिया गया था और 2007 में क्यू टी एल ने सी डी एम ए टेक्नोलाजी में ऑपरेशन शुरू किया था। उसे जी एस एम सर्विस के लिए स्पैक्ट्रम सितम्बर 2008 में दिया गया था और जी एस एम टेक्नोलाजी में ऑपरेशन मार्च 2010 से शुरू किया गया था।

इन सेवाओं के अलावा, क्यू टी एल ने इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए जून 2000 से पंजाब टेलीकॉम सर्किल के लिए आई एस पी लाइसेंस सर्विस एरिया 'बी' भी लिया था। आई एस पी लाइसेंस की समाप्ति पर, क्यू टी एल को जनवरी 2015 में आई एस पी श्रेणी 'ए' (पैन इंडिया) यूनिफाइड लाइसेंस प्रदान किया गया था।

5.1.1 क्यू टी एल द्वारा लिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम

क्यू टी एल द्वारा लिए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम का विवरण नीचे तालिका 5.1 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 5.1

क्र. सं.	तकनीकी	स्पैक्ट्रम	एक्सेस कैरियर की संख्या*	बैकबोन कैरियर की संख्या	एल एस ए
1	जी एस एम	2 x 4.4 मेगाहर्ट्ज	3	शून्य	पंजाब
2	सी डी एम ए	2 x 1.23 मेगाहर्ट्ज	2	शून्य	पंजाब

*1 कैरियर बराबर है 56 मेगाहर्ट्ज

5.1.2 क्यू टी एल द्वारा बताया गया राजस्व और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

दूरसंचार सेवा प्रदाता को स्व–मूल्यांकन आधार पर लाइसेंस फीस (एल एफ) तथा स्पैक्ट्रम यूसेज चार्जेस (एस यू सी) का भुगतान एड्जस्टेड ग्रोस रेवेन्यू (ए जी आर) के प्रतिशत पर त्रैमासिक आधार पर करना होता है। क्यू टी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के दौरान सकल राजस्व (जी आर), कटौती, ए जी आर बताया गया, राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ तथा एस यू सी) नीचे तालिका 5.2 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 5.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त तक अभिदाता बेस (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	जी आर से ए जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2006-07	0.03	276.49	62.43	183.03	74.56	16.11
2007-08	0.04	250.44	61.92	141.71	69.59	12.33
2008-09	0.06	224.42	40.42	130.08	76.31	11.67
2009-10	0.05	198.17	35.13	100.69	74.30	8.92
2010-11	0.17	238.49	28.36	136.90	82.83	13.69
2011-12	0.15	284.51	79.98	114.68	58.91	11.50
2012-13	0.16	338.73	92.35	221.36	65.35	17.49
2013-14	0.24	414.31	148.02	266.28	64.27	24.13
2014-15	0.30	528.68	261.17	267.52	50.60	23.31
कुल		**2754.24**	**809.60**	**1562.25**	**56.72**	**139.15**

5.2 वितरकों/अभिदाताओं को कमीशन/छूट/ऑफर के नेटिंग–ऑफ के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को कम बताया गया

क्यू टी एल द्वारा प्रस्तुत प्रीपेड सेवाओं से सम्बन्धित डेटा/रिकार्ड की जॉच से यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान–

- प्रीपेड सेवाओं के राजस्व में अग्रिम छूट के रूप में वितरकों/एजेंटों को दी जाने वाली कमीशन शामिल नहीं थी;
- ग्राहकों को फ्री एयर टाइम (एफ ए टी), जी आर/ए जी आर की गणना के लिए प्रीपेड सेवाओं से राजस्व में शामिल नहीं किया गया था।

मद अनुसार विवरण नीचे दिये गये हैं–

5.2.1 वितरकों को दिया गया अपफ्रंट कमीशन/छूट के सेट–ऑफ के कारण प्रीपेड राजस्व कम बताया गया

क्यू टी एल प्रीपेड सेगमेंट में विभिन्न उत्पादों/सेवाओं को मार्केटिंग/मार्जिन/कमीशन की मार्केटिंग भागीदारों/एजेंटों/फ्रेंचाइजीज/डीलरों/वितरकों आदि के माध्यम से करती है। ऐसे मार्जिन कमीशन आदि लाइसेंसी के लिए खर्च की तरह है।

क्यू टी एल के खातों की समीक्षा पर, यह देखा गया कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के वित्तीय वर्ष के दौरान वितरकों/फ्रेंचाइजीज/एजेंटों/डीलरों को भुगतान किये गये ₹ 39.32 करोड़ की कमीशन/मार्जिन को प्रीपेड सेवाओं के राजस्व लेखाशीर्ष में डेबिट कर दिया गया था जिस कारण प्रीपेड राजस्व में कमी आई। इसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा जमा किये गए ए जी आर स्टेंटमेंट में कन्ट्रोलर आफ कम्यूनिकेशन एकाउन्टस (सीसीए)/दूरसंचार विभाग के लिए प्रस्तुत वास्तविक राजस्व में कमी हुई। जैसा कि वितरकों/फ्रेंचाइजीज/एजेंटों/डीलरों को दिया गया कमीशन/मार्जिन खर्चों की तरह लिया जाता है, राजस्व के साथ ऐसे खर्चो का निवल लाईसेसं शर्तों के खिलाफ था, जिसके परिणामस्वरूप जी आर की रिपोर्टिंग ₹ 39.32 करोड़ कम की गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि: –

- प्रसंस्करण के जी एल राजस्व लेजर में डेबिट की गई राशि प्राथमिक बिलिंग के समय वितरकों को दी जाने वाली व्यापार छूट की थी। लेखा नीति के अनुसार, कंपनी के लिए वास्तविक प्रवाह अर्थात सिर्फ वितरक द्वारा भुगतान की गई राशि ही पी एंड एल खाते में ली जाती है न कि वितरक के माध्यम से बेचे गये उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत;

- वितरक को उत्पाद की बिक्री सहमत कीमत पर की गई थी और उस कीमत को पी एंड एल खाते में दिखाया गया था और खर्च के साथ किसी भी राजस्व का कोई नैटिंग–आफ नहीं था;

- ए एस-9 के अनुरूप, कंपनी जिस कीमत पर वितरक को उत्पाद बेचती है वह विचार प्राप्त किया गया था और इसलिए केवल इस राशि को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिए। नकद, प्राप्तियों या अन्य विचारों का कोई प्रवाह नहीं था;

- टी डी सैट ने अपने निर्णय दिनांक 23 अप्रैल 2015 के द्वारा यह भी बताया कि अगर बिक्री एक सहमत कीमत पर थी, उस पर सहमत मूल्य पर चालान किया गया था और इसे लाभ और हानि खाते में राजस्व के तहत बुक किया गया था, किसी भी छूट के लिए नेटिंग–ऑफ किए बिना, वास्तविक बिक्री मूल्य ही राजस्व होगा, और एम आर पी और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को ''सकल राजस्व'' में जोड़ा नहीं जा सकता।

- उपरोक्त के मद्देनजर, क्यू टी एल व्यापार छूट पर नैटिंग–आफ के कारण क्यूटीएल के जी आर के अधिसूचना के खिलाफ आडिट बिन्दू को स्वीकार या मानने की स्थिति में नहीं था।

नीचे दिए गए कारणों की वजह से उपयुक्त प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है:-

- क्यू टी एल अतंत सेवाओं को प्रदान कर रहा है और यदि क्यू टी एल ग्राहकों को कार्ड सीधे बेचता तो दी गई सेवा का पूरा मूल्य राजस्व के लिए जिम्मेदार होगा तथा बिक्री का खर्च व्यय के रूप में होगा। उसी समानता पर, वितरकों के लिए छूट/कमीशन विपणन व्यय के रूप में होगी और अतः राजस्व से कटौती नहीं की जानी चाहिए।
- जब तक यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उप–न्यायिक है, तो ऑडिट का मानना है कि वितरकों/फ्रेंचाइजीज/डीलरों को दिया गया कमीशन/मार्जिन, विपणन व्ययों के रूप में है, इसलिए इस तरह के खर्चों को राजस्व के साथ सैट–ऑफ करना लाइसेंस शर्तों के खिलाफ था।

इस प्रकार, राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल करने के लिए वितरकों को दी गई ₹ 39.32 करोड़ की अपफ्रंट छूट/कमीशन पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर को कम बताया गया तथा एल एफ और एस यू सी का कम भुगतान किया गया जो कि क्रमशः ₹ 3.15 करोड़ तथा ₹ 1.40 करोड़ था **(अनुलग्नक-5.01)**।

5.2.2 प्रीपेड ग्राहकों को फ्री एयर टाइम देने के कारण राजस्व को कम बताया गया

क्यू टी एल अपने प्रीपेड ग्राहकों को मुफ्त एयरटाइम (एफ ए टी) प्रदान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ग्राहकों को दिये गए एफ ए टी, जिसका मूल्य ₹ 3.18 करोड़ था, को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में मान्यता नहीं दी गई। चूंकि ग्राहकों को मुफ्त एयरटाइम जैसे ऑफर व्यापार बढ़ाने के लिए समग्र व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा थे, इसलिए ऐसे प्रस्तावों की लागत खर्चों के रूप में थी। आगे, लाइसेंस समझौते के अनुसार, सेवा राजस्व किसी भी सैट–ऑफ के बिना सकल दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार, राजस्व हिस्से की गणना के लिए एफ ए टी को शामिल नहीं करने के कारण राजस्व की रिपोर्टिंग में ₹ 3.18 करोड़ की कमी बतायी गई।

क्यू टी एल ने यह कहा है कि:-

- जी एल कोड 700841 केवल एयरटाइम डिस्काउंट के लिए है। इस जी एल में कोई राजस्व बुक नहीं है और इस राशि को राजस्व से निकालने का कोई सवाल ही नहीं है। एयरटाइम छूट राशि की गणना करते समय, आडिट ने एक ही जी एल में छूट की क्रेडिट प्रविष्टियों को नहीं माना है।

- कुछ प्रीपेड टैरिफ योजना बाजार की मांग/प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रदान की गई तथा ग्राहकों को फ्री एयरटाइम निश्चित रिचार्ज वाउचर संप्रदायों के माध्यम से रिचार्ज करने के लिए प्रदान की गई थी। टैरिफ राशि जो वास्तव में ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई थी। वह राजस्व के रूप में बुक की गई थी। वे टैरिफ योजनाएं ट्राई दिशनिर्देशानुसार थी।

- एफ ए टी केवल क्यू टी एल जी एस एम ग्राहकों के लिए प्रदान की गई थी और यह प्रस्ताव टॉकटाइम से बढ़कर था। प्रस्तावित एफ ए टी ग्राहक को बनाए रखने के उद्देश्य से एक प्रचारक गतिविधि है।

- कंपनी ने फ्री एयरटाइम के लिए राजस्व को मान्यता दी है और साथ में संबंधित नकदी प्रवाह/रसीद नहीं है।

- एफ ए टी योजनाबद्ध व्यापार रणनीति के रूप में है और ट्राई के साथ दायर की गई टैरिफ योजना का हिस्सा है। यह ग्राहकों को अग्रिम रूप से दिया जाता है और इस तरह की वास्तविक राशि एल एफ के अधीन नहीं हो सकती।

- ए एस-9 के संदर्भ में ''राजस्व, नकदी, प्राप्ति या उद्यम के सामान्य गतिविधियों के दौरान माल की बिक्री से उत्पन्न होने वाली प्राप्ति या विचारों का सकल प्रवाह है। सेवाओं की प्रस्तुति से और इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अंकों के अनुसार, एल एफ का भुगतान प्राप्त हुए राजस्व पर किया गया है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा के विचार नीचे दिए गए हैं:-

- लेखापरीक्षा का तर्क है कि जी एल कोड 700841 में बुक किए गए डिस्काउंट पर विचार करने के बाद राजस्व शुद्ध था और चूंकि यह लाइसेंस समझौते के विपरीत था, राजस्व उस हद तक कम किया गया था;

- प्रस्तावित एफ ए टी का विवरण टैरिफ के मुताबिक और जो ग्राहकों को प्रचार के रूप में पेश किया गया था, उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया था;

- लेखापरीक्षा ने यह तर्क भी दिया है कि एयरटाइम एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है, इसका आंतरिक मूल्य होता है और एफ ए टी देकर लाइसेंसी राजस्व त्याग देता है इसे खर्च दिखाने की बजाय, जिससे एल एफ और एस यू सी का परिहार होता है।

अतः ₹ 3.18 करोड़ मूल्य का एफ ए टी जो प्रीपेड ग्राहकों को प्रदान किया गया के नेटिंग–ऑफ से जी आर/ए जी आर में कमी बतायी गई है, और परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी के भुगतान में क्रमशः ₹ 0.25 तथा ₹ 0.11 करोड़ की कमी आई है **(अनुलग्नक-5.02)**।

5.2.3 प्रीपेड सिम कार्डस की बिक्री से हुए राजस्व का विचार न करना

कंपनी ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान 1+1 सिम योजना संचालित की थी। इस योजना के तहत, एक सिम की कीमत में वितरको को दो सिम वितरित किए गये थे। क्यू टी एल के जनरल लेजर (जी एल) से देखे गए आडिट में एक सिम के राजस्व का हिसाब किया गया था, जबकि जी आर/ए जी आर की गणना के लिए ₹ 1.90 करोड़ की राशि मुफ्त दी गई थी। चूंकि यह प्रचारक योजना थी, सिम के मूल्य को शामिल नहीं करना यू ए एस एल/यू एल समझौते के क्लॉज 19.1 के विचलन में था।

क्यू टी एल ने कहा कि:-

- सिम प्रक्रियाकरण राजस्व को राजस्व जी एल कोड़ 700843 - जी एस एम प्रसस्करण शुल्क में जमा कर दिया जाता है और जी एल 500407 जी एस एम आय गैर जमा हुई देयता को डेबिट किया जाता है सक्रिय सिम कार्ड से राजस्व को बुकिंग के लिए कोई अलग जी एल नहीं था।

- कंपनी सिम खरीद के लिए वितरकों द्वारा रखे गए आदेश के खिलाफ बाजार की मांग और प्रबंधन के फैसले के आधार पर अपने वितरकों को 1+1 सिम प्रदान करती है।

- अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए एस-9 के अनुसार ''राजस्व वस्तुओं की बिक्री में से एयरटाइम को सामान्य गतिविधियों के दौरान सेवाओं की प्रस्तुति से उत्पन्न होने वाली नकदी, प्राप्ति या विचार का सकल प्रवाह है और इसलिए उपरोक्त बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए, एल एफ का भुगतान प्राप्त हुए राजस्व पर दिया गया है।

- टी डी सैट ने अपने निर्णय दिनांक 23 अप्रैल 2015 को भी संदर्भित किया कि ''जी आर'' की गणना करने के क्रम में प्रवाह का अर्थ वास्तविक होना चाहिए न कि काल्पनिक।

- उपरोक्त उद्धृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ₹ 8.20 करोड़ के लिए एफ ओ सी सिम के लिए आडिट बिंदु योग्य नहीं है।

क्यू टी एल की टिप्पणियों पर लेखापरीक्षा के विचार निम्नानुसार है:-

- लेखापरीक्षा का तर्क है कि 1+1 सिम प्रचारक योजना है और इसलिए सिम का बिक्री मूल्य राजस्व के रूप में होना चाहिए और मुफ्त में दिए गए सिम का मूल्य खर्च के रूप में होना चाहिए। मुफ्त में दिये गये सिम के गैर–लेखांकन से, क्यू टी एल ने राजस्व में ₹ 1.90 करोड़ की कमी दिखाई है।

- जब तक यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उप–न्यायिक है, लेखापरीक्षा का मानना है कि 1+1 योजना विपणन व्ययों के रूप में है और इसलिए जी आर/ए

> जी आर की गणना के लिए राजस्व में मुफ्त सिम के मूल्य को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लाइसेंस शर्तों के खिलाफ था।

अतः ₹ 1.90 करोड़ के राजस्व को ध्यान में न रखते हुए प्रबंधन की कार्रवाई लाइसेंस समझौते के खिलाफ थी। इसके परिणाम स्वरूप जी आर/ए जी आर को ₹ 1.90 करोड़ कम बताया गया और एल एफ तथा एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 0.15 करोड़ और ₹ 0.07 करोड़ कम किया गया **(अनुलग्नक-5.03)**।

5.3 राजस्व हिस्सेदारी के लिए आय को शामिल नहीं किया गया

लाइसेंस समझौते में यह निर्धारित करते हुए कि लाइसेंसधारक कम्पनियों के खातों को प्रमाणीकरण अपने लेखापरीक्षकों के द्वारा कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार करना होगा, यह भी निर्दिष्ट किया था कि राजस्व हिस्सेदारी में दिखाई देने वाले राजस्व के बीच सामंजस्य किया जाना चाहिए तथा कंपनी के वार्षिक लेखा उनके लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित करवाने होंगे।

2006-07 से 2014-15 के वर्षों के लिए, लेखापरीक्षकों को रिपोर्ट के साथ जमा किए गए वैधानिक लेखापरीक्षको द्वारा तैयार किए गए परीक्षण बैलेंस, लेखापरीक्षित ए जी आर स्टेटमेंट की समीक्षा और क्यू टी एल के प्राथमिक लेखांकन रिकार्डों के साथ उनकी तुलना की गई है। कंपनी के खातों में दिखने वाली कुछ श्रेणियों को जी आर/ए जी आर की गणना और राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान नहीं माना जाता था। यह राजस्व जो ए जी आर का एक अंग होना चाहिए था, ए जी आर स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया गया था। जी आर/ए जी आर से निकाली गई आय को नीचे बताया गया है:

5.3.1 जी आर/ए जी आर के लिए विदेशी मुद्रा लाभ शामिल नहीं किया गया

लाइसेंस समझौते के संदर्भ में, जी आर में किसी भी अन्य विविध राजस्व का समावेश होगा। लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध एस ए पी ई आर पी सिस्टम की जी एल की जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 18.45 करोड़ की राशि विदेशी मुद्रा लेनदेन पर वास्तविक रूप में बुक की गई थी। हालांकि, ए जी आर के लिए सामंजस्य/मैपिंग के सत्यापन पर, यह देखा गया था कि 2014-15 में जी आर/ए जी आर में ₹ 0.01 करोड़ का शुद्ध विदेशी मुद्रा लाभ माना गया था। अतः विदेशी मुद्रा लाभ पर अर्जित ₹ 18.44 करोड़ के शेष राजस्व को दूरसंचार विभाग को देय राजस्व हिस्से के उद्देश्य के लिए जी आर/ए जी आर के लिए नहीं माना गया था।

प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव में आडिट उन मदों के वास्तविक मूल्य पर नहीं पहुँच सकता जिन्हें हर साल प्राप्तिगत लाभ के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। आपरेटर को प्रत्येक मद के लाभ की गणना के अपने प्रारंभिक मूल्य के संदर्भ में करनी चाहिए और जी आर/ए जी आर में कुल विदेशी मुद्रा लाभ शामिल करना चाहिए।

क्यू टी एल ने उत्तर दिया-

- विदेशी मुद्रा में किसी भी उतार–चढ़ाव, चाहे लाभ या हानि, आकस्मिक रूप से होता है और वह कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न नहीं होता है;

- विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव एक आकस्मिक स्थिति थी, जिसका हर व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा था और इस तरह का लाभ कंपनी के प्राथमिक या पूरक सेवाओं से अर्जित नहीं किया था अर्थात् अपने ग्राहक/ग्राहकों को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना। विदेशी मुद्रा लाभ परिणामस्वरूप होते हैं जब विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए देनदारियों में घरेलु मुद्रा की कीमत में बढ़ोत्तरी की वजह से, कमी आती है। और ऐसे विनियम मतभेद उत्पन्न होते हैं, जब दरें उनसे भिन्न होती हैं जिन को शुरूआत में पुस्तकों में दर्ज किया गया था;

- लेखापरीक्षा ने खातों के शीर्ष में दर्ज नुकसान के लिए केवल काल्पनिक लाभ पर विचार किया है। टेलीकॉम व्यय के विपरीत, विदेशी मुद्रा लाभ ऐसी चीज नहीं है जिसमें काल्पनिक लाभ को हानि के अलगाव में देखा जा सकता था। क्योंकि यह प्रत्येक पुस्तक के समाप्ति अवधि के अंत में एक्सचेंज दर के अंतर को लेखाबद्ध करने के लिए अपनाए गए समान सिद्धांतों पर दर्ज नहीं किए गए थे। यह विक्रेता को केवल भुगतान के समय वास्तविकता में प्राप्त होते हैं।

- 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट के फैसले से पारित हुआ कि ''विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के कारण किसी भी लाभ या हानि का लाइसेंस शुल्क पर कोई असर नहीं होना चाहिए''।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन का विचार स्वीकार्य नहीं है:-

- लाइसेंस समझौते के संदर्भ में जी आर किसी भी अन्य विविध राजस्व का समावेश होगा और लेखापरीक्षा का विचार है कि पी एस पी के लिए किसी भी आनुषंगिक लाभ को जी आर के लिए विचार किया जाना चाहिए।

- कंपनी लेखांकन के व्यापारी पद्धति का पालन कर रही है और लेखांकन के वाणिज्यिक सिद्धांत के अनुसार ''सभी लाभांश/हानि'' को भी जमा रसीदो और खर्चों को ध्यान में रखते हुए और दो विभिन्न तिथियों के बीच व्यापारिक संपत्ति की तुलना करने के बाद आना है। एक्सचेंज अंतर के परिणामस्वरूप किए गए विदेशी मुद्रा लाभ (राजस्व) हानि (व्यय) के मर्केटाइल सिस्टम के तहत तर्कसंगत है और इसे आकस्मिक/काल्पनिक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने केवल वास्तविक लाभ पर विचार किया है।

- जब तक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में उप–न्यायिक है, तब तक लेखापरीक्षा का मानना है कि विदेशी मुद्रा से उत्पन्न होने वाले लाभ को लाइसेंस समझौते के अनुसार जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए शामिल करना चाहिए।

क्यू टी एल द्वारा वास्तविक विदेशी मुद्रा लाभ को शामिल नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप जी आर/ए जी आर में ₹ 18.44 करोड़ की कमी बताई गई है तथा एल एफ और एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 1.48 करोड़ और ₹ 0.47 करोड़ कम किया गया है **(अनुलग्नक-5.04)**।

5.3.2 जी आर/ए जी आर के लिय अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ का विचार न करना

लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार, सभी राजस्व, ब्याज, लाभांश और कोई भी विविध राजस्व बिना किसी सेट–ऑफ किए राजस्व में लिया जायेगा। 2006-07 से 2014-15 तक क्यू टी एल के खातों की जॉच से पता चला की ₹ 38.61 करोड़ की अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ का जी आर/ए जी आर में विचार नहीं किया गया।

क्यू टी एल के उत्तर:-

- कॉर्पोरेट आय लाइसेंस प्राप्त गतिविधि से उत्पन्न नहीं हुई थी और ऐसा करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा गैर–दूरसंचार व्यवसायों के लिये खातों की अलग–अलग डिवीजनल किताबें है, जिनके पास किसी भी दूरसंचार सर्किल की लाइसेंस प्राप्त गतिविधि के साथ कोई संबंध नहीं था।
- संपत्ति की बिक्री से लाभ दूरसंचार सेवा के राजस्व के रूप में नहीं अर्जित किया गया था, अतः उसे ए जी आर की गणना में नहीं लिया गया था।
- गैर–दूरसंचार राजस्व को शामिल किये जाने के मुद्दे को माननीय टी डी सैट के समक्ष चुनौती दी गई थी और टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के आधार पर संपत्ति की बिक्री से लाभ शामिल नहीं था।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये क्यू टी एल संपत्तियों की बिक्री से लाभ की क्वेरी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- लाइसेंस समझौते के अनुसार, जी आर की परिभाषा के संदर्भ में, जी आर में लाइसेंसधारक द्वारा उपर्जित सभी राजस्व संबंधित व्यय की मद का कोई सामंजन किये बिना शामिल होंगें;
- जब यह मामला माननीय उच्चतम न्ययालय में उप–न्यायिक है तो लेखापरीक्षा का मानना है कि लाइसेंस अनुबंध के संदर्भ में निश्चित परिसंपत्तियों के बिक्री पर लाभ राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

इस राशि को न शामिल करने के परिणामस्वरूप ₹ 38.61 करोड़ तक जी आर/ए जी आर को विवरण में कमी आयी और इसके परिणामस्वरूप एल एफ और एस यू सी को क्रमशः ₹ 3.09 करोड़ और ₹ 0.83 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-5.05)**।

5.3.3 एस यू सी के भुगतान के लिये अवसंरचना की शेयरिंग से राजस्व का विचार न करना

परिशिष्ट II से अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण का प्रारूप (ए जी आर विवरण) जैसा कि यू ए एस एल करार के खंड 20.4 में दिया गया है, लाइसेंस करार का अभिन्न भाग है। विवरण में, मद 1 क ''वायर लाईन अभिदाताओं से राजस्व दर्शाने के लिये निर्धारित की गयी है। मद 7 और 8 को क्रमशः बैंडविथ, लिंक, आर और जी के मामलों और टर्नकी प्रोजेक्टस आदि की बिक्री/लीज से बुनियादी ढ़ांचों को बांटने/लीज पर देने के लिये राजस्व को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त यू ए एस एल करार के खंड 18.3.1 में दिया गया है कि राजस्व शेयर पर आधारित स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने के सीमित प्रयोजन हेतु ए जी आर की गणना करते समय वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

ए जी आर की विवरण की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि क्यू टी एल ने ₹ 8.25 करोड़ और ₹ 48.12 करोड़ का राशि मूल्य 2006-07 से 2014-15 तक बुनियादी ढ़ांचा (टावरों) को बाटने और बुनियादी ढांचा (डार्क फाइबर) को बांटने से राजस्व अर्जित किया है। ए जी आर विवरण के 7 और 8 के तहत्, ये सभी मद 2006-07 और 2007-08 में शामिल किये गये हैं। लेकिन 2008-09 से 2014-15 तक के वर्षों के दौरान इन राजस्व को ए जी आर विवरण में वायर लाइन अभिदाताओं के मद 1 क में शामिल किया गया बजाय 7 और 8 मद के जो लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन था। लेकिन इस राजस्व को ए जी आर ने एस यू सी के गणना के समय विचार में नहीं लिया जो कि खण्ड 18.3.1 के लाइसेंस समझौते के उपबंध का उल्लंघन था।

क्यू टी एल का जवाब:-

- क्यू टी एल के तहत एक और बिजनेस स्ट्रीम है अर्थात वायर लाइन बिजनेस/लीज लाइन और डार्क फाइबर से उत्पन्न राजस्व जो तार लाइन सेवाओं से संबंधित है और गैर स्पेक्ट्रम आधारित टेलिकॉम गतिविधि यू ए एस एल के ए जी आर के तहत दिखाये गये है, लेकिन इन राजस्व का हिस्सा वायरलेस के तहत नहीं आता है। इसलिये कोई एस यू सी शुल्क लागू नहीं है। आगे यू ए एस एल समझौते के खण्ड 18.3 के अनुसार ''राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के सीमित उद्देश्य के लिये ए जी आर की गणना करते समय, वायर लाइन ग्राहकों से राजस्व को ध्यान में नहीं रखा गया।

- जहां तक टावर के आधारभूत संरचना के एस यू सी शुल्क में नहीं शामिल करने का सवाल है, दूरसंचार विभाग की अधिसूचना के अनुसार टॉवर शेयरधारकों से

मिलने वाली आय को कभी भी 'राजस्व' नहीं माना जा रहा है और यह केवल व्यय का प्रतिपूर्ति है तथा इसे सामंजन के साथ प्रदान किया गया है।

- टावर साझा करना राजस्व नहीं है। लेकिन फिर भी हमने लाइसेंस शुल्क को पूरा कर लिया है और प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार टावर साझाकरण आय के लिये कोई एस यू सी शुल्क लागू नहीं है।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट राजस्व पर एस यू सी शुल्क के गैर–प्रयोज्यता को एस यू सी शुल्क के सवाल को क्यू टी एल स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था।

प्रबंधन के उत्तर पर ऑडिट के विचार निम्नानुसार हैं:

- प्रबंधन का तर्क है कि लीज लाइन/डार्क फाइबर से उत्पन्न राजस्व तार लाइन सेवाओं से संबंधित था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह बुनियादी ढ़ांचे को बॉटने की प्रवृति में था और इसलिये एस यू सी के भुगतान के लिए ए जी आर में शामिल किया जाना था;
- जैसा कि ए जी आर स्टेटमेंट में दिया गया है, बुनियादी ढ़ांचे और लीज लाइन को बांटने से आये राजस्व को 7 वें और 8 वें मद ए जी आर के स्टेटमेंट में शामिल किया जाना चाहिए जो एस यू सी के भुगतान के लिये विचार किया जाना है।
- बुनियादी ढ़ांचे को साझा करने के संबंध में, बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च किये गये खर्च में प्रतिपूर्ति का गठन नहीं किया गया था, क्योंकि उन्हें टावरों को साझा किया गया था या नहीं इसके बावजूद खर्च करना था। वास्तव में, व्यय साझा करके प्रबंधन को अतिरिक्त आय का लाभ हुआ।

एस यू सी के लिए ए जी आर में ₹ 56.37 करोड़ की आधारभूत हिस्सेदारी के राजस्व का गैर–विचार विमर्श के कारण, ₹ 1.69 करोड़ का राजस्व दूरसंचार विभाग को कम भुगतान किया गया था (**अनुलग्नक-5.06**)।

5.3.4 एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिये ब्याज आय नहीं माना जाता है

लाइसेंस समझौते के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य के लिये जी आर ब्याज के कारण राजस्व में शामिल होगा। 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लिये क्यू टी एल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 2006-07 से 2008-09 और 2014-15 के दौरान खातों की पुस्तकों में ₹ 2.71 करोड़ की ब्याज आय हुई थी जोकि एस यू सी के भुगतान के लिये विचार में नहीं लिया गया। आगे वर्ष 2014-15 में ब्याज आय ₹ 2.71 करोड़ में से ₹ 1.16 करोड़ को भी ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था और इसे भी एल एफ के भुगतान के लिये विचार नहीं किया गया था।

क्यू टी एल का उत्तर:-

- यद्यपि प्रबंधन जी आर के तहत निवेश और विविध आय को कमी विचार नहीं करता है, क्यू टी एल ने इसे आय माना है और एल एफ को भुगतान किया।
- निवेश और विविध आय पर एस यू सी को भुगतान न करने के संबंध में यह 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिये लागू नहीं है। 2009-10 वर्ष से स्पेक्ट्रम को क्यू टी एल को आवंटित किया गया है।
- दूरसंचार सेवाओं से राजस्व के हिस्से के रूप में ब्याज नहीं अर्जित किया गया है और इसलिये ए जी आर की गणना में नहीं माना गया है।
- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय टी डी सैट के समक्ष उक्त मुद्दे को चुनौती दी गई थी, 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के तहत ऑपरेटर के खिलाफ निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को प्रबंधन और दूरसंचार विभाग द्वारा चुनौती दी गई है। इसलिये यह मुद्दा न्यायालय के विचाराधीन है।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्यू टी एल ब्याज आय पर एल एफ और एस यू सी का भुगतान न करने पर प्रश्न स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- क्यू टी एल को अगस्त 2006 में सी डी एम ए स्पैक्ट्रम आवंटित किया गया था। क्यू टी एल 2007 से सी डी एम ए टेक्नोलॉजी के तहत् सेवा प्रदान कर रहा था। क्यू टी एल ने एस यू सी के लिये ए जी आर प्रस्तुत किया और ब्याज आय को छोड़कर एस यू सी का भुगतान भी किया। यह लाइसेंस समझौते के अनुसार नहीं था।
- जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उप न्यायिक है, तो लेखापरीक्षा का मानना है कि लाइसेंस समझौते के अनुसार, ब्याज आय को राजस्व गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

ए जी आर में ब्याज आय को विचार नहीं करने के वजह से एल एफ और एस यू सी को क्रमशः ₹ 0.09 करोड़ और ₹ 0.07 करोड़ की कम भुगतान क्यू टी एल द्वारा की गयी (**अनुलग्नक-5.07**)।

5.3.5 विविध आय को एल एफ और एस यू सी के भुगतान के लिये विचार नहीं करना

लाइसेंस समझौते के शर्तों के अनुसार, सकल राजस्व, ब्याज, लाभांश और अन्य कोई भी राजस्व बिना कोई सेट–ऑफ किये बिना राजस्व में शामिल होगा। वर्ष 2006-07 से 2008-09 और 2014-15 के क्यू टी एल के ए जी आर स्टेटमेंट के जॉच के दौरान पता चला कि विविध आय ₹ 8.79 करोड़ को एस यू सी के जी आर/ए जी आर से बाहर रखा

गया था। वर्ष 2014-15 में एल एफ के लिये ए जी आर में ₹ 8.79 करोड़ में से ₹ 0.10 करोड़ की विविध आय शामिल नहीं थी।

क्यू टी एल ने जवाब दिया कि:-

- यद्यपि प्रबंधन जी आर के तहत निवेश और विविध आय को कमी नहीं मानता है, क्यू टी एल ने इसे आय के रूप में माना है और एल एफ का भुगतान किया गया है।
- निवेश और विविध आय पर एस यू सी का भुगतान न करने के संबंध में यह वर्ष 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिये लागू नहीं है। वर्ष 2009-10 से स्पैक्ट्रम को क्यू टी एल को आवंटित किया गया है।
- विविध आय और स्क्रैप बिक्री लाभ को दूरसंचार सेवाओं से राजस्व के हिस्से के रूप में नहीं अर्जित किया गया है और इसलिये ए जी आर की गणना में नहीं माना गया है।
- यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय टी डी सैट के समक्ष उक्त मुद्दे को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत 23 अप्रैल 2015 के निर्णय के तहत ऑपरेटर के खिलाफ निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को कंपनी और दूरसंचार विभाग द्वारा चुनौती दी गई है, इसलिये यह मुद्दा उप–न्यायिक है।
- उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्यू टी एल विविध आय पर एल एफ और एस यू सी के गैर–भुगतान पर प्रश्न स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में, लेखापरीक्षा के विचार ऊपर पैरा 5.3.4 में प्रस्तुत किए गये है;
- जब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो लेखापरीक्षा का मानना है कि लाइसेंस समझौते के अनुसार विविध आय को राजस्व गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

विविध आय को जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं करने की वजह से, एल एफ और एस यू सी को क्रमशः ₹ 0.01 करोड़ और ₹ 0.18 करोड़ का कम भुगतान हुआ **(अनुलग्नक-5.08)**।

5.4 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर–भुगतान का ब्याज

उपरोक्त उठाये गये मामलों (पैरा 5.2.1 से 5.3.5) में एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 8.22 करोड़ एवं ₹ 4.82 करोड़ था। एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर निकाली गई ब्याज की राशि ₹ 13.58 करोड़ है **(अनुलग्नक-5.09)**। ब्याज की

गणना लाइसेंस समझौते में निर्धारित की गई दर जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेन्डिग दर से 2 प्रतिशत अधिक थी और विचारित अवधि सम्बन्धित वित्तिय वर्ष के अन्त से मार्च 2016 तक थी। लाइसेंस शर्तों के अनुसार ब्याज की गणना मासिक आधार पर की गई है।

5.5 राजस्व और लाइसेंस फीस के विवरण में घोषणा (ए जी आर विवरण)

यू ए एस एल समझौते में निर्धारित है कि आपरेटर कंपनी के खातों को उसके वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। समवर्ती रूप से इस समझौते पर लाइसेंसधारी गतिविधि से लाइसेंसधारी द्वारा राजस्व की मान्यता और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट और विशिष्ठ मानदंड/दिशा निर्देश भी प्रदान किए गये हैं। यू ए एस लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक–III में ये नियम विस्तृत रूप से, आवश्यक सूचनाओं की निर्धारित घोषणा जैसे निर्धारित अवधि के लिए बिल योग्य राशि, छूट/रीबेट का विवरण, घर और विजिटिंग ग्राहकों के कुल एअर टाइम यूनिट्स (मीटर युक्त यूनिट्स) और बिना बिल जारी वाले नम्बर (जैसे सर्विस कनेक्शन) आदि। लाइसेंस समझौते के नियम 20.2 और 20.6 के साथ दिये गये मानदंडों/दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से इंगित है कि लाइसेंसधारी कंपनी का विशेषाधिकार कंपनी अधिनियम, स्वीकार्य लेखा मानक इत्यादि के पालन करने के लिए अपने खाते के तैयार करने के लिया था। राजस्व हिस्सों के भुगतान के प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी कंपनी का ए जी आर, यू ए एस लाइसेंस में अपनाई गई राजस्व की परिभाषा के अनुसार गणना की जायगी।

- इस समझौते में यह भी कहा गया है कि *लाइसेंसधारी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ पत्र पर प्रमाणित पूरे खाते का राजस्व जैसा की शर्त 19 में परिभाषित किया गया है, प्रत्येक तिमाही के लिए अलग–अलग संबंधित तिमाही के भुगतान के साथ विवरण लाइसेंस प्रदाता को देने के लिए बाध्य होगा।* लाइसेंसधारक के वैधानिक लेखापरीक्षक जो कंपनी अधिनियम/प्रासंगिक लेखा मानदंडों आदि के प्रावधानों के अनुसार खातों को तैयार करते हैं को इसकी पुष्ठि भी देनी चाहिए कि राजस्व और लाइसेंस फीस का विवरण *लाइसेंस अनुबंध* ***(परिशिष्ट-1 से अनुलग्नक–II)*** *में निहित मानदंडों/दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।*

- रिपोर्ट में बताए गये राजस्व को घटाकर दिखाने की घटानाओं से यह पुष्ठि होगी कि क्यू टी एल द्वारा लाइसेंस फीस और एस यू सी के भुगतान के लिए चिन्हित राजस्व लाइसेंस शर्तों के अनुसार नहीं था और न ही खातों की तैयारी पूरी तरह दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में थी। यद्यपि प्रबंधन द्वारा यह कहा गया था कि राजस्व का भुगतान छूट में से किया गया था, इसका विवरण लाइसेंस अनुबंध द्वारा अपेक्षित क्यू टी एल के वार्षिक खातों में कभी नहीं देखा गया था। प्रबंधन ने यह भी सूचित किया कि बिलयोग्य राजस्व को ए एस-9 के साथ कुल मिलाकर दिखाया गया था और बिलयोग्य राशि पर कोई छूट नहीं दी गयी थी। प्रबंधन का तर्क विश्वसनीय नहीं था क्योंकि खातों की तैयारी के दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारक की सेवा आय को सकल तथा छूट/रिबेट

विवरण के साथ अलग–अलग दिखाया जाना था। लाइसेंस प्रदाता के साथ सभी अपेक्षित सूचनाओं को साझा करने/प्रकट करने की लाइसेंसधारक की अनिच्छा को दूरसंचार विभाग द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। यद्यपि जी आर की गणना लाइसेंस अनुबंधों के अनुपालन में नहीं था, वैधानिक लेखापरीक्षक ने हमेशा प्रमाणित किया था कि लाइसेंस अनुबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों/मानदंडों के अनुसार खाते तैयार किये गये थे। इसके अलावा लाइसेंस अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि लाइसेंसधारी कंपनियों के दूरसंचार विभाग के कंपनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा शपथ पत्र पर प्रमाणित विवरण जिसमें राजस्व का पूरा खाता जैसा शर्त 19 में परिभाषित किया गया है प्रत्येक तिमाही के लिए अलग–अलग ऐसे भुगतान विविरण के साथ जहां कंपनी अनुपालन में असफल रही और दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस अनुबंधों में निर्धारित शर्तों के अनुसार राजस्व की घोषणा के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया। यद्यपि संचार खातों के नियन्त्रकों के कार्यालय को आपरेटरों द्वारा अपने ए जी आर तक पहुंचने के लिए दावा किया गया। कटौती की शुद्धता की पुष्ठि के लिए स्थापित किया गया है। लाइसेंस शर्तों की स्थापित व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जी आर की रिर्पोटिंग ठीक हो।

5.6 लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर दूरसंचार विभाग/क्यू टी एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स क्यू टी एल द्वारा देय राजस्व हिस्से पर आडिट की टिप्पणियाँ दिसम्बर 2016 के दौरान दूरसंचार विभाग और क्यू टी एल के लिए अपनी आगे की रिपोर्ट के लिए भेजी गई थी। क्यू टी एल ने एक बार फिर कहा (जनवरी 2017) की लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा प्रेक्षण के उत्तर दे दिये गये थे।

दूरसंचार विभाग ने कहा (फरवरी 2017) कि:-

- जी आर और ए जी आर की बुनियादी परिभाषा को 2002-03 में टी एस पी द्वारा चुनौती दी गयी थी। तब से लम्बी मुकदमेबाजी की गई है और आज तक जारी है।
- दूरसंचार विभाग वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टी एस पी के खिलाफ अपील में है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार विभाग को लाइसेंस समझौते के आधार पर टी एस पी की मांग जारी करने की अनुमति दी गई थी।
- लाइसेंस समझौते और दूरंसचार विभाग के नियमावली निर्णयों के अनुसार सी ए जी द्वारा अंतिम आंकड़ों के आधार पर मांगों को उठाया जाएगा।

दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया यह साबित करती है कि एन टी पी-1999 के हिस्से के रूप में राजस्व हिस्सेदारी शुरू की गई थी, लेकिन विभाग अपने कार्यान्वयन के 17 सालों से अधिक के बाद भी लाईसेंस समझौते पर विचार किए गए अपने उचित राजस्व हिस्से पर ध्यान नहीं दिया गया।

यह उल्लेख करने के लिए उचित होगा कि जब सरकार ने अप्रैल 2004 से प्रभावी सभी ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस फीस दो प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया, तो दूरसंचार विभाग ने उम्मीद जताई कि ऑपरेटरों को सरकार के खिलाफ चुनौतियों के वापस लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हालांकि, लाइसेंस फीस में कमी की उम्मीद नहीं थी और ऑपरेटर्स जी आर/ए जी आर और डिमांड नोट्स की परिभाषा को चुनौती देने वाले सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी जारी रखते है। इस प्रकार पी एस पी को लाइसेंस फीस की दर में कमी का लाभ मिला, लेकिन सरकार को मुकदमेबाजी में कमी का पारस्परिक लाभ नहीं मिला।

अध्याय - VI

रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) द्वारा साझा किया गया राजस्व

6.1 प्रस्तावना

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, (आर जे आई एल) रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी (आर आई एल), को 15 फरवरी 2007 को प्रारम्भ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (आई बी एस पी एल) के रूप में निगमित किया गया था। जुलाई 2010 में, कम्पनी ने अपना नाम बदल कर इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड (आई बी एस एल) किया एवं पुनः (जनवरी 2013) में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) कर दिया। आर जे आई एल के पूर्ण स्वामित्व में दो कंपनियां थीं, जो कि इन्फोटेल टेलीकॉम, सर्विस लिमिटेड और रैनकोर टैक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड थी। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार अप्रैल 2013 में दोनों सहायक कम्पनियों को आर जे आई एल के साथ समामेलित किया गया था। वर्तमान में, आर जे आई एल के पास चार[1] सहायक है।

6.1.1 आर जे आई एल को लाइसेंस दिये गये

दू वि द्वारा आर जे आई एल (पूर्व में आइ बी एस एल) को दिये गये लाइसेंसों का विवरण निम्नलिखित है:-

तालिका 6.1

क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	सेवा क्षेत्र	प्रभावी तारीख	टिप्पणियां
1	आई एस पी-आई टी	पैन इण्डिया	15 नवम्बर 2007	आई बी एस पी एल द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये गये। आर जे आई एल द्वारा यूनिफाइड लाइसेंस 21 अक्टूबर 2013 से लाइसेंस में स्थानांतरित होने बाद लाइसेंस रद्द किए गए।
2	आई पी-1 पंजीकरण	पैन इण्डिया	23 जून 2011	आई बी एस एल द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए।
3	एन एल डी	पैन इण्डिया	14 फरवरी 2012	आर जे आई एल की सहायक, इन्फोटेल टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए। आर जे आई एल में सम्मिलित होने के बाद, लाइसेंस रद्द किए गये।
4	आई एल डी			
5	यूनिफाइड लाइसेंस	पैन इण्डिया	21 अक्टूबर 2013	जी एम पी सी एस[2] को छोड़कर सभी सेवाऐं।

[1] रिलायंस जियो इन्फोकॉम पी टी ई लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम यू एस ए इंक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम यू के लिमिटेड एवं रिलायंस जियो ग्लोबल रिसोर्स एल एल सी।

[2] सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन।

6.1.2 आर जे आई एल को आबंटित स्पैक्ट्रम

मार्च 2015 तक आर जे आई एल (पूर्व में आई बी एस एल) को आबंटित स्पैक्ट्रम के विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका 6.2

क्र. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	मुख्य रेडियो स्पैक्ट्रम (मेगा–हर्ट्ज)	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस स्पैक्ट्रम (बी डब्ल्यू ए) (मेगाहर्ट्ज)	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पैक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)[3]
1	आन्ध्र प्रदेश	11.60	20	224
2	असम	10.80	20	168
3	बिहार	-	20	168
4	दिल्ली	10.80	20	224
5	गुजरात	12.00	20	224
6	हरियाणा	-	20	168
7	हिमाचल प्रदेश	-	20	168
8	जम्मू एवं कश्मीर	-	20	168
9	कर्नाटक	10.00	20	224
10	केरल	10.00	20	168
11	कोलकाता	10.00	20	224
12	मध्यप्रदेश	12.80	20	168
13	महाराष्ट्र	10.00	20	224
14	मुम्बई	13.20	20	224
15	उत्तर पूर्व	12.80	20	168
16	उड़ीसा	10.00	20	168
17	पंजाब	-	20	168
18	राजस्थान	-	20	168
19	तमिलनाडु (चैन्नई सहित)	12.40	20	224
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	-	20	168
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	20	168
22	पश्चिम बंगाल	11.20	20	168

[3] एक कैरियर=56 मेगाहर्ट्ज

6.1.3 आर जे आई एल द्वारा सूचित राजस्व तथा राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, आई एस पी, एन एल डी तथा एक्सेस सेवाओं के लिए आर जे आई एल का जी आर, कटौतियां और ए जी आर का विवरण निम्नलिखित है।

तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौती	ए जी आर	ए जी आर से जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2012-13	0.37	0.05	0.32	85.61	0.02*
2013-14	3.07	0.02	3.04	99.23	0.24*
2014-15	8.79	0.01	8.78	99.85	16.86

* चूंकि वर्ष 2014 में कम्पनी को एक्सेस स्पैक्ट्रम प्राप्त हुआ था इसमें केवल लाइसेंस फीस शामिल है।

वर्ष 2012-15 के दौरान आर जे आई एल ने एक्सेस सेवाओं से संबंधित अपनी वाणिज्यिक सेवायें शुरू नहीं की थी और इसलिए कोई भी अभिदाता नहीं था।

6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

6.2.1 एल एफ व एस यू सी के भुगतान हेतु जी आर/ए जी आर में विदेशी मुद्रा लाभ पर विचार नहीं किया जाना

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए आर जे आई एल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरणों और राजस्व मिलान विवरणों के साथ–साथ ए जी आर विवरणों से पता चलता है कि ₹ 63.77 करोड़ की वसूली गई विदेशी मुद्रा लाभ (2012-13 – ₹ 1.29 करोड़, 2013-14 – ₹ 41.67 करोड़ और 2014-15 – ₹ 20.81 करोड़) को राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिए ए जी आर में शामिल नहीं किया गया जिसके कारण लाइसेंस फीस का कम भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने विदेशी मुद्रा लाभ (वसूला गया तथा बिना वसूला गया दोनों) पर लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये मांग भी की थी। आगे यह भी बताया गया कि कम्पनी ने टी डी सैट के समक्ष डिमांड नोटिस को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की थी दी तथा टी डी सैट ने अपने आदेश में (दिसम्बर 2015) विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से उत्पन्न लाभ के कारण अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये वाद–विवाद वाली मांग को रद्द कर दिया था।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:

- लेखापरीक्षा ने केवल वसूले गये लाभ पर विचार किया है;
- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, किसी अन्य विविध राजस्व को जी आर में सम्मिलित किया जायेगा तथा लेखापरीक्षा का मत है कि पी एस पी के किसी आकस्मिक लाभ पर विचार जी आर हेतु किया जाना चाहिये क्योंकि पी एवं एल खाते में फोरेक्स लाभ की गणना आय के रूप में की गई है;
- यद्यपि मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों में विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से उद्भूत वसूले गये लाभ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

इस प्रकार, जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को शामिल न करना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था तथा परिणामस्वरूप ए जी आर में ₹ 63.77 करोड़ का कम अंकन हुआ तथा साथ ही एल एफ में भी ₹ 5.10 करोड़ का कम अंकन हुआ (**अनुलग्नक-6.01**)।

6.2.2 एल एफ व एस यू सी के अल्प भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज

लाइसेंस शर्तों में व्यवस्था है कि कथित वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लाइसेंस फीस के भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की विद्यमान मूल उधार दर से 2 प्रतिशत की दर पर ब्याज उगाहा जाये। चूंकि लाइसेंसधारक ने वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के लिये राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान ₹ 5.10 करोड़ कम किया था, 31 मार्च 2016 तक विलम्बित भुगतान पर उगाही योग्य ब्याज का हिस्सा ₹ 1.68 करोड़ था (**अनुलग्नक-6.01**)।

6.3 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दू वि/आर जे आई एल की प्रतिक्रिया

फरवरी 2017 के दौरान मैसर्स आर जे आई एल द्वारा भुगतान योग्य राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दू वि और आर जे आई एल को आगे की टिप्पणियों के लिए सूचित की गई थी। आर जे आई एल ने एक बार फिर (मार्च 2017) परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में की गई अधिकतर प्रस्तुतियों को दोहराया था। दू वि के उत्तर की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई 2017

(पी के तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट एवं अनुलग्नक

परिशिष्ट I

अ. सेवाओं की श्रेणी और लागू होने वाले एल एफ की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण

<table>
<tr><th rowspan="2">लाइसेंस का प्रकार</th><th rowspan="2">सेवा क्षेत्र की श्रेणी</th><th rowspan="2">सेवा क्षेत्र का नाम</th><th rowspan="2">2010-11</th><th rowspan="2">2011-12</th><th colspan="2">2012-13</th><th rowspan="2">2013-14 एवं 2014-15</th></tr>
<tr><th>01.04.12 से 30.06.12</th><th>01.07.12 से 31.03.13</th></tr>
<tr><td rowspan="3">यू एस ए</td><td>क</td><td>दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, तमिलनाडु (चैन्नई को छोड़कर), आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="8">8</td></tr>
<tr><td>ख</td><td>हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल</td><td colspan="2">8</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर पूर्व, उड़ीसा</td><td colspan="2" rowspan="5">6</td><td rowspan="5">6</td><td rowspan="5">7</td></tr>
<tr><td>एन एल डी</td><td colspan="2">ऑल इण्डिया</td></tr>
<tr><td>आई एल डी</td><td colspan="2">ऑल इण्डिया</td></tr>
<tr><td>वी एस ए टी</td><td colspan="2">सभी सेवा क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>आई एस पी-आई टी</td><td colspan="2">सभी सेवा क्षेत्र</td></tr>
<tr><td>आई एस पी</td><td colspan="2">सभी सेवा क्षेत्र</td><td colspan="2">₹1 केवल</td><td>₹1 केवल</td><td>4</td></tr>
</table>

ब. स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की दरों को दर्शाने वाला विवरण (एस यू सी)

<table>
<tr><th colspan="2">स्पेक्ट्रम की मात्रा</th><th rowspan="2">ए जी आर[1] के प्रतिशत के रूप में स्पेक्ट्रम शुल्क</th></tr>
<tr><th>जी एस एम (3जी सहित)</th><th>सी डी एम ए</th></tr>
<tr><td>2 x 4.4 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>2 x 5.0 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2 x 6.2 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>2 x 6.25 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2 x 8.2 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>2 x 7.5 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>5</td></tr>
<tr><td>2 x 10.2 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>2 x 10.0 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>6</td></tr>
<tr><td>2 x 12.2 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>2 x 12.5 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>7</td></tr>
<tr><td>2 x 15.2 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>2 x 15.0 मेगाहर्ट्ज तक</td><td>8</td></tr>
</table>

नोट

1. 1800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में फरवरी 2014 के दौरान नीलामी के जरिये हासिल स्पेक्ट्रम के लिये एस यू सी को ए जी आर के 5 प्रतिशत की दर से लेनी थी।
2. 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड और स्पेक्ट्रम में नीलामी के माध्यम से हासिल स्पेक्ट्रम के संयोजन के मामले में भारित औसत दर को अपनाया जाना था।
3. 2010 में नीलामी के माध्यम से प्राप्त 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में बी डब्ल्यू ए स्पेक्ट्रम के लिये एस यू सी पर ए जी आर का एक फीसदी का शुल्क लिया गया था।

[1] एस यू सी को सभी ऑपरेटरों द्वारा समान रूप से भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम पर एस यू सी को डी ओ टी के आदेश के अनुसार भुगतान किया जा रहा था।

परिशिष्ट II

विभिन्न लाईसेंसों के तहत सकल राजस्व की परिभाषा दिखाने वाले बयान

लाईसेंसों के प्रकार	सकल राजस्व की परिभाषा
यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेन्स (यू ए एस एल)	यू ए एस एल अनुबंध के खण्ड 19 के तहत ए जी आर निकालने के लिए जी आर एवं अनुमत्य वसूलियों को परिभाषित किया गया था। खण्ड 19.1, के अनुसार जी आर में विविध राजस्व सम्बन्धित मदों के खर्चों को घटाए (सेट ऑफ), बगैर इन्सटॉलेशन प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैंडसेट (अन्य किसी टर्मिनल उपस्कर आदि) की बिक्री ब्याज से राजस्व लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाऐं, अनुपूरक सेवाएं, एक्सेस या इन्टरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व इत्यादि शामिल हैं। जैसा कि अनुबंध के खण्ड 19.2 में यह उल्लेख किया गया है कि ए जी आर निकालने के लिए जी आर से निम्नलिखित को घटाया जायेगा :- i. भारत के अंदर अन्य योग्य /हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं वास्तविक भुगतान किया गया पी एस टी एन सम्बन्धित कॉल प्रभार (एक्सेस शुल्क); ii. अन्य योग्य /हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया वास्तविक रोमिंग राजस्व तथा iii. सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि सकल राजस्व में बिक्री कर एवं सेवा कर शामिल थे।
राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी)	एन एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर को एन एल डी अनुबंध के संलग्नक II के खण्ड 31 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि "राजस्व के प्रतिशत के लाइसेन्स शुल्क के रूप में लगाने के लिए राजस्व का अर्थ लाइसेंसधारक को लाइसेन्स के अंतर्गत एन एल डी सेवा प्रदान कराके प्राप्त हुआ कुल सकल उपार्जित राजस्व आय जिसमें अनुपूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं से एवं अवसंरचना की लीज पर देने से, ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त हुआ राजस्व शामिल होगा तथा इसमें से अन्य सेवा प्रदाताओं जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसधारक का एन एल डी नेटवर्क कॉल वहन के लिए अन्त:सम्बन्ध है, को देय पास थ्रू प्रकृति के घटक भाग द्वारा घटाया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आई एल डी)	आई एल डी सेवाओं के लिए जी आर को खण्ड 36 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि "सकल राजस्व के अन्तर्गत लाईसेंसधारक को उपार्जित सभी राजस्व जिसमें माल प्रदान करने से, सेवाएं प्रदान करने से, अवसंरचना की लीज पर देने से, इसके संसाधनों को इसरो द्वारा प्रयोग करने से, आवेदन शुल्क से, इन्सटॉलेशन प्रभार से, कॉल दरों से, विलम्ब शुल्क से यंत्रों की बिक्री आय से, (टर्मिनल उपस्कर, जिसमें ऐसेसरिज भी शामिल हैं;) हैंडसेटों से, बैंडविडथ से, मूल्य वर्धित सेवाओं से, आय सप्लीमेंटरी सेवाओं से, एक्सेस या अन्तःसम्बन्ध प्रभारों से, अवसंरचना आदि को भाड़े पर देने के लिए किसी प्रकार का लीज या किराया प्रभार से एवं अन्य विविध-मदों से, जिनमें ब्याज, लाभांश आदि शामिल हैं, सम्बन्धित मदों के लिए खर्चे को घटाऐ बिना (सेट-ऑफ) जो भी राजस्व प्राप्त हुए हैं शामिल होंगे। ए जी आर जो कि वह राजस्व है जिसके प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क लगाया जायेगा का अर्थ वह सकल राजस्व होगा जिसमें से निम्न घटाया गया हो: i. कॉल वहन हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया गया वास्तविक कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार शुल्क) ii. सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविकरूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि सकल राजस्व से घटक के रूप में सेवा कर एवं बिक्री कर शामिल थे।
इंटरनेट सेवाऐं	लाइसेन्स अनुबंध के अनुसार इंटरनेट सेवाओं जिसमें इन्टरनेट टेलीफोनी (आई एस पी आई टी) भी शामिल है, के लिए जी आर की परिभाषा यह बताती है कि "जी आर में अन्य विविध राजस्व आदि सम्बन्धित मदों को लिये खर्चे को घटाए (सेट ऑफ) बिना इन्टरनेट एक्सेस सेवा, इन्टरनेट कंटेंट सेवा, इन्टरनेट टेलीफोनी सेवा, इन्सटॉलेशन प्रभार, विलम्ब शुल्क, टर्मिनल उपस्कर के बिक्री से आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश मूल्य वर्धित सेवाएं, सप्लीमेंटरी सेवाएं, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व में समावेशित होगी। ए जी आर निकालने के उद्देश्य के लिए जी आर से निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा:- i. इंटरनेट एक्सेस से प्राप्त प्रभार, इन्टरनेट कन्टेन्ट एवं इन्टरनेट एक्सेस से सम्बन्धित प्रभार. ii. सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि जी आर में घटक के रूप में सेवा कर एवं बिक्री कर शामिल थे।
वैरी स्माल अप्रचर टर्मिनल (वी-सेट)	वी-सेट लाइसेन्स अनुबंध में विर्निदिष्ट जी आर की परिभाषा के अनुसार "सकल राजस्व के अन्तर्गत लाइसेंस धारक को उपार्जित सभी राजस्व जिसको उत्पाद प्रदान करने से सेवाऐं प्रदान करने से, अवसंरचना को लीज/भाड़े पर सेवाएं देने से, इसके संसाधनों को दूसरों द्वारा प्रयोग करने से, आवेदन शुल्क से, इन्सटॉलेशन

	प्रभार से, कॉल दरों से, विलम्ब शुल्क से यंत्रों की बिक्री के लाभ से, या किसी टर्मिनल उपस्कर जिसमें एसेसेरिज भी शामिल हैं की वी–सेट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर से वार्षिक रखरखाव संविदा/वार्षिक व्यापक रख–रखाव संविदा से प्राप्त शुल्क से, मूल्य वर्धित सेवाओं से, प्राप्त हुई आय से, सप्लीमेंटरी सेवाओं से एक्सेस या इंटरकनेक्शन प्रभार आदि से एवं अन्य विविध मदों से, जिनमें ब्याज, लाभांश आदि सहित हैं, सम्बन्धित मदों के लिए किसी खर्चे को घटाएं "सेट ऑफ" बिना, जो भी राजस्व प्राप्त हुए सभी शामिल हैं। वह आय जिसका प्रतिशत लाइसेंस शुल्क लगाया जायेगा वी एस ए टी सेवाऐं प्रदान करने के दौरान उपार्जित कुल सकल राजस्व होगी किन्तु इससे निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा:- i. अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनके नेटवर्क के साथ लाइसेंसधारक का नेटवर्क डाटा कैरेज के लिए अन्तःसम्बन्धित है, को किये गये पास थ्रू प्रकृति के प्रभार का वास्तविक भुगतान ii. सरकार को भुगतान किया गया सेवा कर, यदि सकल राजस्व में सेवा कर का घटक शामिल है।

परिशिष्ट III

लाइसेंस के भुगतान के लिए राजस्व की रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण विनिर्देश

विनियम
➢ लाइसेंसधारी कम्पनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए अलग से खाते रखे जाने चाहिए।
➢ राजस्व एवं देय लाइसेन्स शुल्क के अभिकलन को एक निर्धारित विवरण (ए जी आर विवरण) में दर्शाना चाहिए एवं इसकी लेखापरीक्षा कम्पनी एक्ट, 1956/2013 के धारा 224/139 के अंतर्गत नियुक्त लाइसेंसधारी के लेखापरीक्षकों द्वारा करायी जानी चाहिए।
➢ राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए ए जी आर का परिकलन करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को बाहर रखा जाएगा।
➢ कम्पनी एक्ट 1956/2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए लाइसेन्स शुल्क का अंतिम समायोजन लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित जी आर आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा
➢ सर्विस राजस्व (बिल योग्य) राशि को सकल दिखाया जाए एवं छूट/रिबेट के ब्यौरे को अलग से दर्शाया जाए। ➢ सेवा कर एवं बिक्री कर जिसको संग्रह किया जाए एवं सरकार को जमा किया गया, अलग से दिखाया जाएगा। ➢ बिक्री को सकल दिखाना है तथा दिए गए छूट/रिबेट के ब्यौरे एवं बिक्री विवरणी को अलग से दिखाया जाए। ➢ बिना उनसे सम्बन्धित व्ययों को घटाए हुए (सेट-ऑफ) ब्याज एवं लाभांश से हुए आय को अलग से दिखाना है। ➢ आय मद वार ब्यौरे जिनको संबंधित खर्चे में से घटाना है। ➢ रोमिंग प्रभार से प्रचालक वार प्राप्य एवं देय राशि को, प्राप्त एवं अदा किए गए रोमिंग कमीशन को एवं अन्य प्रचालकों को दिये गए/संग्रह किए गए अन्य परिवर्ती प्रभारों को दर्शाना चाहिए। ➢ तिमाही विवरणों के आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा के आंकड़ों के लेखा समाधान को प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ सुपुर्द किया जाए।
➢ लाइसेंसर यदि इस मत पर पहुंचे कि पेश किए गए विवरण या लेखा सही नहीं हैं या भ्रामक हैं तो वे लाइसेंसधारी द्वारा वहन किए जाने वाले लागत पर लेखापरीक्षक नियुक्त कर लाइसेंसधारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश जारी कर सकते हैं एवं इन लेखापरीक्षकों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो कि कम्पनी एक्ट 1956/2013 के धारा 227/143 के अन्तर्गत कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों के पास होता है। लाइसेंसर लाइसेंसधारी कम्पनी के लेखाओं/अभिलेखों की विशेष लेखापरीक्षा भी करवा सकते हैं।
➢ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान एल एफ का भुगतान चार तिमाही किश्तों में किया जाएगा। यह शुल्क वास्तविक राजस्व के आधार पर भुगतान किया जाएगा। (उपार्जन के आधार पर)
➢ देय एल एफ के भुगतान में निर्धारित अवधि के बाद कोई विलम्ब होने पर वित्तीय वर्ष के आरम्भ में भारतीय स्टेट बैंक के प्राईम लेंडिंग दर (पी एल आर) से दो प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगेगा।
➢ यह ब्याज मासिक संयोजित किया जायेगा एवं ब्याज के परिकलन के लिए महीने के एक भाग को एक पूरा महीना माना जाएगा। एक महीने को एक अंग्रेजी कैलण्डर महीने के रूप में माना जाएगा।

अनुलग्नक -2.01 (पैरा 2.2.1)

डीलर्स/वितरकों को दिये गये छूट का ब्यौरा जिन्हें जी आर/ए जी आर के लिए राजस्व में शामिल नहीं किया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	वित्तीय वर्ष								
	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2834.46	283.45	100.62	4757.49	475.75	168.89	3917.75	362.39	139.08
असम	28.78	1.73	1.01	93.80	5.63	3.28	52.84	3.57	1.85
बिहार	1684.24	101.05	62.32	2578.02	154.68	95.39	1899.04	128.18	70.26
दिल्ली	2520.69	252.07	95.79	3825.64	382.56	145.37	2430.51	224.82	92.36
गुजरात	1301.87	130.19	48.17	2534.25	253.42	93.77	1882.77	174.16	69.66
हरियाणा	852.92	68.23	29.85	1797.05	143.76	62.90	1685.25	134.82	58.98
हिमाचल प्रदेश	114.19	6.85	4.23	250.65	15.04	9.27	162.72	10.98	6.02
जम्मू एवं कश्मीर	33.77	2.03	1.18	63.60	3.82	2.23	31.94	2.16	1.12
कर्नाटक	3264.95	326.50	120.80	5772.67	577.27	213.59	5214.84	482.37	192.95
केरल	1146.50	91.72	44.71	2074.94	166.00	80.92	1844.14	147.53	71.92
कोलकाता	1133.04	113.30	43.06	1742.27	174.23	66.21	1699.45	157.20	64.58
मध्यप्रदेश	436.30	34.90	16.14	1765.24	141.22	65.31	1754.62	140.37	64.92
उत्तर पूर्व	25.79	1.55	0.90	98.13	5.89	3.43	70.19	4.74	2.46
उड़ीसा	794.55	47.67	29.40	1471.38	88.28	54.44	1405.87	94.90	52.02
पंजाब	844.11	67.53	29.54	1713.44	137.08	59.97	1581.51	126.52	55.35
राजस्थान	1150.60	92.05	42.57	2111.58	168.93	78.13	1524.27	121.94	56.40
तमिलनाडु	2037.85	203.78	72.34	3738.09	373.81	132.70	4300.95	397.84	152.68
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1780.77	142.46	62.33	2952.78	236.22	103.35	2320.64	185.65	81.22
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1488.21	119.06	55.06	2982.54	238.60	110.35	2284.59	182.77	84.53
पश्चिम बंगाल	1473.38	117.87	57.46	1695.38	135.63	66.12	1062.40	84.99	41.43
कारपोरेट कार्यालय	6.64	0.59	0.00	0.14	0.01	0.00	0.31	0.03	0.00
कुल टी टी एस एल	**24953.61**	**2204.58**	**917.49**	**44019.10**	**3877.83**	**1615.63**	**37126.62**	**3167.93**	**1359.80**
महाराष्ट्र	1197.68	119.77	49.70	4391.64	439.16	182.25	3492.74	323.08	144.95
मुम्बई	876.08	87.61	38.99	2541.85	254.18	113.11	2339.39	216.39	104.10
कुल टी टी एम एल	**2073.76**	**207.38**	**88.69**	**6933.49**	**693.35**	**295.37**	**5832.13**	**539.47**	**249.05**
कुल योग	**27027.37**	**2411.96**	**1006.18**	**50952.58**	**4571.17**	**1910.99**	**42958.74**	**3707.40**	**1608.85**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2858.89	228.71	101.49	2767.93	221.43	98.26	17136.52	1571.73	608.35
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.43	10.92	6.14
बिहार	1452.46	116.20	53.74	1141.26	91.30	42.23	8755.02	591.42	323.94
दिल्ली	1882.65	150.61	71.54	1475.42	118.03	56.07	12134.91	1128.10	461.13
गुजरात	1663.84	133.11	61.56	1785.62	142.85	66.07	9168.35	833.72	339.23
हरियाणा	1620.43	129.63	56.71	1908.65	152.69	66.80	7864.30	629.14	275.25
हिमाचल प्रदेश	88.38	7.07	3.27	53.91	4.31	1.99	669.86	44.26	24.78
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.31	8.00	4.53
कर्नाटक	4808.08	384.65	177.90	5503.24	440.26	203.62	24563.78	2211.04	908.86
केरल	1623.63	129.89	61.91	1688.73	135.10	59.95	8377.94	670.24	319.42
कोलकाता	1575.46	126.04	59.87	1418.98	113.52	53.92	7569.20	684.29	287.63
मध्यप्रदेश	1815.09	145.21	67.16	2357.92	188.63	87.24	8129.18	650.33	300.78
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10	12.17	6.79
उड़ीसा	1216.51	97.32	45.01	1391.15	111.29	51.47	6279.47	439.47	232.34
पंजाब	1425.06	114.00	49.88	1659.15	132.73	58.07	7223.27	577.86	252.81
राजस्थान	723.21	57.86	26.76	562.72	45.02	20.82	6072.37	485.79	224.68
तमिलनाडु	4208.73	336.70	149.41	4225.14	338.01	149.99	18510.75	1650.14	657.13
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2098.42	167.87	73.44	2090.38	167.23	73.16	11243.00	899.44	393.50
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1995.46	159.64	73.83	2079.68	166.37	76.95	10830.49	866.44	400.73
पश्चिम बंगाल	553.73	44.30	21.60	344.14	27.53	13.42	5129.02	410.32	200.03
कारपोरेट कार्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	0.63	0.00
कुल टी टी एस एल	**31610.02**	**2528.80**	**1155.08**	**32454.01**	**2596.32**	**1180.04**	**170163.36**	**14375.46**	**6228.05**
महाराष्ट्र	3415.05	273.20	141.72	3692.03	295.36	153.22	16189.15	1450.58	671.85
मुम्बई	2210.99	176.88	98.39	2238.86	179.11	99.63	10207.17	914.17	454.22
कुल टी टी एम एल	**5626.04**	**450.08**	**240.11**	**5930.90**	**474.47**	**252.85**	**26396.31**	**2364.75**	**1126.07**
कुल योग	**37236.06**	**2978.88**	**1395.20**	**38384.91**	**3070.79**	**1432.89**	**196559.67**	**16740.21**	**7354.12**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	1701.63	143.75	62.28
टी टी एम एल	263.96	23.65	11.26
कुल योग	**1965.60**	**167.40**	**73.54**

अनुलग्नक -2.02 (पैरा 2.2.1)

राजस्व से हटाये गये कमीशन के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2109.79	210.98	74.90
असम	42.88	2.57	1.50
बिहार	1028.80	61.73	38.07
दिल्ली	1824.68	182.47	69.34
गुजरात	657.32	65.73	24.32
हरियाणा	735.54	58.84	25.74
हिमाचल प्रदेश	63.48	3.81	2.35
जम्मू एवं कश्मीर	47.27	2.84	1.65
कर्नाटक	2097.92	209.79	77.62
केरल	941.58	75.33	36.72
कोलकाता	644.73	64.47	24.50
मध्यप्रदेश	924.11	73.93	34.19
उत्तर पूर्व	48.54	2.91	1.70
उड़ीसा	514.86	30.89	19.05
पंजाब	677.85	54.23	23.72
राजस्थान	660.33	52.83	24.43
तमिलनाडु	1175.85	117.59	41.74
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	655.13	52.41	22.93
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	911.83	72.95	33.74
पश्चिम बंगाल	393.85	31.51	15.36
कारपोरेट कार्यालय	39.24	3.51	0.00
कुल टी टी एस एल	**16195.59**	**1431.31**	**593.58**
महाराष्ट्र	305.93	30.59	12.70
मुम्बई	180.05	18.00	8.01
कुल टी टी एम एल	**485.97**	**48.60**	**20.71**
कुल योग	**16681.56**	**1479.91**	**614.29**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	161.96	14.31	5.94
टी टी एम एल	4.86	0.49	0.20
कुल योग	**166.82**	**14.80**	**6.14**

अनुलग्नक - 2.03 (पैरा 2.2.2)

अभिदाताओं को दिये गये एफ ए टी/एफ टी टी के ब्यौरे जिन्हें कि जी आर/ए जी आर हेतु विचार में नहीं लिया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	3469.81	346.98	123.18	4546.82	454.68	161.41	3677.08	340.13	130.54
असम	95.31	5.72	3.34	127.73	7.66	4.47	37.78	2.55	1.32
बिहार	1746.86	104.81	64.63	3064.83	183.89	113.40	3773.67	254.72	139.63
दिल्ली	2478.64	247.86	94.19	2720.41	272.04	103.38	1531.24	141.64	58.19
गुजरात	1858.90	185.89	68.78	2389.94	238.99	88.43	2049.52	189.58	75.83
हरियाणा	1212.67	97.01	42.44	1439.00	115.12	50.36	1500.48	120.04	52.52
हिमाचल प्रदेश	133.76	8.03	4.95	157.54	9.45	5.83	111.63	7.53	4.13
जम्मू एवं कश्मीर	158.33	9.50	5.54	169.20	10.15	5.92	92.90	6.27	3.25
कर्नाटक	2039.40	203.94	75.46	3069.45	306.94	113.57	3279.95	303.40	121.36
केरल	913.39	73.07	35.62	1092.47	87.40	42.61	998.52	79.88	38.94
कोलकाता	1276.82	127.68	48.52	1735.95	173.60	65.97	1915.72	177.20	72.80
मध्यप्रदेश	928.75	74.30	34.36	1724.48	137.96	63.81	2506.19	200.49	92.73
उत्तर पूर्व	29.82	1.79	1.04	38.11	2.29	1.33	22.68	1.53	0.79
उड़ीसा	476.64	28.60	17.64	657.00	39.42	24.31	1410.72	95.22	52.20
पंजाब	1387.07	110.97	48.55	1529.83	122.39	53.54	1256.79	100.54	43.99
राजस्थान	535.88	42.87	19.83	868.75	69.50	32.14	603.61	48.29	22.33
तमिलनाडु	1796.81	179.68	63.79	1893.33	189.33	67.21	2382.77	220.41	84.59
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	907.43	72.59	31.76	1475.12	118.01	51.63	2016.00	161.28	70.56
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	819.00	65.52	30.30	1204.98	96.40	44.58	1905.67	152.45	70.51
पश्चिम बंगाल	501.86	40.15	19.57	751.40	60.11	29.30	1859.09	148.73	72.50
कुल टी टी एस एल	**22767.16**	**2026.97**	**833.49**	**30656.32**	**2695.34**	**1123.21**	**32932.00**	**2751.90**	**1208.70**
महाराष्ट्र	552.14	55.21	22.91	2468.95	246.90	102.46	3086.12	285.47	128.07
मुम्बई	870.36	87.04	38.73	2698.13	269.81	120.07	2613.45	241.74	116.30
कुल टी टी एम एल	**1422.50**	**142.25**	**61.64**	**5167.08**	**516.71**	**222.53**	**5699.58**	**527.21**	**244.37**
कुल योग	**24189.66**	**2169.22**	**895.13**	**35823.40**	**3212.04**	**1345.74**	**38631.58**	**3279.11**	**1453.08**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	3269.16	261.53	116.06	4318.59	345.49	153.31	19281.46	1748.81	684.49
असम	-	-	-	-	-	-	260.82	15.93	9.13
बिहार	2058.25	164.66	76.16	1728.86	138.31	63.97	12372.48	846.39	457.78
दिल्ली	1410.38	112.83	53.59	1285.14	102.81	48.84	9425.81	877.19	358.18
गुजरात	2303.61	184.29	85.23	2893.05	231.44	107.04	11495.02	1030.20	425.32
हरियाणा	1396.13	111.69	48.86	1910.00	152.80	66.85	7458.29	596.66	261.04
हिमाचल प्रदेश	79.69	6.38	2.95	59.76	4.78	2.21	542.37	36.17	20.07
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-	420.43	25.92	14.71
कर्नाटक	2707.11	216.57	100.16	4588.00	367.04	169.76	15683.91	1397.89	580.30
केरल	810.34	64.83	30.90	1331.28	106.50	47.26	5145.99	411.68	195.33
कोलकाता	1146.05	91.68	43.55	1525.46	122.04	57.97	7599.99	692.20	288.80
मध्यप्रदेश	2892.79	231.42	107.03	3520.31	281.62	130.25	11572.51	925.80	428.18
उत्तर पूर्व	(879.22)	(70.34)	(26.38)	(197.81)	(15.82)	(5.93)	(986.42)	(80.56)	(29.14)
उड़ीसा	272.49	21.80	10.08	620.95	49.68	22.98	3437.80	234.72	127.20
पंजाब	(1602.54)	(128.20)	(56.09)	722.85	57.83	25.30	3294.01	263.52	115.29
राजस्थान	612.16	48.97	22.65	565.38	45.23	20.92	3185.78	254.86	117.87
तमिलनाडु	1506.96	120.56	53.50	1048.88	83.91	37.24	8628.74	793.89	306.32
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3414.11	273.13	119.49	4240.07	339.21	148.40	12052.73	964.22	421.85
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3031.46	242.52	112.16	1869.51	149.56	69.17	8830.62	706.45	326.73
पश्चिम बंगाल	1902.10	152.17	74.18	487.37	38.99	19.01	5501.82	440.15	214.57
कुल टी टी एस एल	**26331.02**	**2106.48**	**974.10**	**32517.65**	**2601.41**	**1184.53**	**145204.15**	**12182.09**	**5324.03**
महाराष्ट्र	6803.75	544.30	282.36	6365.18	509.21	264.15	19276.14	1641.09	799.96
मुम्बई	9598.70	767.90	427.14	8114.24	649.14	361.08	23894.89	2015.63	1063.32
कुल टी टी एम एल	**16402.45**	**1312.20**	**709.50**	**14479.42**	**1158.35**	**625.24**	**43171.03**	**3656.72**	**1863.28**
कुल योग	**42733.48**	**3418.68**	**1683.60**	**46997.07**	**3759.77**	**1809.77**	**188375.18**	**15838.81**	**7187.31**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	1452.04	121.82	53.24
टी टी एम एल	431.71	36.57	18.63
कुल योग	**1883.75**	**158.39**	**71.87**

अनुलग्नक -2.04 (पैरा 2.2.3)

राजस्व से हटाये गये गुडविल व संग्रह के भुगतान वेवर्स के समायोजन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवा क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	266.74	26.67	9.47	258.56	25.86	9.18	428.70	39.65	15.22
असम	4.05	0.24	0.14	10.12	0.61	0.35	15.20	1.03	0.53
बिहार	78.59	4.72	2.91	71.18	4.27	2.63	179.92	12.14	6.66
दिल्ली	398.69	39.87	15.15	197.74	19.77	7.51	598.60	55.37	22.75
गुजरात	177.46	17.75	6.57	243.18	24.32	9.00	321.82	29.77	11.91
हरियाणा	428.55	34.28	15.00	103.50	8.28	3.62	194.95	15.60	6.82
हिमाचल प्रदेश	19.86	1.19	0.73	15.57	0.93	0.58	30.93	2.09	1.14
जम्मू एवं कश्मीर	54.03	3.24	1.89	43.52	2.61	1.52	65.95	4.45	2.31
कर्नाटक	165.17	16.52	6.11	181.47	18.15	6.71	536.53	49.63	19.85
केरल	220.09	17.61	8.58	313.39	25.07	12.22	314.02	25.12	12.25
कोलकाता	88.71	8.87	3.37	89.49	8.95	3.40	182.52	16.88	6.94
मध्यप्रदेश	95.60	7.65	3.54	153.16	12.25	5.67	284.48	22.76	10.53
उत्तर पूर्व	1.98	0.12	0.07	14.42	0.87	0.50	12.95	0.87	0.45
उड़ीसा	65.46	3.93	2.42	56.21	3.37	2.08	197.12	13.31	7.29
पंजाब	346.51	27.72	12.13	145.66	11.65	5.10	373.20	29.86	13.06
राजस्थान	284.61	22.77	10.53	173.36	13.87	6.41	207.21	16.58	7.67
तमिलनाडु	79.71	7.97	2.83	323.83	32.38	11.50	575.07	53.19	20.41
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	133.37	10.67	4.67	89.16	7.13	3.12	173.32	13.87	6.07
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	296.09	23.69	10.96	180.14	14.41	6.67	262.55	21.00	9.71
पश्चिम बंगाल	32.05	2.56	1.25	21.58	1.73	0.84	29.93	2.39	1.17
कुल टी टी एस एल	**3237.31**	**278.04**	**118.32**	**2685.24**	**236.49**	**98.62**	**4984.98**	**425.56**	**182.74**
महाराष्ट्र	71.26	7.13	2.96	330.66	33.07	13.72	587.53	54.35	24.38
मुम्बई	254.65	25.47	11.33	461.25	46.13	20.53	526.19	48.67	23.42
कुल टी टी एम एल	**325.91**	**32.59**	**14.29**	**791.92**	**79.19**	**34.25**	**1113.73**	**103.02**	**47.80**
कुल योग	**3563.23**	**310.63**	**132.60**	**3477.16**	**315.68**	**132.87**	**6098.70**	**528.58**	**230.53**

सेवा क्षेत्र का नाम	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	256.21	20.50	9.10	116.85	9.35	4.15	1327.06	122.03	47.11
असम	0.25	0.02	0.01	3.15	0.25	0.09	32.76	2.15	1.13
बिहार	131.30	10.50	4.86	81.42	6.51	3.01	542.42	38.15	20.07
दिल्ली	357.98	28.64	13.60	26.88	2.15	1.02	1579.90	145.80	60.04
गुजरात	79.28	6.34	2.93	37.00	2.96	1.37	858.74	81.13	31.77
हरियाणा	220.00	17.60	7.70	123.43	9.87	4.32	1070.45	85.64	37.47
हिमाचल प्रदेश	18.35	1.47	0.68	14.59	1.17	0.54	99.30	6.85	3.67
जम्मू एवं कश्मीर	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.52	10.31	5.72
कर्नाटक	168.19	13.46	6.22	92.36	7.39	3.42	1143.73	105.14	42.32
केरल	241.62	19.33	9.21	119.42	9.55	4.24	1208.55	96.68	46.51
कोलकाता	341.46	27.32	12.98	479.48	38.36	18.22	1181.66	100.38	44.90
मध्यप्रदेश	180.68	14.45	6.69	132.76	10.62	4.91	846.68	67.73	31.33
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.35	1.86	1.03
उड़ीसा	87.55	7.00	3.24	69.16	5.53	2.56	475.49	33.14	17.59
पंजाब	280.77	22.46	9.83	246.14	19.69	8.61	1392.28	111.38	48.73
राजस्थान	149.23	11.94	5.52	69.28	5.54	2.56	883.69	70.70	32.70
तमिलनाडु	188.79	15.10	6.70	77.52	6.20	2.75	1244.91	114.85	44.19
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	90.96	7.28	3.18	149.14	11.93	5.22	635.95	50.88	22.26
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	162.45	13.00	6.01	182.89	14.63	6.77	1084.12	86.73	40.11
पश्चिम बंगाल	26.55	2.12	1.04	0.73	0.06	0.03	110.83	8.87	4.32
कुल टी टी एस एल	**2981.66**	**238.53**	**109.49**	**2022.21**	**161.78**	**73.80**	**15911.41**	**1340.39**	**582.97**
महाराष्ट्र	221.68	17.73	9.20	31.82	2.55	1.32	1242.96	114.82	51.58
मुम्बई	211.73	16.94	9.42	28.53	2.28	1.27	1482.36	139.48	65.97
कुल टी टी एम एल	**433.42**	**34.67**	**18.62**	**60.35**	**4.83**	**2.59**	**2725.32**	**254.30**	**117.55**
कुल योग	**3415.08**	**273.21**	**128.12**	**2082.56**	**166.60**	**76.39**	**18636.73**	**1594.70**	**700.52**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	159.12	13.41	5.83
टी टी एम एल	27.25	2.54	1.18
कुल योग	**186.37**	**15.95**	**7.01**

अनुलग्नक -2.05 (पैरा 2.2.4)

इन्फ्रास्टेक्चर की हिस्सेदारी से राजस्व की कमी को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	357.90	35.79	12.71	342.12	34.21	12.15	356.27	32.96	12.65
असम	0.76	0.05	0.03	5.01	0.30	0.18	6.00	0.41	0.21
बिहार	8.78	0.53	0.32	36.75	2.20	1.36	200.32	13.52	7.41
दिल्ली	239.69	23.97	9.11	352.84	35.28	13.41	446.29	41.28	16.96
गुजरात	233.95	23.40	8.66	105.40	10.54	3.90	149.16	13.80	5.52
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	12.60	1.01	0.44	15.88	1.27	0.56
हिमाचल प्रदेश	6.09	0.37	0.23	4.43	0.27	0.16	0.57	0.04	0.02
जम्मू एवं कश्मीर	24.95	1.50	0.87	40.76	2.45	1.43	13.11	0.89	0.46
कर्नाटक	262.15	26.21	9.70	173.36	17.34	6.41	368.87	34.12	13.65
केरल	32.45	2.60	1.27	38.94	3.12	1.52	72.15	5.77	2.81
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	46.92	4.69	1.78	144.81	13.40	5.50
मध्यप्रदेश	254.65	20.37	9.42	119.41	9.55	4.42	190.26	15.22	7.04
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	7.45	0.45	0.26	22.57	1.52	0.79
उड़ीसा	49.62	2.98	1.84	43.28	2.60	1.60	75.69	5.11	2.80
पंजाब	33.33	2.67	1.17	12.83	1.03	0.45	14.89	1.19	0.52
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	76.04	6.08	2.81	37.29	2.98	1.38
तमिलनाडु	141.49	14.15	5.02	102.73	10.27	3.65	188.71	17.46	6.70
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	70.75	5.66	2.48	57.12	4.57	2.00	75.83	6.07	2.65
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.00	0.00	0.00	36.94	2.96	1.37	83.64	6.69	3.09
पश्चिम बंगाल	1.62	0.13	0.06	108.97	8.72	4.25	133.93	10.71	5.22
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.80	5.45	0.00
कुल टी टी एस एल	**1718.18**	**160.35**	**62.87**	**1723.90**	**157.63**	**63.54**	**2677.06**	**229.85**	**95.95**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	161.20	12.90	5.72	375.71	30.06	13.34	1593.21	145.91	56.56
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.77	0.75	0.41
बिहार	191.08	15.29	7.07	130.87	10.47	4.84	567.79	42.01	21.01
दिल्ली	301.10	24.09	11.44	333.56	26.68	12.68	1673.48	151.31	63.59
गुजरात	149.60	11.97	5.54	178.33	14.27	6.60	816.46	73.97	30.21
हरियाणा	17.87	1.43	0.63	18.34	1.47	0.64	64.69	5.17	2.26
हिमाचल प्रदेश	0.63	0.05	0.02	1.08	0.09	0.04	12.81	0.81	0.47
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.82	4.83	2.76
कर्नाटक	307.89	24.63	11.39	365.63	29.25	13.53	1477.89	131.55	54.68
केरल	78.17	6.25	2.98	128.30	10.26	4.55	350.01	28.00	13.13
कोलकाता	139.85	11.19	5.31	28.00	2.24	1.06	359.58	31.52	13.66
मध्यप्रदेश	173.85	13.91	6.43	120.80	9.66	4.47	858.96	68.72	31.78
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	1.97	1.05
उड़ीसा	94.58	7.57	3.50	82.73	6.62	3.06	345.91	24.87	12.80
पंजाब	12.95	1.04	0.45	13.31	1.07	0.47	87.31	6.98	3.06
राजस्थान	39.68	3.17	1.47	37.19	2.98	1.38	190.21	15.22	7.04
तमिलनाडु	159.57	12.77	5.66	183.22	14.66	6.50	775.73	69.30	27.54
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	63.22	5.06	2.21	53.78	4.30	1.88	320.70	25.66	11.22
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	76.88	6.15	2.84	96.21	7.70	3.56	293.68	23.49	10.87
पश्चिम बंगाल	102.66	8.21	4.00	194.58	15.57	7.59	541.77	43.34	21.13
एन एल डी	92.66	7.41	0.00	84.61	6.77	0.00	258.07	19.64	0.00
कुल टी टी एस एल	**2163.47**	**173.08**	**76.69**	**2426.26**	**194.10**	**86.19**	**10708.87**	**915.01**	**385.24**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	107.09	9.15	3.85

अनुलग्नक -2.06 (पैरा 2.2.5)

वास्तविक विदेशी मुद्रा लाभ के ब्यौरे जिन्हें जी आर/ए जी आर हेतु विचार में नहीं लिया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	597.70	59.77	21.22	966.83	96.68	34.32	287.46	26.59	10.20
असम	51.27	3.08	1.79	7.14	0.43	0.25	1.35	0.09	0.05
बिहार	181.96	10.92	6.73	95.76	5.75	3.54	137.39	9.27	5.08
दिल्ली	538.28	53.83	20.45	734.27	73.43	27.90	439.72	40.67	16.71
गुजरात	348.66	34.87	12.90	244.71	24.47	9.05	288.58	26.69	10.68
हरियाणा	115.94	9.28	4.06	76.65	6.13	2.68	61.98	4.96	2.17
हिमाचल प्रदेश	13.08	0.78	0.48	2.44	0.15	0.09	4.10	0.28	0.15
जम्मू एवं कश्मीर	13.95	0.84	0.49	29.73	1.78	1.04	23.65	1.60	0.83
कर्नाटक	451.93	45.19	16.72	334.21	33.42	12.37	111.91	10.35	4.14
केरल	102.61	8.21	4.00	84.78	6.78	3.31	75.21	6.02	2.93
कोलकाता	26.42	2.64	1.00	230.12	23.01	8.74	46.85	4.33	1.78
मध्यप्रदेश	264.59	21.17	9.79	510.09	40.81	18.87	743.99	59.52	27.53
उत्तर पूर्व	33.28	2.00	1.16	4.45	0.27	0.16	8.35	0.56	0.29
उड़ीसा	68.84	4.13	2.55	41.89	2.51	1.55	21.35	1.44	0.79
पंजाब	141.06	11.29	4.94	124.27	9.94	4.35	22.48	1.80	0.79
राजस्थान	161.95	12.96	5.99	249.08	19.93	9.22	128.44	10.28	4.75
तमिलनाडु	241.90	24.19	8.59	346.56	34.66	12.30	85.13	7.87	3.02
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	206.09	16.49	7.21	156.69	12.54	5.48	44.83	3.59	1.57
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	234.80	18.78	8.69	413.29	33.06	15.29	18.02	1.44	0.67
पश्चिम बंगाल	133.02	10.64	5.19	22.55	1.80	0.88	41.25	3.30	1.61
कारपोरेट कार्यालय	6589.25	589.61	-	12893.43	1148.06	-	15683.50	1347.45	-
कुल टी टी एस एल	**10516.60**	**940.65**	**143.97**	**17568.94**	**1575.60**	**171.41**	**18275.54**	**1568.11**	**95.74**
महाराष्ट्र	13.80	1.38	0.57	165.03	16.50	6.85	759.66	70.27	31.53
मुम्बई	810.61	81.06	36.07	230.73	23.07	10.27	235.50	21.78	10.48
कारपोरेट	3129.94	312.99	-	3932.63	393.26	-	4482.77	414.66	-
कुल टी टी एम एल	**3954.36**	**395.44**	**36.65**	**4328.39**	**432.84**	**17.12**	**5477.93**	**506.71**	**42.01**
कुल योग	**14470.96**	**1336.09**	**180.61**	**21897.33**	**2008.44**	**188.52**	**23753.47**	**2074.81**	**137.75**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	409.67	32.77	14.54	824.05	65.92	29.25	3085.71	281.74	109.54
असम	46.47	3.72	1.39	0.53	0.04	0.02	106.76	7.36	3.50
बिहार	247.26	19.78	9.15	413.49	33.08	15.30	1075.86	78.80	39.81
दिल्ली	671.60	53.73	25.52	642.52	51.40	24.42	3026.39	273.06	115.00
गुजरात	149.33	11.95	5.53	1146.66	91.73	42.43	2177.94	189.71	80.58
हरियाणा	222.80	17.82	7.80	835.62	66.85	29.25	1313.00	105.04	45.95
हिमाचल प्रदेश	58.19	4.66	2.15	79.94	6.40	2.96	157.75	12.26	5.84
जम्मू एवं कश्मीर	56.59	4.53	1.70	0.00	0.00	0.00	123.93	8.74	4.05
कर्नाटक	139.03	11.12	5.14	122.80	9.82	4.54	1159.88	109.91	42.92
केरल	57.35	4.59	2.19	252.33	20.19	8.96	572.28	45.78	21.39
कोलकाता	239.71	19.18	9.11	589.36	47.15	22.40	1132.46	96.31	43.03
मध्यप्रदेश	200.37	16.03	7.41	603.23	48.26	22.32	2322.29	185.78	85.92
उत्तर पूर्व	3.03	0.24	0.09	5.31	0.42	0.16	54.42	3.49	1.86
उड़ीसा	111.10	8.89	4.11	115.01	9.20	4.26	358.19	26.17	13.25
पंजाब	193.56	15.48	6.77	273.45	21.88	9.57	754.82	60.39	26.42
राजस्थान	406.14	32.49	15.03	2416.85	193.35	89.42	3362.46	269.00	124.41
तमिलनाडु	160.36	12.83	5.69	373.43	29.87	13.26	1207.38	109.42	42.86
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	321.34	25.71	11.25	364.59	29.17	12.76	1093.54	87.48	38.27
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	93.08	7.45	3.44	539.15	43.13	19.95	1298.33	103.87	48.04
पश्चिम बंगाल	200.45	16.04	7.82	408.89	32.71	15.95	806.16	64.49	31.44
कारपोरेट कार्यालय	16726.72	1338.14	0.00	11655.63	932.45	0.00	63548.53	5355.71	0.00
कुल टी टी एस एल	**20714.16**	**1657.13**	**145.84**	**21662.85**	**1733.03**	**367.15**	**88738.09**	**7474.52**	**924.10**
महाराष्ट्र	1766.31	141.31	73.30	409.28	32.74	16.99	3114.09	262.20	129.23
मुम्बई	5700.66	456.05	253.68	1161.02	92.88	51.67	8138.53	674.85	362.16
कारपोरेट कार्यालय	22846.42	1827.71	0.00	2021.42	161.71	0.00	36413.19	3110.34	0.00
कुल टी टी एम एल	**30313.39**	**2425.07**	**326.98**	**3591.73**	**287.34**	**68.65**	**47665.80**	**4047.39**	**491.40**
कुल योग	**51027.55**	**4082.20**	**472.82**	**25254.58**	**2020.37**	**435.80**	**136403.89**	**11521.91**	**1415.50**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	887.38	74.75	9.24
टी टी एम एल	476.66	40.47	4.91
कुल योग	**1364.04**	**115.22**	**14.16**

अनुलग्नक -2.07 (पैरा 2.3.1)

ए जी आर की गणना हेतु निवेश की बिक्री पर लाभ के ब्यौरे को विचार में ना लेने से संबंधित विवरणी

(₹ लाख मे)

वर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
व्यवसायिक क्षेत्र	राशि	एल एफ	एस यू सी	राशि	एल एफ	एस यू सी	राशि	एल एफ	एस यू सी
आन्ध्र प्रदेश	336.44	33.64	11.94	356.36	35.64	12.65	771.11	71.33	27.37
असम	11.37	0.68	0.40	16.55	0.99	0.58	24.78	1.67	0.87
बिहार	119.81	7.19	4.43	140.63	8.44	5.20	284.15	19.18	10.51
दिल्ली	257.28	25.73	9.78	273.77	27.38	10.40	574.70	53.16	21.84
गुजरात	123.26	12.33	4.56	178.82	17.88	6.62	360.86	33.38	13.35
हरियाणा	87.25	6.98	3.05	108.06	8.65	3.78	248.35	19.87	8.69
हिमाचल प्रदेश	9.82	0.59	0.36	12.05	0.72	0.45	22.86	1.54	0.85
जम्मू एवं कश्मीर	11.69	0.70	0.41	13.03	0.78	0.46	18.43	1.24	0.64
कर्नाटक	270.53	27.05	10.01	348.43	34.84	12.89	815.42	75.43	30.17
केरल	81.02	6.48	3.16	105.04	8.40	4.10	218.79	17.50	8.53
कोलकाता	94.56	9.46	3.59	116.45	11.65	4.43	274.91	25.43	10.45
मध्यप्रदेश	111.05	8.88	4.11	160.31	12.82	5.93	317.75	25.42	11.76
उत्तर पूर्व	7.90	0.47	0.28	9.21	0.55	0.32	12.95	0.87	0.45
ऊड़ीसा	62.06	3.72	2.30	69.90	4.19	2.59	159.31	10.75	5.89
पंजाब	98.50	7.88	3.45	134.38	10.75	4.70	306.83	24.55	10.74
राजस्थान	74.94	6.00	2.77	125.29	10.02	4.64	291.55	23.32	10.79
तमिलनाडु	164.28	16.43	5.83	205.20	20.52	7.28	558.98	51.71	19.84
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	82.13	6.57	2.87	116.68	9.33	4.08	292.61	23.41	10.24
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	103.15	8.25	3.82	139.61	11.17	5.17	313.45	25.08	11.60
पश्चिम बंगाल	52.47	4.20	2.05	63.54	5.08	2.48	120.12	9.61	4.68
कुल	**2159.49**	**193.23**	**79.17**	**2693.32**	**239.82**	**98.74**	**5987.91**	**514.45**	**219.28**

वर्ष	2013-14			2014-15			कुल		
व्यवसायिक क्षेत्र	राशि	एल एफ	एस यू सी	राशि	एल एफ	एस यू सी	राशि	एल एफ	एस यू सी
आन्ध्र प्रदेश	847.23	67.78	30.08	822.65	65.81	29.20	3133.79	274.20	111.25
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.70	3.35	1.84
बिहार	251.94	20.16	9.32	210.67	16.85	7.79	1007.20	71.82	37.27
दिल्ली	596.27	47.70	22.66	593.70	47.50	22.56	2295.73	201.46	87.24
गुजरात	387.39	30.99	14.33	439.81	35.19	16.27	1490.15	129.76	55.14
हरियाणा	284.95	22.80	9.97	321.59	25.73	11.26	1050.20	84.02	36.76
हिमाचल प्रदेश	20.44	1.64	0.76	19.58	1.57	0.72	84.76	6.06	3.14
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14	2.73	1.51
कर्नाटक	939.93	75.19	34.78	1117.46	89.40	41.35	3491.75	301.91	129.19
केरल	231.47	18.52	8.82	255.53	20.44	9.07	891.85	71.35	33.68
कोलकाता	321.57	25.73	12.22	313.71	25.10	11.92	1121.21	97.35	42.61
मध्यप्रदेश	372.05	29.76	13.77	447.37	35.79	16.55	1408.53	112.68	52.12
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05	1.90	1.05
उड़ीसा	198.49	15.88	7.34	217.37	17.39	8.04	707.13	51.94	26.16
पंजाब	306.65	24.53	10.73	327.40	26.19	11.46	1173.77	93.90	41.08
राजस्थान	213.84	17.11	7.91	187.89	15.03	6.95	893.51	71.48	33.06
तमिलनाडु	680.67	54.45	24.16	715.89	57.27	25.41	2325.02	200.38	82.54
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	362.24	28.98	12.68	373.38	29.87	13.07	1227.04	98.16	42.95
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	340.33	27.23	12.59	350.14	28.01	12.96	1246.68	99.73	46.13
पश्चिम बंगाल	98.55	7.88	3.84	57.64	4.61	2.25	392.31	31.38	15.30
कुल	**6454.02**	**516.32**	**235.97**	**6771.79**	**541.74**	**246.84**	**24066.53**	**2005.57**	**880.00**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	240.67	20.06	8.80
टी टी एम एल	16.40	1.47	0.70
कुल योग	**257.07**	**21.52**	**9.50**

अनुलग्नक -2.08 (पैरा 2.3.2)

ब्याज आय के ब्यौरे जिन्हें ए जी आर की गणना हेतु विचार में नहीं लिया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

वर्ष	2010-11			2011-12			2012-13		
व्यवसायिक क्षेत्र	राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2028.00	202.80	71.99	1362.19	136.22	48.36	402.02	37.19	14.27
असम	68.54	4.11	2.40	63.25	3.80	2.21	12.92	0.87	0.45
बिहार	722.18	43.33	26.72	537.56	32.25	19.89	148.14	10.00	5.48
दिल्ली	1550.84	155.08	58.93	1046.51	104.65	39.77	299.62	27.71	11.39
गुजरात	742.98	74.30	27.49	683.56	68.36	25.29	188.13	17.40	6.96
हरियाणा	525.91	42.07	18.41	413.08	33.05	14.46	129.48	10.36	4.53
हिमाचल प्रदेश	59.18	3.55	2.19	46.08	2.76	1.70	11.92	0.80	0.44
जम्मू एवं कश्मीर	70.47	4.23	2.47	49.80	2.99	1.74	9.61	0.65	0.34
कर्नाटक	1630.68	163.07	60.34	1331.86	133.19	49.28	425.12	39.32	15.73
केरल	488.35	39.07	19.05	401.51	32.12	15.66	114.07	9.13	4.45
कोलकाता	569.99	57.00	21.66	445.15	44.52	16.92	143.33	13.26	5.45
मध्यप्रदेश	669.36	53.55	24.77	612.79	49.02	22.67	165.66	13.25	6.13
उत्तर पूर्व	47.61	2.86	1.67	35.21	2.11	1.23	6.75	0.46	0.24
उड़ीसा	374.11	22.45	13.84	267.21	16.03	9.89	83.06	5.61	3.07
पंजाब	593.77	47.50	20.78	513.67	41.09	17.98	159.97	12.80	5.60
राजस्थान	451.75	36.14	16.71	478.94	38.32	17.72	152.00	12.16	5.62
तमिलनाडु	990.24	99.02	35.15	784.39	78.44	27.85	291.42	26.96	10.35
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	495.05	39.60	17.33	446.01	35.68	15.61	152.55	12.20	5.34
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	621.78	49.74	23.01	533.65	42.69	19.75	163.42	13.07	6.05
पश्चिम बंगाल	316.25	25.30	12.33	242.87	19.43	9.47	62.62	5.01	2.44
कुल	**13017.05**	**1164.78**	**477.23**	**10295.28**	**916.71**	**377.44**	**3121.80**	**268.21**	**114.32**
मुम्बई	65.88	6.59	2.93	43.13	4.31	1.92	394.12	36.46	17.54
महाराष्ट्र	56.83	5.68	2.36	37.20	3.72	1.54	339.95	31.44	14.11
कुल	**122.71**	**12.27**	**5.29**	**80.34**	**8.03**	**3.46**	**734.06**	**67.90**	**31.65**

वर्ष	2013-14			2014-15			कुल		
व्यवसायिक क्षेत्र	राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	433.13	34.65	15.38	349.12	27.93	12.39	4574.45	438.78	162.39
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.71	8.78	5.06
बिहार	128.80	10.30	4.77	89.41	7.15	3.31	1626.09	103.04	60.17
दिल्ली	304.83	24.39	11.58	251.96	20.16	9.57	3453.76	331.99	131.24
गुजरात	198.05	15.84	7.33	186.65	14.93	6.91	1999.36	190.83	73.98
हरियाणा	145.67	11.65	5.10	136.48	10.92	4.78	1350.61	108.05	47.27
हिमाचल प्रदेश	10.45	0.84	0.39	8.31	0.66	0.31	135.93	8.62	5.03
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.87	7.86	4.55
कर्नाटक	480.51	38.44	17.78	474.23	37.94	17.55	4342.41	411.96	160.67
केरल	118.33	9.47	4.51	108.44	8.68	3.85	1230.71	98.46	47.52
कोलकाता	164.39	13.15	6.25	133.13	10.65	5.06	1456.00	138.57	55.33
मध्यप्रदेश	190.20	15.22	7.04	189.86	15.19	7.02	1827.88	146.23	67.63
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.57	5.42	3.13
उड़ीसा	101.47	8.12	3.75	92.25	7.38	3.41	918.09	59.58	33.97
पंजाब	156.77	12.54	5.49	138.94	11.12	4.86	1563.12	125.05	54.71
राजस्थान	109.32	8.75	4.04	79.74	6.38	2.95	1271.74	101.74	47.05
तमिलनाडु	347.98	27.84	12.35	303.81	24.30	10.79	2717.85	256.56	96.48
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	185.19	14.82	6.48	158.46	12.68	5.55	1437.26	114.98	50.30
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	173.99	13.92	6.44	148.59	11.89	5.50	1641.43	131.31	60.73
पश्चिम बंगाल	50.38	4.03	1.96	24.46	1.96	0.95	696.58	55.73	27.17
कुल	**3299.46**	**263.96**	**120.64**	**2873.84**	**229.91**	**104.76**	**32607.42**	**2843.56**	**1194.39**
मुम्बई	121.58	9.73	5.41	0.06	0.00	0.00	624.77	57.09	27.80
महाराष्ट्र	104.87	8.39	4.35	0.05	0.00	0.00	538.89	49.24	22.36
कुल	**226.45**	**18.12**	**9.76**	**0.11**	**0.01**	**0.00**	**1163.66**	**106.33**	**50.17**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	326.07	28.44	11.94
टी टी एम एल	11.64	1.06	0.50
कुल योग	**337.71**	**29.50**	**12.45**

अनुलग्नक -2.09 (पैरा 2.3.3)

विविध आय (अंचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ) जिन्हें ए जी आर की गणना हेतु विचार में नहीं लिया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	59.94	5.99	2.13	9.39	0.94	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15	3.45	1.53	112.48	10.39	3.99
असम	2.03	0.12	0.07	0.44	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.15	0.09
बिहार	21.35	1.28	0.79	3.70	0.22	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	0.88	0.41	36.10	2.39	1.34
दिल्ली	45.84	4.58	1.74	7.21	0.72	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.14	2.49	1.18	84.20	7.80	3.20
गुजरात	21.96	2.20	0.81	4.71	0.47	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07	1.85	0.85	49.74	4.51	1.84
हरियाणा	15.54	1.24	0.54	2.85	0.23	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87	1.35	0.59	35.26	2.82	1.23
हिमाचल प्रदेश	1.75	0.10	0.06	0.32	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.08	0.04	3.09	0.21	0.11
जम्मू एवं कश्मीर	2.08	0.12	0.07	0.34	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.15	0.08
कर्नाटक	48.20	4.82	1.78	9.18	0.92	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.62	4.69	2.17	116.00	10.43	4.29
केरल	14.43	1.15	0.56	2.77	0.22	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	1.07	0.48	30.61	2.45	1.15
कोलकाता	16.85	1.68	0.64	3.07	0.31	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	1.32	0.63	36.37	3.31	1.38
मध्यप्रदेश	19.79	1.58	0.73	4.22	0.34	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47	1.88	0.87	47.48	3.80	1.76
उत्तर पूर्व	1.41	0.08	0.05	0.24	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.10	0.06
उड़ीसा	11.06	0.66	0.41	1.84	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.91	0.42	24.30	1.69	0.90
पंजाब	17.55	1.40	0.61	3.54	0.28	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.17	1.37	0.60	38.26	3.06	1.34
राजस्थान	13.35	1.07	0.49	3.30	0.26	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86	0.79	0.36	26.51	2.12	0.98
तमिलनाडु	29.27	2.93	1.04	5.41	0.54	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55	3.00	1.33	72.23	6.47	2.56
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14.63	1.17	0.51	3.07	0.25	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59	1.57	0.69	37.29	2.98	1.31

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	18.38	1.47	0.68	3.68	0.29	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	1.47	0.68	40.42	3.23	1.50
पश्चिम बंगाल	9.35	0.75	0.36	1.67	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	0.24	0.12	14.04	1.12	0.55
कुल टी टी एस एल	**384.76**	**34.43**	**14.11**	**70.95**	**6.32**	**2.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355.22**	**28.42**	**12.95**	**810.93**	**69.16**	**29.66**
मुम्बई	1570.01	157.00	69.87	669.30	66.93	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2239.31	223.93	99.65
महाराष्ट्र	1354.20	135.42	56.20	577.30	57.73	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1931.50	193.15	80.16
कुल टी टी एम एल	**2924.21**	**292.42**	**126.06**	**1246.60**	**124.66**	**53.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4170.81**	**417.08**	**179.81**
कुल योग	**3308.98**	**326.85**	**140.17**	**1317.54**	**130.98**	**56.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355.22**	**28.42**	**12.95**	**4981.74**	**486.24**	**209.46**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	8.11	0.69	0.30
टी टी एम एल	41.71	4.17	1.80
कुल योग	**49.82**	**4.86**	**2.10**

अनुलग्नक -2.10 (पैरा 2.3.4)

विविध आय के ब्यौरे जिन्हें जी आर/ए जी आर के लिये विचार में नहीं लिया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	40.03	4.00	1.42	37.54	3.75	1.33	46.49	4.30	1.65
असम	1.35	0.08	0.05	1.74	0.10	0.06	1.49	0.10	0.05
बिहार	14.26	0.86	0.53	14.81	0.89	0.55	17.13	1.16	0.63
दिल्ली	30.61	3.06	1.16	28.84	2.88	1.10	34.65	3.21	1.32
गुजरात	14.67	1.47	0.54	18.84	1.88	0.70	21.76	2.01	0.81
हरियाणा	10.38	0.83	0.36	11.38	0.91	0.40	14.97	1.20	0.52
हिमाचल प्रदेश	1.17	0.07	0.04	1.27	0.08	0.05	1.38	0.09	0.05
जम्मू एवं कश्मीर	1.39	0.08	0.05	1.37	0.08	0.05	1.11	0.07	0.04
कर्नाटक	32.19	3.22	1.19	36.70	3.67	1.36	49.16	4.55	1.82
केरल	9.64	0.77	0.38	11.07	0.89	0.43	13.19	1.06	0.51
कोलकाता	11.25	1.13	0.43	12.27	1.23	0.47	16.58	1.53	0.63
मध्यप्रदेश	13.21	1.06	0.49	16.89	1.35	0.62	19.16	1.53	0.71
उत्तर पूर्व	0.94	0.06	0.03	0.97	0.06	0.03	0.78	0.05	0.03
उड़ीसा	7.38	0.44	0.27	7.36	0.44	0.27	9.61	0.65	0.36
पंजाब	11.72	0.94	0.41	14.16	1.13	0.50	18.50	1.48	0.65
राजस्थान	8.92	0.71	0.33	13.20	1.06	0.49	17.58	1.41	0.65
तमिलनाडु	19.55	1.95	0.69	21.62	2.16	0.77	33.70	3.12	1.20
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9.77	0.78	0.34	12.29	0.98	0.43	17.64	1.41	0.62
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12.27	0.98	0.45	14.71	1.18	0.54	18.90	1.51	0.70
पश्चिम बंगाल	6.24	0.50	0.24	6.69	0.54	0.26	7.24	0.58	0.28
कुल टी टी एस एल	**256.96**	**22.99**	**9.42**	**283.73**	**25.26**	**10.40**	**361.03**	**31.02**	**13.22**
महाराष्ट्र	71.76	7.18	2.98	27.13	2.71	1.13	3.28	0.30	0.14
मुम्बई	83.20	8.32	3.70	29.74	2.97	1.32	3.54	0.33	0.16
कुल टी टी एम एल	**154.97**	**15.50**	**6.68**	**56.87**	**5.69**	**2.45**	**6.82**	**0.63**	**0.29**
कुल योग	**411.92**	**38.49**	**16.10**	**340.59**	**30.95**	**12.85**	**367.85**	**31.65**	**13.51**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.83	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	124.89	12.12	4.43
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.29	0.16
बिहार	0.25	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	46.45	2.92	1.72
दिल्ली	0.58	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	94.69	9.20	3.60
गुजरात	0.38	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	55.64	5.39	2.06
हरियाणा	0.28	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	37.02	2.96	1.30
हिमाचल प्रदेश	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.24	0.14
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.87	0.24	0.14
कर्नाटक	0.92	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	118.97	11.51	4.40
केरल	0.23	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	34.12	2.73	1.33
कोलकाता	0.31	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	40.41	3.91	1.54
मध्यप्रदेश	0.36	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	49.62	3.97	1.84
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69	0.17	0.09
उड़ीसा	0.19	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	24.55	1.55	0.91
पंजाब	0.30	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	44.68	3.57	1.56
राजस्थान	0.21	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	39.90	3.19	1.48
तमिलनाडु	0.66	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	75.53	7.29	2.68
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.35	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	40.06	3.20	1.40
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.33	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	46.21	3.70	1.71
पश्चिम बंगाल	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27	1.62	0.79
कुल टी टी एस एल	**6.29**	**0.50**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**908.01**	**79.78**	**33.27**
महाराष्ट्र	9.30	0.74	0.39	7.27	0.58	0.30	118.74	11.52	4.93
मुम्बई	10.13	0.81	0.45	8.16	0.65	0.36	134.78	13.09	6.00
कुल टी टी एम एल	**19.44**	**1.55**	**0.84**	**15.43**	**1.23**	**0.66**	**253.52**	**24.60**	**10.93**
कुल योग	**25.73**	**2.06**	**1.07**	**15.43**	**1.23**	**0.66**	**1161.53**	**104.38**	**44.20**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	9.08	0.79	0.33
टी टी एम एल	2.54	0.25	0.11
कुल योग	**11.62**	**1.04**	**0.44**

अनुलग्नक -2.11 (पैरा 2.4.1)

सेवाओं से राजस्व के सम्बन्धित घटकों से समायोजित अशोध्य ऋण जो बट्टे खाते में डाले गये, के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवा क्षेत्र का नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2096.80	209.68	74.44	0.00	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	266.89	16.01	9.87	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	2600.93	260.09	98.84	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00	1258.83	125.88	46.58	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	229.18	18.33	8.02	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	46.11	2.77	1.71	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	1022.15	102.22	37.82	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	380.17	30.41	14.83	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	552.29	55.23	20.99	0.00	0.00	0.00
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	335.06	26.81	12.40	0.00	0.00	0.00
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	200.97	12.06	7.44	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	683.27	54.66	23.91	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	350.50	28.04	12.97	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	1757.25	175.72	62.38	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.00	0.00	0.00	539.14	43.13	18.87	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.00	0.00	0.00	404.96	32.40	14.98	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	251.81	20.14	9.82	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट कार्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल टी टी एस एल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12976.31**	**1213.59**	**475.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
महाराष्ट्र	6465.23	646.52	268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	17328.27	1732.83	771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट कार्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल टी टी एम एल	**23793.50**	**2379.35**	**1039.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**23793.50**	**2379.35**	**1039.42**	**12976.31**	**1213.59**	**475.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

सेवा क्षेत्र का नाम	2013-14			2014-15			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	8309.51	664.76	294.99	1422.08	113.77	50.48	11828.39	988.21	419.91
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	1636.82	130.95	60.56	386.55	30.92	14.30	2290.25	177.88	84.74
दिल्ली	7300.01	584.00	277.40	2046.97	163.76	77.78	11947.91	1007.85	454.02
गुजरात	2074.16	165.93	76.74	144.98	11.60	5.36	3477.97	303.41	128.68
हरियाणा	1017.13	81.37	35.60	364.33	29.15	12.75	1610.64	128.85	56.37
हिमाचल प्रदेश	228.52	18.28	8.46	130.75	10.46	4.84	405.37	31.51	15.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	6322.62	505.81	233.94	1220.85	97.67	45.17	8565.63	705.69	316.93
केरल	996.26	79.70	37.99	324.28	25.94	11.51	1700.71	136.06	64.33
कोलकाता	2147.96	171.84	81.62	841.41	67.31	31.97	3541.66	294.38	134.58
मध्यप्रदेश	927.59	74.21	34.32	397.59	31.81	14.71	1660.24	132.82	61.43
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओड़ीसा	508.10	40.65	18.80	131.06	10.48	4.85	840.12	63.19	31.08
पंजाब	1629.11	130.33	57.02	832.24	66.58	29.13	3144.62	251.57	110.06
राजस्थान	1109.51	88.76	41.05	542.50	43.40	20.07	2002.52	160.20	74.09
तमिलनाडु	3886.34	310.91	137.97	655.81	52.46	23.28	6299.40	539.10	223.63
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1330.70	106.46	46.57	295.21	23.62	10.33	2165.05	173.20	75.78
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1320.49	105.64	48.86	887.55	71.00	32.84	2613.00	209.04	96.68
पश्चिम बंगाल	429.71	34.38	16.76	395.26	31.62	15.42	1076.77	86.14	41.99
कारपोरेट कार्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	895.27	71.62	0.00	413.53	33.08	0.00	1308.80	104.70	0.00
कुल टी टी एस एल	**42069.81**	**3365.58**	**1508.64**	**11432.96**	**914.64**	**404.81**	**66479.08**	**5493.81**	**2389.31**
महाराष्ट्र	8975.97	718.08	372.50	306.67	24.53	12.73	15747.88	1389.14	653.54
मुम्बई	2620.88	209.67	116.63	425.30	34.02	18.93	20374.45	1976.52	906.66
कारपोरेट कार्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल टी टी एम एल	**11596.85**	**927.75**	**489.13**	**731.97**	**58.56**	**31.65**	**36122.33**	**3365.66**	**1560.20**
कुल योग	**53666.66**	**4293.33**	**1997.78**	**12164.94**	**973.19**	**436.46**	**102601.41**	**8859.47**	**3949.51**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	664.79	54.94	23.89
टी टी एम एल	361.22	33.65	15.60
कुल योग	**1026.01**	**88.59**	**39.49**

अनुलग्नक -2.12 (पैरा 2.4.2)

लीज्ड लाईन व बंदरगाह शुल्क का ब्यौरा जिसको कि प्रवेश शुल्क के रूप में माना गया व जिसका सकल राजस्व में से कटौती का दावा किया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			कुल		
	जी आर/ए जी आर की राशि (एल एल एवं पोर्ट)	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि (एल एल एवं पोर्ट)	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि (एल एल एवं पोर्ट)	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	237.57	23.76	8.43	1233.86	123.39	43.80	1471.42	147.14	52.24
असम	283.54	17.01	9.92	154.82	9.29	5.42	438.37	26.30	15.34
बिहार	244.94	14.70	9.06	243.20	14.59	9.00	488.14	29.29	18.06
दिल्ली	460.73	46.07	17.51	405.43	40.54	15.41	866.16	86.62	32.91
गुजरात	370.37	37.04	13.70	361.87	36.19	13.39	732.24	73.22	27.09
हरियाणा	282.98	22.64	9.90	185.65	14.85	6.50	468.63	37.49	16.40
हिमाचल प्रदेश	58.11	3.49	2.15	43.39	2.60	1.61	101.50	6.09	3.76
जम्मू एवं कश्मीर	164.26	9.86	5.75	117.73	7.06	4.12	282.00	16.92	9.87
कर्नाटक	474.41	47.44	17.55	418.26	41.83	15.48	892.67	89.27	33.03
केरल	439.18	35.13	17.13	257.41	20.59	10.04	696.59	55.73	27.17
कोलकाता	192.73	19.27	7.32	285.28	28.53	10.84	478.00	47.80	18.16
मध्यप्रदेश	308.25	24.66	11.41	340.28	27.22	12.59	648.53	51.88	24.00
उत्तर पूर्व	389.50	23.37	13.63	351.06	21.06	12.29	740.56	44.43	25.92
उड़ीसा	289.09	17.35	10.70	170.13	10.21	6.29	459.21	27.55	16.99
पंजाब	215.76	17.26	7.55	148.29	11.86	5.19	364.06	29.12	12.74
राजस्थान	394.58	31.57	14.60	445.06	35.60	16.47	839.64	67.17	31.07
तमिलनाडु	666.47	66.65	23.66	234.29	23.43	8.32	900.75	90.08	31.98
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	252.76	20.22	8.85	225.59	18.05	7.90	478.35	38.27	16.74
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	271.05	21.68	10.03	261.42	20.91	9.67	532.47	42.60	19.70
पश्चिम बंगाल	161.18	12.89	6.29	320.25	25.62	12.49	481.43	38.51	18.78
कुल टी टी एस एल	**6157.47**	**512.05**	**225.15**	**6203.24**	**533.43**	**226.80**	**12360.71**	**1045.49**	**451.94**
महाराष्ट्र	1151.37	115.14	47.78	0.00	0.00	0.00	1151.37	115.14	47.78
मुम्बई	2713.58	271.36	120.75	0.00	0.00	0.00	2713.58	271.36	120.75
कुल टी टी एम एल	**3864.95**	**386.49**	**168.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3864.95**	**386.49**	**168.54**
कुल योग	**10022.41**	**898.55**	**393.68**	**6203.24**	**533.43**	**226.80**	**1225.65**	**1431.98**	**620.48**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	123.61	10.46	4.52
टी टी एम एल	38.65	3.86	1.68
कुल योग	**162.26**	**14.32**	**6.20**

अनुलग्नक -2.13 (पैरा 2.4.3)

एल एफ के लिए ए जी आर की गणना हेतु विचार किये गये राजस्व के ब्यौरे जिन्हें एस यू सी की गणना के लिए विचार नहीं किया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2010-11		2011-12		2012-13	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	6529.04	231.78	9531.06	338.35	5001.25	177.54
असम	-	-	-	-	208.27	7.29
बिहार	5479.23	202.73	4169.13	154.26	1816.80	67.22
दिल्ली	1914.68	72.76	3319.51	126.14	2336.86	88.80
गुजरात	3373.90	124.83	4323.38	159.97	4261.18	157.66
हरियाणा	868.94	30.41	760.98	26.63	703.86	24.64
हिमाचल प्रदेश	197.63	7.31	186.96	6.92	195.54	7.24
जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	773.71	27.08
कर्नाटक	11706.66	433.15	11458.37	423.96	8296.36	306.97
केरल	2846.19	111.00	3388.43	132.15	882.86	34.43
कोलकाता	2113.84	80.33	1750.57	66.52	1171.50	44.52
मध्यप्रदेश	1771.21	65.53	2696.84	99.78	1826.64	67.59
उत्तर पूर्व	-	-	-	-	640.64	22.42
उड़ीसा	1840.10	68.08	1701.03	62.94	781.85	28.93
पंजाब	531.82	18.61	1182.19	41.38	900.70	31.52
राजस्थान	681.51	25.22	1150.82	42.58	1145.22	42.37
तमिलनाडु	7163.89	254.32	9353.55	332.05	3175.21	112.72
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2672.59	93.54	3869.04	135.42	3090.58	108.17
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3015.36	111.57	3650.07	135.05	2526.30	93.47
पश्चिम बंगाल	4125.10	160.88	3587.96	139.93	1452.31	56.64
कुल टी टी एस एल	**56831.69**	**2092.06**	**66079.91**	**2424.03**	**41187.64**	**1507.22**
महाराष्ट्र	-	-	-	-	7209.40	216.28
मुम्बई	-	-	-	-	11837.57	355.13
कुल टी टी एम एल	**-**	**-**	**-**	**-**	**19046.96**	**571.41**
कुल योग	**56831.69**	**2092.06**	**66079.91**	**2424.03**	**60234.61**	**2078.63**

सेवायें/एल एस ए	2013-14		2014-15		कुल	
	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	4148.68	147.28	5320.01	188.86	30530.05	1083.82
असम	389.73	11.69	196.37	5.89	794.37	24.87
बिहार	1573.86	58.23	2329.60	86.20	15368.62	568.64
दिल्ली	2256.27	85.74	3021.04	114.80	12848.36	488.24
गुजरात	4280.67	158.38	5581.95	206.53	21821.08	807.38
हरियाणा	656.64	22.98	778.07	27.23	3768.49	131.90
हिमाचल प्रदेश	141.03	5.22	308.46	11.41	1029.63	38.10
जम्मू एवं कश्मीर	128.67	3.86	119.40	3.58	1021.78	34.52
कर्नाटक	6350.10	234.95	9556.00	353.57	47367.50	1752.60
केरल	1044.15	39.81	1370.55	48.65	9532.17	366.05
कोलकाता	867.60	32.97	1535.63	58.35	7439.14	282.69
मध्यप्रदेश	1659.95	61.42	2021.35	74.79	9975.99	369.11
उत्तर पूर्व	426.29	12.79	106.75	3.20	1173.68	38.41
ओड़ीसा	568.83	21.05	1008.30	37.31	5900.10	218.30
पंजाब	507.45	17.76	763.80	26.73	3885.96	136.01
राजस्थान	913.57	33.80	1305.91	48.32	5197.04	192.29
तमिलनाडु	3284.73	116.61	4562.82	161.98	27540.20	977.68
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3002.06	105.07	3916.17	137.07	16550.45	579.27
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2039.28	75.45	2703.37	100.02	13934.37	515.57
पश्चिम बंगाल	435.59	16.99	867.38	33.83	10468.33	408.27
कुल टी टी एस एल	**34675.15**	**1262.06**	**47372.92**	**1728.34**	**246147.31**	**9013.70**
महाराष्ट्र	5335.64	160.07	5634.24	169.03	18179.27	545.38
मुम्बई	7687.17	230.62	9370.61	281.12	28895.35	866.86
कुल टी टी एम एल	**13022.81**	**390.68**	**15004.85**	**450.15**	**47074.62**	**1412.24**
कुल योग	**47697.96**	**1652.74**	**62377.76**	**2178.48**	**293221.93**	**10425.94**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
टी टी एस एल	2461.47	90.14
टी टी एम एल	470.75	14.12
कुल योग	**2932.22**	**104.26**

अनुलग्नक - 2.14 (पैरा 2.4.5)

मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)		60	60	48	48	36	36	24	24	12	12	कुल
			दर @ (पी एल आर+2)%		15	15	16.75	16.75	16.45	16.45	16.75	16.75	16.75	16.75	
					2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
			मामले		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	2.2.1	2.01	डीलर/वितरकों को छूट	टी टी एस एल	2440.87	1015.83	3665.34	1527.10	2003.90	860.15	998.13	455.92	469.87	213.56	**13650.67**
				टी टी एम एल	229.60	98.20	655.36	279.18	341.25	157.54	177.65	94.77	85.87	45.76	**2165.17**
		2.02	डीलर/वितरकों को दिया गया कमीशन	टी टी एस एल	1584.72	657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**2241.92**
				टी टी एम एल	53.81	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**76.73**
2	2.2.2	2.03	एफ ए टी/एफ टी टी छूट	टी टी एस एल	2244.22	922.82	2547.64	1061.66	1740.73	764.57	831.44	384.48	470.79	214.37	**11182.75**
				टी टी एम एल	157.50	68.25	488.40	210.33	333.49	154.58	517.93	280.04	209.63	113.15	**2533.31**
3	2.2.3	2.04	वेवर नेट ऑफ करना	टी टी एस एल	307.84	131.00	223.53	93.22	269.19	115.59	94.15	43.22	29.28	13.36	**1320.37**
				टी टी एम एल	36.08	15.82	74.85	32.37	65.17	30.24	13.69	7.35	0.87	0.47	**276.91**
4	2.2.4	2.05	इन्फ्रा हिस्सेदारी राजस्व का कम बताया जाना	टी टी एस एल	177.54	69.61	148.99	60.06	145.40	60.69	68.31	30.27	35.13	15.60	**811.60**
				टी टी एम एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
5	2.2.5	2.06	फोरेक्स राजस्व	टी टी एस एल	1041.47	159.40	1489.27	162.01	991.92	60.56	654.08	57.56	313.64	66.45	**4996.35**
				टी टी एम एल	437.82	40.57	409.12	16.18	320.52	26.57	957.19	129.06	52.00	12.42	**2401.46**
6	2.3.1	2.07	निवेश की बिक्री पर लाभ	टी टी एस एल	213.94	87.66	226.68	93.33	325.42	138.71	203.80	93.14	98.04	44.67	**1525.39**
				टी टी एम एल	71.01	30.46	9.30	3.99	3.05	1.41	17.57	9.42	4.22	2.26	**152.69**
	2.3.2	2.08	निवेश पर ब्याज आय	टी टी एस एल	1289.62	528.38	866.48	356.76	169.66	72.31	104.19	47.62	41.61	18.96	**3495.58**
				टी टी एम एल	13.59	5.86	7.59	3.27	42.95	20.02	7.15	3.85	0.00	0.00	**104.29**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)		60	60	48	48	36	36	24	24	12	12	कुल
			दर @ (पी एल आर+2)%		15	15	16.75	16.75	16.45	16.45	16.75	16.75	16.75	16.75	
					2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
			मामले		एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
7	2.3.3	2.09	अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ	टी टी एस एल	38.12	15.62	5.97	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	2.34	**69.65**
				टी टी एम एल	323.76	139.58	117.83	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**631.97**
	2.3.4	2.10	विविध आय	टी टी एस एल	25.46	10.43	23.88	9.83	19.62	8.36	0.20	0.09	0.00	0.00	**97.87**
				टी टी एम एल	17.16	7.40	5.38	2.32	0.40	0.19	0.61	0.33	0.22	0.12	**34.12**
8	2.4.1	2.11	बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण की कटौती	टी टी एस एल	0.00	0.00	1147.09	449.78	0.00	0.00	1328.42	595.47	165.53	73.26	**3759.55**
				टी टी एम एल	2634.37	1150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	366.19	193.06	10.60	5.73	**4360.77**
9	2.4.2	2.12	एल एल व पोर्ट प्रभारों की कटौती	टी टी एस एल	566.94	249.28	504.20	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1534.79**
				टी टी एम एल	427.92	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**614.52**
10	2.4.3	2.13	बैंडविथ की बिक्री/लीज़	टी टी एस एल	0.00	2316.29	0.00	2291.20	0.00	953.40	0.00	498.14	0.00	312.79	**6371.82**
				टी टी एम एल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.45	0.00	154.21	0.00	81.47	**597.12**
11	2.4.4		सबसिडियरी की बिक्री	टी टी एम एल	9244.19	3985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13229.42**
			कुल		**23577.54**	**11915.22**	**12616.89**	**6920.23**	**6772.66**	**3786.36**	**6340.69**	**3078.01**	**1992.45**	**1236.74**	**78236.79**

अर्थात् ₹ 782.37 करोड़

अनुलग्नक 3.01 [पैरा 3.2 1]
मार्जिन के कारण राजस्व पर विचार न करने से जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	330.22	33.02	8.26	1379.89	137.99	46.23	2061.93	206.19	69.07
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.01	0.01
बिहार	315.03	18.90	7.88	1532.55	91.95	51.34	2050.89	123.05	68.70
गुजरात	0.00	0.00	0.00	1287.28	128.73	43.12	2195.76	219.58	73.56
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.01	0.01
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00
कर्नाटक	314.82	31.48	7.87	706.69	70.67	23.67	1102.98	110.30	36.95
केरल	145.58	11.65	3.64	358.98	28.72	12.03	497.76	39.82	16.67
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	779.96	78.00	25.35	1006.05	100.61	32.70
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	1313.46	131.35	44.00	2578.43	257.84	86.38
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.02	0.01
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	815.05	81.51	26.49	1079.20	107.92	35.07
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.01	0.00
उड़ीसा	150.40	9.02	3.76	576.33	34.58	19.31	870.58	52.23	29.16
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.02	0.01
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.02	0.01
तमिलनाडु	310.52	31.05	7.76	820.01	82.00	27.47	1118.57	111.86	37.47
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	327.92	26.23	8.20	2498.50	199.88	83.70	3293.45	263.48	110.33
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	280.25	22.42	7.01	1655.24	132.42	55.45	2356.58	188.53	78.95
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	1154.09	92.33	38.66	1640.53	131.24	54.96
कुल	**2174.74**	**183.77**	**54.38**	**14878.03**	**1290.13**	**496.82**	**21854.16**	**1912.76**	**730.02**

सेवायें/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1841.10	170.30	61.68	2166.53	173.32	79.05	2619.89	209.59	116.63
असम	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	1671.19	112.81	55.98	2538.69	203.10	92.63	3216.08	257.29	144.48
गुजरात	2180.51	201.70	73.05	2565.25	205.22	93.60	2873.58	229.89	125.00
हरियाणा	0.16	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	262.12	24.25	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	173.89	13.91	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	443.78	41.05	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	2751.20	254.49	92.17	3194.85	255.59	116.57	4129.08	330.33	179.61
मध्यप्रदेश	0.27	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	1310.33	121.21	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर पूर्व	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	179.77	12.13	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.20	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.33	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	225.13	20.82	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2624.96	210.00	87.94	3882.65	310.61	141.66	5414.91	433.19	242.22
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1879.56	150.37	62.97	2767.15	221.37	100.96	3562.47	285.00	159.71
पश्चिम बंगाल	1055.26	84.42	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**16600.00**	**1417.56**	**554.36**	**17115.12**	**1369.21**	**624.47**	**21816.01**	**1745.29**	**967.65**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	944.38	79.19	34.28

अनुलग्नक 3.02 [पैरा 3.2.2]
जी आर/ए जी आर (यू डब्ल्यू एल/टी डब्ल्यू एल) में अभिदाताओं को एफ ए टी/प्रोमों आदि दिये जाने के कारण राजस्व पर विचार न करने से जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	155.50	15.55	3.89	376.38	37.64	12.61	1989.01	198.90	66.63
बिहार	89.99	5.40	2.25	442.86	26.57	14.84	2006.79	120.41	67.23
गुजरात	0.00	0.00	0.00	882.44	88.24	29.56	2876.66	287.67	96.37
कर्नाटक	146.69	14.67	3.67	169.54	16.95	5.68	668.16	66.82	22.38
केरल	70.27	5.62	1.76	101.63	8.13	3.40	245.57	19.65	8.23
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	330.79	33.08	10.75	828.84	82.88	26.94
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	938.78	93.88	31.45	4256.73	425.67	142.60
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	684.49	68.45	22.25	2464.75	246.47	80.10
उड़ीसा	53.16	3.19	1.33	97.02	5.82	3.25	729.93	43.80	24.45
तमिलनाडु	133.66	13.37	3.34	235.56	23.56	7.89	830.15	83.01	27.81
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	180.86	14.47	4.52	929.08	74.33	31.12	3027.63	242.21	101.43
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	148.53	11.88	3.71	582.71	46.62	19.52	1502.55	120.20	50.34
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	457.69	36.61	15.33	1278.88	102.31	42.84
कुल योग	**978.66**	**84.15**	**24.47**	**6228.97**	**559.88**	**207.65**	**22705.65**	**2040.00**	**757.35**

सेवायें/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2883.02	266.68	96.58	4948.76	395.90	180.56	5911.01	472.88	263.15
बिहार	3071.34	207.32	102.89	4758.59	380.69	173.62	6079.35	486.35	273.10
गुजरात	4329.35	400.46	145.03	6419.36	513.55	234.22	8515.33	681.23	370.42
कर्नाटक	419.03	38.76	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	91.10	7.29	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	732.45	67.75	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	6614.26	611.82	221.58	7461.32	596.91	272.24	8928.83	714.31	388.40
मुम्बई	3383.95	313.01	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	455.15	30.72	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	580.61	53.71	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	6278.32	502.27	210.32	6652.93	532.23	242.74	6977.24	558.18	312.11
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1778.56	142.29	59.58	2206.49	176.52	80.51	2318.31	185.47	103.93
पश्चिम बंगाल	1388.77	111.10	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**32005.91**	**2753.18**	**1068.07**	**32447.45**	**2595.80**	**1183.89**	**38730.07**	**3098.42**	**1711.11**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	1330.97	111.31	49.53

अनुलग्नक 3.03 [पैरा 3.2.3]
प्रीपेड राजस्व पर समायोजन/वेवर पर विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	11.32	1.13	0.38	128.13	12.81	4.29	280.44	25.94	9.39
बिहार	1.68	0.10	0.06	2.20	0.13	0.07	211.58	14.28	7.09
गुजरात	30.72	3.07	1.03	371.25	37.12	12.44	404.00	37.37	13.53
कर्नाटक	14.83	1.48	0.50	66.59	6.66	2.23	13.59	1.26	0.46
कोलकाता	3.75	0.38	0.12	67.40	6.74	2.19	70.79	6.55	2.30
महाराष्ट्र	-8.55	0.00	0.00	139.39	13.94	4.67	496.91	45.96	16.65
मुम्बई	7.31	0.73	0.24	80.15	8.01	2.60	173.16	16.02	5.63
उड़ीसा	5.60	0.34	0.19	29.79	1.79	1.00	21.45	1.45	0.72
तमिलनाडु	4.88	0.49	0.16	27.66	2.77	0.93	13.97	1.29	0.47
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	69.97	5.60	2.34	219.55	17.56	7.36	849.20	67.94	28.45
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-6.04	0.00	0.00	236.60	18.93	7.93	423.51	33.88	14.19
पश्चिम बंगाल	2.15	0.17	0.07	53.33	4.27	1.79	162.21	12.98	5.43
कुल योग	**137.62**	**13.49**	**5.09**	**1422.04**	**130.73**	**47.50**	**3120.81**	**264.92**	**104.31**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	390.28	31.22	14.24	835.65	66.85	37.20
बिहार	336.62	26.93	12.28	1366.97	109.36	61.41
गुजरात	356.31	28.51	13.00	892.75	71.42	38.83
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	564.22	45.14	20.59	783.69	62.70	34.09
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1691.77	135.34	61.73	1949.31	155.94	87.20
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	941.97	75.36	34.37	1165.14	93.21	52.23
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**4281.17**	**342.50**	**156.21**	**6993.51**	**559.48**	**310.96**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	159.55	13.11	6.24

अनुलग्नक 3.04 [पैरा 3.3]
रोमिंग राजस्व से आई ओ टी छूट हटाये जाने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	32.38	3.24	1.08	18.92	1.89	0.63	-6.43	0.00	0.00
बिहार	1.11	0.07	0.04	1.24	0.07	0.04	0.55	0.04	0.02
गुजरात	2.80	0.28	0.09	7.20	0.72	0.24	2.93	0.27	0.10
कर्नाटक	45.20	4.52	1.51	38.48	3.85	1.29	2.53	0.23	0.08
केरल	3.16	0.25	0.11	5.48	0.44	0.18	0.44	0.03	0.01
कोलकाता	3.34	0.33	0.11	12.18	1.22	0.40	0.18	0.02	0.01
महाराष्ट्र	4.17	0.42	0.14	10.15	1.02	0.34	4.13	0.38	0.14
मुम्बई	4.99	0.50	0.16	15.13	1.51	0.49	3.40	0.31	0.11
उड़ीसा	1.09	0.07	0.04	1.84	0.11	0.06	0.06	0.00	0.00
तमिलनाडु	27.22	2.72	0.91	34.07	3.41	1.14	5.80	0.54	0.19
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3.15	0.25	0.11	2.80	0.22	0.09	0.24	0.02	0.01
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1.87	0.15	0.06	4.40	0.35	0.15	0.54	0.04	0.02
पश्चिम बंगाल	1.53	0.12	0.05	1.98	0.16	0.07	0.25	0.02	0.01
कुल योग	**132.01**	**12.92**	**4.41**	**153.87**	**14.97**	**5.12**	**14.62**	**1.90**	**0.70**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15		
	जी आर/ ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	7.06	0.56	0.26	0.77	0.06	0.03
बिहार	2.24	0.18	0.08	-0.02	0.00	0.00
गुजरात	4.25	0.34	0.16	0.19	0.01	0.01
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	5.65	0.45	0.21	1.45	0.12	0.06
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1.35	0.11	0.05	-0.04	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3.50	0.28	0.13	0.08	0.01	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**24.05**	**1.92**	**0.89**	**2.43**	**0.20**	**0.10**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	3.27	0.32	0.11

अनुलग्नक 3.05 [पैरा 3.4]
फोरेक्स लाभ से राजस्व के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख मे)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	23.11	2.31	0.58	16.91	1.69	0.57	64.86	6.49	2.17
असम	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	12.02	0.72	0.30	13.78	0.83	0.46	57.51	3.45	1.93
दिल्ली	0.24	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.24	0.02	0.01	17.45	1.75	0.58	72.67	7.27	2.43
हरियाणा	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	19.25	1.92	0.48	8.62	0.86	0.29	37.03	3.70	1.24
केरल	7.49	0.60	0.19	3.14	0.25	0.11	9.74	0.78	0.33
कोलकाता	0.28	0.03	0.01	7.89	0.79	0.26	30.08	3.01	0.98
महाराष्ट्र	0.24	0.02	0.01	22.20	2.22	0.74	92.47	9.25	3.10
मध्यप्रदेश	0.24	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	0.21	0.02	0.00	11.68	1.17	0.38	46.21	4.62	1.50
उत्तर पूर्व	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	5.53	0.33	0.14	3.70	0.22	0.12	19.38	1.16	0.65
पंजाब	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.15	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	14.49	1.45	0.36	8.17	0.82	0.27	33.25	3.32	1.11
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	23.16	1.85	0.58	33.71	2.70	1.13	119.37	9.55	4.00
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	16.89	1.35	0.42	33.92	2.71	1.14	75.49	6.04	2.53
पश्चिम बंगाल	0.13	0.01	0.00	11.75	0.94	0.39	53.74	4.30	1.80
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**124.53**	**10.74**	**3.09**	**192.92**	**16.95**	**6.44**	**711.80**	**62.94**	**23.77**

सेवायें/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	1.81	0.17	0.06	4.52	0.36	0.16	131.79	10.54	5.87
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	1.10	0.07	0.04	18.96	1.52	0.69	157.28	12.58	7.07
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1.73	0.16	0.06	3.03	0.24	0.11	167.20	13.38	7.27
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1.75	0.16	0.06	3.80	0.30	0.08	0.77	0.06	0.00
केरल	1.01	0.08	0.03	0.96	0.08	0.02	0.11	0.01	0.00
कोलकाता	0.54	0.05	0.02	2.71	0.22	0.06	0.38	0.03	0.00
महाराष्ट्र	2.66	0.25	0.09	3.46	0.28	0.13	202.47	16.20	8.81
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	4.02	0.37	0.13	2.68	0.21	0.06	1.32	0.11	0.00
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.13	0.01	0.00	1.13	0.09	0.03	0.02	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	4.22	0.39	0.14	2.19	0.17	0.05	0.61	0.05	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	2.46	0.20	0.08	3.57	0.29	0.13	260.08	20.81	11.63
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1.52	0.12	0.05	4.68	0.37	0.17	181.76	14.54	8.15
पश्चिम बंगाल	0.71	0.06	0.02	0.42	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00
एन एल डी	0.49	0.03	0.00	3.27	0.26	0.00	12.19	0.98	0.00
आई एल डी	3.97	0.27	0.00	18.67	1.49	0.00	10.25	0.82	0.00
कुल योग	**28.12**	**2.39**	**0.78**	**74.05**	**5.91**	**1.70**	**1126.27**	**90.11**	**48.80**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की र राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	22.58	1.89	0.85

अनुलग्नक 3.06 [पैरा 3.5]
ब्याज आय से राजस्व के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	829.79	82.98	20.74	978.28	97.83	32.77	799.22	79.92	26.77
असम	4.69	0.28	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	431.55	25.89	10.79	766.17	45.97	25.67	718.79	43.13	24.08
दिल्ली	8.62	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	8.52	0.85	0.21	879.58	87.96	29.47	877.76	87.78	29.40
हरियाणा	5.22	0.42	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	5.22	0.31	0.13	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	5.22	0.31	0.13	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
कर्नाटक	691.13	69.11	17.28	485.05	48.50	16.25	419.06	41.91	14.04
केरल	269.02	21.52	6.73	181.82	14.55	6.09	110.76	8.86	3.71
कोलकाता	10.01	1.00	0.24	446.85	44.69	14.52	367.82	36.78	11.95
महाराष्ट्र	8.52	0.85	0.21	777.35	77.73	26.04	1130.49	113.05	37.87
मध्यप्रदेश	8.52	0.68	0.21	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
मुम्बई	7.59	0.76	0.18	586.43	58.64	19.06	561.74	56.17	18.26
उत्तर पूर्व	4.69	0.28	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	198.45	11.91	4.96	216.25	12.98	7.24	238.44	14.31	7.99
पंजाब	5.22	0.42	0.13	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
राजस्थान	5.22	0.42	0.13	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
तमिलनाडु	514.64	51.46	12.87	454.42	45.44	15.22	382.86	38.29	12.83
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	831.76	66.54	20.79	1971.33	157.71	66.04	1487.19	118.98	49.82
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	605.70	48.46	15.14	1192.65	95.41	39.95	941.52	75.32	31.54
पश्चिम बंगाल	4.69	0.38	0.12	686.82	54.95	23.01	669.17	53.53	22.42
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**4463.99**	**385.69**	**111.36**	**9623.00**	**842.36**	**321.33**	**8704.99**	**768.03**	**290.68**

सेवायें/एल एस ए	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	276.81	25.60	9.27	158.81	12.70	5.79	199.76	15.98	8.89
असम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	243.25	16.42	8.15	172.88	13.83	6.31	241.72	19.34	10.86
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	339.85	31.44	11.39	203.18	16.25	7.41	253.43	20.27	11.02
हरियाणा	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	27.56	2.55	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	7.03	0.56	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	80.74	7.47	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	442.21	40.90	14.81	241.97	19.36	8.83	307.79	24.62	13.39
मध्यप्रदेश	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	198.44	18.36	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	18.37	1.24	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	26.00	2.40	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	528.83	42.31	17.72	313.65	25.09	11.44	393.18	31.45	17.59
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	319.90	25.59	10.72	225.57	18.05	8.23	277.31	22.18	12.43
पश्चिम बंगाल	153.39	12.27	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	128.04	8.64	0.00	113.69	9.10	0.00	18.82	1.51	0.00
आई एल डी	14.30	0.97	0.00	13.24	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**2805.00**	**236.74**	**88.92**	**1442.99**	**115.44**	**48.01**	**1692.01**	**135.35**	**74.18**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	287.32	24.84	9.35

अनुलग्नक -3.07 [पैरा 3.6]

विविध आय से राजस्व के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.24	0.02	0.01	0.85	0.09	0.03	105.74	9.78	3.54
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.19	0.01	0.01	4.32	0.26	0.14	92.84	6.27	3.11
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.21	0.02	0.01	1.41	0.14	0.05	130.36	12.06	4.37
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21	0.74	0.31
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
कर्नाटक	0.35	0.03	0.01	1.00	0.10	0.03	10.65	0.98	0.36
केरल	0.04	0.00	0.00	15.73	1.26	0.53	2.68	0.21	0.09
कोलकाता	0.11	0.01	0.00	0.30	0.03	0.01	30.82	2.85	1.00
महाराष्ट्र	0.19	0.02	0.01	5.55	0.56	0.19	169.92	15.72	5.69
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
मुम्बई	0.37	0.04	0.01	0.35	0.03	0.01	77.95	7.21	2.53
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.05	0.00	0.00	1.62	0.10	0.05	7.01	0.47	0.23
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.29	0.03	0.01	0.64	0.06	0.02	12.19	1.13	0.41
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1.03	0.08	0.03	0.44	0.04	0.01	201.96	16.16	6.77
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.40	0.03	0.01	0.03	0.00	0.00	122.09	9.77	4.09
पश्चिम बंगाल	0.17	0.01	0.01	3.17	0.25	0.11	58.54	4.68	1.96
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.87	3.30	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	0.37	0.00
कुल योग	**3.64**	**0.30**	**0.12**	**35.41**	**2.92**	**1.18**	**1086.36**	**91.70**	**34.46**

सेवायें/एल एस ए	2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	126.00	10.08	4.60	258.81	20.70	11.52
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	89.99	7.20	3.28	302.63	24.21	13.60
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	113.88	9.11	4.16	321.96	25.76	14.01
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1.22	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00
केरल	1.48	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	19.79	1.58	0.42	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	122.56	9.81	4.47	386.44	30.92	16.81
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	15.11	1.21	0.32	0.00	0.00	0.00
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	18.22	1.46	0.40	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	18.08	1.45	0.40	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	157.73	12.62	5.76	493.78	39.50	22.09
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	107.82	8.63	3.93	347.16	27.77	15.56
पश्चिम बंगाल	6.93	0.55	0.15	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	54.20	4.34	0.00	23.56	1.88	0.00
आई एल डी	6.31	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**859.32**	**68.76**	**27.95**	**2134.34**	**170.74**	**93.59**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	41.19	3.34	1.57

अनुलग्नक 3.08 [पैरा 3.6]
विविध आय/(अचल परिसम्पति की बिक्री पर लाभ) से राजस्व के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2011-12			2012-13		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	11.00	1.02	0.37
असम	0.00	0.00	0.00	0.13	0.01	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	65.24	4.40	2.19
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00	54.77	5.07	1.83
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.32	0.03	0.01
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.49	0.03	0.02
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.19	0.01	0.01
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	91.09	8.43	3.05
केरल	15.87	1.27	0.53	65.95	5.28	2.21
कोलकाता	156.66	15.67	5.09	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	113.04	11.30	3.79	0.00	0.00	0.00
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	46.85	3.16	1.57
पंजाब	0.00	0.00	0.00	16.77	1.34	0.56
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.19	0.02	0.01
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	132.35	12.24	4.43
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.00	0.00	0.00	66.59	5.33	2.23
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	7.73	0.62	0.26	28.29	2.26	0.95
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**293.30**	**28.86**	**9.67**	**580.37**	**48.64**	**19.44**

`वायें/एल एस ए	2013-14			2014-15		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	19.12	1.53	0.70	8.38	0.67	0.37
असम	9.86	0.79	0.22	0.00	0.00	0.00
बिहार	20.81	1.66	0.76	10.14	0.81	0.46
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	24.46	1.96	0.89	10.63	0.85	0.46
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	1.24	0.10	0.03	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
केरल	3.75	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	29.13	2.33	1.06	12.91	1.03	0.56
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	79.38	6.35	1.70	0.00	0.00	0.00
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	20.36	1.63	0.45	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	4.87	0.39	0.11	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	204.30	16.34	4.52	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	38.73	3.10	1.41	16.50	1.32	0.74
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	48.41	3.87	1.77	11.63	0.93	0.52
पश्चिम बंगाल	71.36	5.71	1.58	0.00	0.00	0.00
एन एल डी	13.68	1.09	0.00	0.79	0.06	0.00
आई एल डी	1.59	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**591.05**	**47.28**	**15.28**	**70.98**	**5.67**	**3.11**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	15.36	1.30	0.48

अनुलग्नक 3.09 [पैरा 3.7]

बी टी ए से राजस्व के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

सेवायें/एल एस ए	2010-11		
	जी आर/ए जी आर	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	2556.76	255.68	85.65
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार	2002.40	120.14	67.08
दिल्ली	0.00	0.00	0.00
गुजरात	2298.81	229.88	77.01
हरियाणा	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1267.69	126.77	42.47
केरल	475.18	38.01	15.92
कोलकाता	1167.87	116.79	37.96
महाराष्ट्र	2031.62	203.16	68.06
मध्यप्रदेश	0.00	0.00	0.00
मुम्बई	1532.65	153.26	49.81
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	565.18	33.91	18.93
पंजाब	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	1187.65	118.77	39.79
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	5152.14	412.17	172.60
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	3117.02	249.36	104.42
पश्चिम बंगाल	1795.03	143.60	60.13
एन एल डी	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	0.00	0.00	0.00
कारपोरेट	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**25150.00**	**2201.50**	**839.83**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
टेलीनोर	251.50	22.02	8.40

अनुलग्नक 3.10 [पैरा 3.8]

मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनुलग्नक	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	72		60		48	
			दर @ (पी एल आर+2)%	13.75		15		16.75	
			मामले	2009-10		2010-11		2011-12	
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज
1	3.2.1	3.01	मार्जिन	233.62	69.11	1428.39	550.07	1807.94	690.03
2	3.2.2	3.02	एफ ए टी	106.97	31.10	619.89	229.91	1928.22	715.85
3	3.2.3	3.03	वेवर	0.00	0.00	14.93	5.63	123.57	44.89
4	3.3	3.04	आई ओ टी	0.00	0.00	14.30	4.89	14.15	4.85
5	3.4	3.05	फोरेक्स	13.68	3.95	18.76	7.13	59.49	22.47
6	3.5	3.06	ब्याज आय	490.30	141.56	932.64	355.78	725.95	274.76
7	3.6	3.07	विविध आय	0.00	0.00	0.36	0.13	2.76	1.12
8	3.6	3.08	अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	27.28	9.14
9	3.7	3.09	व्यवसायिक हस्तान्तरण पर लाभ	0.00	0.00	2437.47	929.84	0.00	0.00
			कुल	**844.57**	**245.72**	**5466.74**	**2083.38**	**4689.36**	**1763.11**

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनुलग्नक	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	36		24		12		कुल
			दर @ (पी एल आर+2)%	16.45		16.75		16.75		
			मामले	2012-13		2013-14		2014-15		
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	3.2 .1	3.01	मार्जिन	896.67	350.66	540.43	246.48	315.85	175.12	7304.39
2	3.2.2	3.02	एफ ए टी	1741.54	675.62	1024.58	467.29	560.74	309.67	8411.38
3	3.2 .3	3.03	वेवर	167.57	65.98	135.18	61.65	101.25	56.28	776.95
4	3.3	3.04	आई ओ टी	1.21	0.44	0.76	0.35	0.04	0.02	41.00
5	3.4	3.05	फोरेक्स	1.51	0.50	2.34	0.67	16.31	8.83	155.63
6	3.5	3.06	ब्याज आय	149.76	56.25	45.56	18.95	24.50	13.43	3229.43
7	3.6	3.07	विविध आय	58.01	21.80	27.13	11.04	30.90	16.94	170.19
8	3.6	3.08	अचल परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	30.76	12.30	18.66	6.03	1.03	0.56	105.76
9	3.7	3.09	व्यवसायिक हस्तान्तरण पर लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3367.31
कुल				**3047.03**	**1183.55**	**कुल**	**812.46**	**1050.62**	**580.85**	**23562.04**

अर्थात् ₹ 235.62 करोड़

अनुलग्नक-4.01(पैरा-4.2.1)

वितरकों को दिये गये कमीशन/छूट पर विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.91	0.09	0.03	1.08	0.11	0.04	0.48	0.04	0.02
असम		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.57	0.03	0.02	2.35	0.14	0.08	1.81	0.13	0.06
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	394.37	39.44	13.80	401.54	40.15	14.05	243.81	22.56	8.53
हरियाणा	129.66	10.37	4.54	148.83	11.91	5.21	195.16	15.61	6.83
हिमाचल प्रदेश	6.88	0.41	0.24	7.29	0.44	0.26	1.59	0.10	0.06
आई एल डी		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	1.00	0.10	0.03	2.00	0.20	0.07	2.23	0.21	0.08
केरल	56.22	4.50	1.97	46.23	3.70	1.62	3.96	0.32	0.14
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.39	0.04	0.01	0.43	0.04	0.01
महाराष्ट्र	0.73	0.07	0.03	3.72	0.37	0.13	5.68	0.52	0.20
मध्य प्रदेश	120.29	9.62	4.21	205.11	16.41	7.18	183.27	14.67	6.41
मुम्बई	330.14	33.01	11.06	374.92	37.49	12.56	158.16	14.63	5.30
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	0.73	0.04	0.03	1.30	0.08	0.05	0.72	0.05	0.03
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
राजस्थान	0.79	0.06	0.03	1.69	0.14	0.06	2.04	0.15	0.07
तमिलनाडु	217.49	21.75	7.61	269.93	26.99	9.45	134.16	12.41	4.70
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.84	0.07	0.03	1.42	0.11	0.05	0.80	0.07	0.03
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1.21	0.10	0.04	25.33	2.03	0.89	35.40	2.83	1.24
पश्चिम बंगाल	1.01	0.08	0.04	1.73	0.14	0.06	1.05	0.08	0.04
कुल	**1262.84**	**119.74**	**43.71**	**1494.86**	**140.45**	**51.77**	**970.75**	**84.42**	**33.75**

एल एस ए का नाम	2013-14			2014-15		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
असम						
बिहार	0.66	0.05	0.03	1.48	0.12	0.07
जम्मू एवं कश्मीर	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
दिल्ली						
गुजरात	345.61	27.65	15.55	635.60	50.85	28.60
हरियाणा	389.13	31.13	17.51	592.88	47.43	26.68
हिमाचल प्रदेश	0			0		
आई एल डी	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
केरल						
कोलकाता						
महाराष्ट्र						
मध्य प्रदेश	337.36	26.99	15.18	653.04	52.24	**29.39**
मुम्बई				NO SERVICE		
उत्तर पूर्व						
उड़ीसा						
एन एल डी	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
तमिलनाडु						
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.65	0.05	0.03	2.84		
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.65	0.05	0.03	2.70		
पश्चिम बंगाल	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
कुल	**1074.06**	**85.92**	**48.33**	**1888.54**	**150.64**	**84.74**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी टी एल	66.91	5.82	2.63

अनुलग्नक-4.02 (पैरा-4.2.2)
एफ ए टी पर विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम	2010-11			2011-12			2012-13		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.21	0.01	0.01	1.62	0.11	0.06
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	156.95	15.69	5.49	238.36	23.84	8.34	389.52	36.63	13.63
हरियाणा	152.77	12.22	5.35	214.06	17.12	7.49	379.61	30.37	13.29
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.01	0.01
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	0.32	0.03	0.01	0.06	0.01	0.00	0.24	0.02	0.01
केरल	54.72	4.38	1.92	61.32	4.91	2.15	0.42	0.03	0.01
कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.34	0.03	0.01	0.04	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.07	0.01	0.00	0.44	0.04	0.02	0.61	0.06	0.02
मध्य प्रदेश	101.13	8.09	3.54	179.50	14.36	6.28	314.75	25.18	11.02
मुम्बई	406.96	40.70	13.63	409.23	40.92	13.71	272.69	25.75	9.14
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
उड़ीसा	0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.14	0.01	0.01	0.28	0.03	0.01
तमिलनाडु	323.90	32.39	11.34	417.50	41.75	14.61	197.75	18.78	6.92
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.07	0.01	0.00	0.11	0.01	0.00	38.35	3.07	1.34
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.26	0.02	0.01	8.09	0.65	0.28	37.59	3.00	1.32
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.12	0.01	0.00	0.11	0.01	0.00
कुल	**1197.19**	**113.54**	**41.29**	**1529.52**	**143.67**	**52.91**	**1633.90**	**143.05**	**56.78**

एल एस ए का नाम	2013-14			2014-15		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
असम						
बिहार	0	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
दिल्ली						
गुजरात	744.34	59.55	33.50	1230.34	98.43	55.37
हरियाणा	579.17	46.33	26.06	658.42	52.67	29.63
हिमाचल प्रदेश	0			0		
आई एल डी	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
केरल						
कोलकाता						
महाराष्ट्र						
मध्य प्रदेश	522.45	41.80	23.51	1115.10	89.21	50.18
मुम्बई	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
उत्तर पूर्व						
उड़ीसा						
एन एल डी	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
तमिलनाडु						
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
कुल	**1845.96**	**147.68**	**83.07**	**3003.86**	**240.31**	**135.18**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी टी एल	92.10	7.88	3.69

अनुलग्नक-4.03 (पैरा-4.2.3)

एफ ओ सी सिम का विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शती विवरणी

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम	2013-14			2014-15		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
गुजरात	62.21	4.98	2.80	133.63	10.69	6.01
हरियाणा	43.53	3.48	1.96	66.31	5.30	2.98
मध्य प्रदेश	68.27	5.46	3.07	151.33	12.11	6.81
कुल	**174.01**	**13.92**	**7.83**	**351.27**	**28.10**	**15.80**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी टी एल	5.25	0.42	0.24

अनुलग्नक-4.04 (पैरा-4.3.1)
ब्याज का विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	46.84	4.68	1.17	37.56	3.76	1.31	61.70	6.17	2.16
असम	46.84	2.81	1.17	37.56	2.25	1.31	61.70	3.70	2.16
बिहार	46.84	2.81	1.17	37.56	2.25	1.31	61.70	3.70	2.16
जम्मू एवं कश्मीर	46.84	2.81	1.17	37.56	2.25	1.31	61.70	3.70	2.16
दिल्ली	46.84	4.68	1.10	37.56	3.76	1.26	61.70	6.17	2.07
गुजरात	46.84	4.68	1.17	37.56	3.76	1.31	61.70	6.17	2.16
हरियाणा	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
हिमाचल प्रदेश	46.84	2.81	1.17	37.56	2.25	1.31	61.70	3.70	2.16
आई एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	46.84	4.68	1.17	37.56	3.76	1.31	61.70	6.17	2.16
केरल	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
कोलकाता	46.84	4.68	1.10	37.56	3.76	1.26	61.70	6.17	2.07
महाराष्ट्र	46.84	4.68	1.17	37.56	3.76	1.31	61.70	6.17	2.16
मध्य प्रदेश	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
मुम्बई	46.84	4.68	1.10	37.56	3.76	1.26	61.70	6.17	2.07
उत्तर पूर्व	46.84	2.81	1.17	37.56	2.25	1.31	61.70	3.70	2.16
उड़ीसा	46.84	2.81	1.17	37.56	2.25	1.31	61.70	3.70	2.16
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70	3.70	0.00
राजस्थान	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
तमिलनाडु	46.84	4.68	1.17	37.56	0.00	1.31	61.70	6.17	2.16
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
पश्चिम बंगाल	46.84	3.75	1.17	37.56	3.01	1.31	61.70	4.94	2.16
कुल	**983.64**	**80.55**	**24.36**	**788.76**	**60.89**	**27.36**	**1357.40**	**109.84**	**45.09**

एल एस ए का नाम	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	40.96	3.79	1.43	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
असम	40.96	2.76	1.43						
बिहार	40.96	2.76	1.43	113.49	9.08	5.11	125.61	10.05	5.65
जम्मू एवं कश्मीर	40.96	2.76	1.43	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
दिल्ली	40.96	3.79	1.37						
गुजरात	40.96	3.79	1.43	113.49	9.08	5.11	125.61	10.05	5.65
हरियाणा	40.96	3.28	1.43	113.49	9.08	5.11	125.61	10.05	5.65
हिमाचल प्रदेश	40.96	2.76	1.43	0			0		
आई एल डी	40.96	2.76	0.00	113.49	9.08	0.00	125.61	10.05	0.00
कर्नाटक	40.96	3.79	1.43	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
केरल	40.96	3.28	1.43						
कोलकाता	40.96	3.79	1.37						
महाराष्ट्र	40.96	3.79	1.43						
मध्य प्रदेश	40.96	3.28	1.43	113.49	9.08	5.11	125.61	10.05	5.65
मुम्बई	40.96	3.79	1.37	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
उत्तर पूर्व	40.96	2.76	1.43						
उड़ीसा	40.96	2.76	1.43						
एन एल डी	40.96	2.76	0.00	113.49	9.08	0.00	125.61	10.05	0
राजस्थान	40.96	3.28	1.43	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
तमिलनाडु	40.96	3.79	1.43						
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	40.96	3.28	1.43	113.49	9.08	5.11	125.61	10.05	5.65
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	40.96	3.28	1.43	113.49	9.08	5.11	125.61	10.05	5.65
पश्चिम बंगाल	40.96	3.28	1.43	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
कुल	**942.08**	**75.36**	**29.85**	**907.92**	**72.64**	**30.66**	**1004.88**	**80.40**	**33.90**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी टी एल	**59.85**	**4.80**	**1.91**

अनुलग्नक-4.05 (पैरा-4.3.2)

फोरेक्स लाभ का विचार न करने के कारण जी आर/ए जी आर पर एल एफ व एस यू सी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम	2009-10			2010-11			2011-12		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	14.61	1.46	0.37	2.63	0.26	0.09	0.03	0.00	0.00
असम	14.61	0.88	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	14.61	0.88	0.37	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	14.61	0.88	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	14.61	1.46	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	14.61	1.46	0.37	36.81	3.68	1.29	2.63	0.26	0.09
हरियाणा	14.61	1.17	0.37	28.48	2.28	1.00	0.97	0.08	0.03
हिमाचल प्रदेश	14.61	0.88	0.37	0.01	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
आई एल डी	14.61	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कर्नाटक	14.61	1.46	0.37	2.06	0.21	0.07	11.85	1.19	0.41
केरल	14.61	1.17	0.37	119.95	9.60	4.20	10.71	0.86	0.37
कोलकाता	14.61	1.46	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	14.61	1.46	0.37	18.76	1.88	0.66	0.02	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	14.61	1.17	0.37	41.10	3.29	1.44	2.36	0.19	0.08
मुम्बई	14.61	1.46	0.34	0.31	0.03	0.01	2.38	0.24	0.08
उत्तर पूर्व	14.61	0.88	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	14.61	0.88	0.37	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
एन एल डी	14.61	0.88	0.00	0.13	0.01	0.00	2.65	0.16	0.00
राजस्थान	14.61	1.17	0.37	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
तमिलनाडु	14.61	1.46	0.37	639.43	63.94	22.38	42.07	4.21	1.47
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14.61	1.17	0.37	1.83	0.15	0.06	22.63	1.81	0.79
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	14.61	1.17	0.37	1.26	0.10	0.04	21.65	1.73	0.76
पश्चिम बंगाल	14.61	1.17	0.37	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
कुल	**336.03**	**26.91**	**7.68**	**892.79**	**85.43**	**31.24**	**120.04**	**10.73**	**4.08**

एल एस ए का नाम	2012-13			2013-14			2014-15		
	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
असम	0.00	0.00	0.00						
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	0.00	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
दिल्ली	0.00	0.00	0.00						
गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.45	0.04	0.02	0.36	0.03	0.02
हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.51	0.04	0.02	0.34	0.03	0.02
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आई एल डी	2.09	0.14	0.00	32.10	2.57	0.00	144.82	11.59	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
केरल	0.00	0.00	0.00						
कोलकाता	0.00	0.00	0.00						
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00						
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.44	0.04	0.02	0.37	0.03	0.02
मुम्बई	0.00	0.00	0.00	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
उत्तर पूर्व	0.00	0.00	0.00						
उड़ीसा	0.00	0.00	0.00						
एन एल डी	0.00	0.00	0.00	1.80	0.14	0.00	1.24	0.10	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00						
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.02	0.01
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	सेवा नहीं			सेवा नहीं		
कुल	**2.09**	**0.14**	**0.00**	**35.30**	**2.83**	**0.06**	**147.38**	**11.80**	**0.07**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
वी टी एल	15.34	1.38	0.43

अनुलग्नक- 4.06 (पैरा-4.4)

वी टी एल द्वारा मार्च 2016 तथा एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	72	72	60	60	48	48	36	36	24	24	12	12	कुल
			दर @ (पी एल आर+2)%	13.75	13.75	15	15	16.75	16.75	16.45	16.45	16.75	16.75	16.75	16.75	
			मामले	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	4.2.1	4.01	संसाधन फीस (कमीशन/छूट)			132.59	48.39	132.75	48.92	53.40	21.34	33.92	19.08	27.34	15.38	533.11
2	4.2.2	4.02	एफ ए टी			125.71	45.72	135.80	50.02	90.49	35.92	58.29	32.79	43.49	24.46	642.69
3	4.2.3	4.03	एफ ओ सी सिम			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	3.09	5.09	2.86	16.53
4	4.3.1	4.04	ब्याज आय	102.40	30.99	67.38	30.38	103.81	42.60	47.68	18.93	28.67	12.10	14.55	6.14	505.63
5	4.3.2	4.05	फोरेक्स लाभ	34.17	9.67	94.58	34.59	10.14	3.88	0.09	0.00	1.11	0.02	2.13	0.01	190.39
			कुल	**136.57**	**40.66**	**420.26**	**159.08**	**382.50**	**145.42**	**191.66**	**76.19**	**127.48**	**67.08**	**92.60**	**48.85**	**1888.35**

अर्थात् ₹ 18.88 करोड़

अनुलग्नक-5.01 (पैरा-5.2.1)

वितरकों को क्यू टी एल द्वारा संसाधन फीस से छूट व नेटेड ऑफ के रूप में दिये गये राजस्व पर विचार न करने के लिये राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एल एस ए का नाम	पंजाब		
	वर्ष	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2010-11	283.21	22.66	10.05
2	2011-12	533.79	42.70	18.95
3	2012-13	799.46	63.96	28.38
4	2013-14	1082.33	86.59	38.42
5	2014-15	1233.54	98.68	43.79
	कुल	**3932.33**	**314.59**	**139.59**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	39.32	3.15	1.40

अनुलग्नक -5.02 (पैरा -5.2.2)

फ्री एयर टाई (एफ ए टी) से प्राप्त राजस्व को विचार न किये जाने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एल एस ए का नाम	पंजाब		
	वर्ष	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2010-11	58.30	4.66	2.07
2	2011-12	54.83	4.39	1.95
3	2012-13	24.00	1.92	0.85
4	2013-14	94.35	7.55	3.35
5	2014-15	86.54	6.92	3.07
	कुल	**318.02**	**25.44**	**11.29**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	3.18	0.25	0.11

अनुलग्नक -5.03 (पैरा -5.2.3)

लागत रहित सिम (एफ ओ सी सिम) से प्राप्त राजस्व को विचार न किये जाने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एल एस ए का नाम	पंजाब		
	वर्ष	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2013-14	104.04	8.32	3.69
2	2014-15	85.71	6.86	3.04
	कुल	**189.75**	**15.18**	**6.73**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	1.90	0.15	0.07

अनुलग्नक-5.04 (पैरा -5.3.1)

फोरेक्स लाभ से प्राप्त आय को विचार न किये जाने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	एल एस ए का नाम	पंजाब		
	वर्ष	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2006-07	0.52	0.04	0.01
2	2007-08	568.95	45.52	11.38
3	2008-09	281.37	22.51	5.63
4	2009-10	435.21	34.82	10.23
5	2010-11	168.17	13.45	5.97
6	2011-12	34.34	2.75	1.22
7	2012-13	193.08	15.45	6.85
8	2013-14	155.74	12.46	5.53
9	2014-15	6.50	0.52	0.23
	कुल	**1843.88**	**147.52**	**47.05**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	18.44	1.48	0.47

अनुलग्नक-5.05 (पैरा -5.3.2)

क्यू टी एल द्वारा परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ पर विचार न किये जाने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम		पंजाब		
क्रम संख्या	वर्ष	जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2008-09	3372.35	269.79	67.45
2	2009-10	143.05	11.44	3.36
3	2010-11	247.52	19.80	8.79
4	2013-14	98.38	7.87	3.49
	कुल	**3861.30**	**308.90**	**83.09**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	38.61	3.09	0.83

अनुलग्नक -5.06 (पैरा -5.3.3)

फ्री एयर टाइ (एफ ए टी) से प्राप्त राजस्व पर विचार न किये जाने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम - पंजाब

क्र. सं.	वर्ष	टेलीकॉम सेवाओं से राजस्व		जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
		अवसंरचना की हिस्सेदारी (डार्क फाइबर)	अवसंरचना की हिस्सेदारी (टावर)		
1	2006-07	405.14	0.00	405.14	8.10
2	2007-08	497.20	0.00	497.20	9.94
3	2008-09	590.17	126.25	716.42	14.33
4	2009-10	461.03	44.37	505.40	11.88
5	2010-11	588.14	45.57	633.71	22.50
6	2011-12	550.45	76.09	626.53	22.24
7	2012-13	550.90	97.10	648.00	23.00
8	2013-14	583.90	132.99	716.89	25.45
9	2014-15	585.67	302.40	888.072	31.53
	कुल	**4812.60**	**824.77**	**5637.35**	**168.97**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	56.37	1.69

अनुलग्नक -5.07 (पैरा -5.3.4)

निवेश से आय (ब्याज) पर विचार न करने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम		पंजाब		
क्रम संख्या	वर्ष	निवेश से आय (ब्याज)	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2006-07	43.91	0.00	0.88
2	2007-08	50.41	0.00	1.01
3	2008-09	60.32	0.00	1.21
4	2014-15	116.24	9.30	4.13
	कुल	**270.88**	**9.30**	**7.23**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	2.71	0.09	0.07

अनुलग्नक -5.08 (पैरा -5.3.5)
विविध आय को विचार न करने के कारण राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ व एस यू सी) के भुगतान पर प्रभाव

(₹ लाख में)

एल एस ए का नाम	पंजाब			
क्रम संख्या	वर्ष	विविध आय	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
1	2006-07	103.48	0.00	2.07
2	2007-08	742.56	0.00	14.85
3	2008-09	23.52	0.00	0.47
4	2014-15	9.62	0.77	0.34
	कुल	**879.18**	**0.77**	**17.73**

(₹ करोड़ में)

कम्पनी	जी आर/ए जी आर की राशि	एल एफ पर प्रभाव	एस यू सी पर प्रभाव
क्यू टी एल	8.79	0.01	0.18

अनुलग्नक -5.09 (पैरा 5.4)

क्यू टी एल द्वारा मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी के कम भुगतान पर ब्याज

(₹ लाख में)

क्र सं	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	108	108	96	96	84	84
			दर @ (पी एल आर+2)%	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
			मामले	2006-07		2007-08		2008-09	
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज
1	5.2.1	5.01	संसाधन फीस (कमीशन/छूट)	0	0	0	0	0	0
2	5.2.2	5.02	एफ ए टी	0	0	0	0	0	0
3	5.2.3	5.03	एफ ओ सी सिम	0	0	0	0	0	0
4	5.3.1	5.04	फोरेक्स लाभ	0.11	0.03	95.85	23.96	38.17	9.54
5	5.3.2	5.05	परिसम्पत्ति की बिक्री	0	0	0	0	457.45	114.36
6	5.3.3	5.06	एस यू सी ने टेलीकॉम राजस्व का भुगतान नहीं किया	0	20.89	0	20.94	0	24.30
7	5.3.4	5.07	ब्याज आय पर एल एफ व एस यू सी	0	2.26	0	2.12	0	2.05
8	5.3.5	5.08	विविध आय पर एल एफ व एस यू सी	0	5.34	0	31.27	0	0.8
			कुल	**0.11**	**28.52**	**95.85**	**78.29**	**495.62**	**151.05**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	72	72	60	60	48	48
			दर @ (पी एल आर+2)%	13.75	13.75	15	15	16.75	16.75
			मामले	2009-10		2010-11		2011-12	
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज
1	5.2.1	5.01	संसाधन फीस (कमीशन/छूट)	0	0	25.08	11.13	40.36	17.91
2	5.2.2	5.02	एफ ए टी	0	0	5.16	2.29	4.15	1.84
3	5.2.3	5.03	एफ ओ सी सिम	0	0	0	0	0	0
4	5.3.1	5.04	फोरेक्स लाभ	44.26	13	14.9	6.61	2.6	1.15
5	5.3.2	5.05	परिसम्पत्ति की बिक्री	14.55	4.27	21.92	9.73	0	0
6	5.3.3	5.06	एस यू सी ने टेलीकॉम राजस्व का भुगतान नहीं किया	0	15.10	0	24.91	0	21.02
7	5.3.4	5.07	ब्याज आय पर एल एफ व एस यू सी	0	0	0	0	0	0
8	5.3.5	5.08	विविध आय पर एल एफ व एस यू सी	0	0	0	0	0	0
			कुल	**58.81**	**32.37**	**67.06**	**54.67**	**47.11**	**41.92**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पैरा संख्या	अनुलग्नक संख्या	महीनों की संख्या (मार्च 2016 तक)	36	36	24	24	12	12	कुल
			दर @ (पी एल आर+2)%	16.45	16.45	16.75	16.75	16.75	16.75	
			मामले	2012-13		2013-14		2014-15		
				एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	एल एफ पर ब्याज	एस यू सी पर ब्याज	
1	5.2.1	5.01	संसाधन फीस (कमीशन/छूट)	40.46	17.95	34.18	15.17	17.86	7.93	228.03
2	5.2.2	5.02	एफ ए टी	1.21	0.54	2.98	1.32	1.25	0.56	21.3
3	5.2.3	5.03	एफ ओ सी सिम	0	0	3.29	1.46	1.24	0.55	6.54
4	5.3.1	5.04	फोरेक्स लाभ	9.77	4.34	4.92	2.18	0.09	0.04	271.52
5	5.3.2	5.05	परिसम्पत्ति की बिक्री	0	0	3.11	1.38	0	0	626.77
6	5.3.3	5.06	एस यू सी ने टेलीकॉम राजस्व का भुगतान नहीं किया	0	14.55	0	10.05	0	5.71	157.47
7	5.3.4	5.07	ब्याज आय पर एल एफ व एस यू सी	0	0	0	0	1.68	0.75	8.86
8	5.3.5	5.08	विविध आय पर एल एफ व एस यू सी	0	0	0	0	0.14	0.06	37.61
			कुल	**51.44**	**37.38**	**48.48**	**31.58**	**22.26**	**15.60**	**1358.10**

अर्थात् ₹ 13.58 करोड़

अनुलग्नक -6.01 [पैरा 6.2.1 एवं 6.2.2]

मार्च 2016 तक एल एफ व एस यू सी पर ब्याज को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

वर्ष	फोरेक्स पर लाभ	8 प्रतिशत की दर पर राजस्व हिस्सेदारी	भुगतान योग्य ब्याज अवधि	महीनों की संख्या	ब्याज दर (प्रतिशत)	ब्याज संयोजित मासिक
2012-13	129.22	10.34	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	36	16.45	6.54
2013-14	4166.76	333.34	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	24	16.75	131.57
2014-15	2080.93	166.47	अप्रैल 2015 से मार्च 2016	12	16.75	30.13
कुल	**6376.91**	**510.15**				**168.24**

अर्थात् ₹ 1.68 करोड़

शब्दावली

1	एक्सेस सेवा	सर्किट और/अथवा पैकेट स्विच्ड उपकरण के द्वारा लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि और/अथवा गैर–ध्वनि के संदेशों का संग्रहण, परिवहन, प्रेषण तथा वितरण एक्सेस सेवा है।
2	ए जी आर	समायोजित सकल राजस्व–ए जी आर अनुमति योग्य कटौतियों (यथा, लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार, कॉल के परिवहन (आई यू सी)/रोमिंग हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए पी एस टी एन प्रभार तथा सरकार को वास्तव में भुगतान किए गए सेवा/बिक्री कर) से घटाया गया सकल राजस्व है।
3	मूल सेवाऐं	एक सेवा प्रदाता को उपभोक्ताओं को पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क अथवा अनुगामी नेटवर्क का उपयोग करते हुए ध्वनि श्रेणी की कॉलों को समस्त दूरियों पर भेजने तथा ग्रहण करने की क्षमता अवश्य देनी चाहिए।
4	बी एस ओ	मूल सेवा ऑपरेटर–इनको अपने कवरेज क्षेत्रों में सी डी एम ए तकनीक का उपयोग करते हुए वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल (एम)) पर सीमित मोबिलिटी सेवाओं को प्रदान करने की अनुमति थी।
5	बी डब्ल्यू ए	ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस
6	कॉल प्रभार	काल प्रभार परिवर्तनशील है तथा कॉलर के एक्सचेन्ज से प्राप्तिकर्ता के एक्सचेन्ज तक कॉल को रूट करने के लिए उपकरण की लागत वसूलने हेतु दिए जाते हैं।
7	केपेक्स	पूँजीगत व्यय
8	कैरियर सेवायें	तार सहित या बेतार सुविधाओं का कॉलों के प्रारम्भ, समापन अथवा पारगमन हेतु, इंटरकनेक्शन प्रभार लगाने हेतु, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों का समाधान या समापन हेतु, खम्भों से संपर्क को शामिल करते हुए संयुक्त रूप से उपयोग की गई सुविधाओं के प्रभारों हेतु, सर्किटों के विशिष्ट उपयोग हेतु प्रभारों के लिए डेटा सर्किट या टेलीग्राफ सर्किट स्पीच सर्किट को शामिल करते हुए समर्पित या लीज्ड सर्किट का प्रावधान।
9	सी डी एम ए	कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) बेतार सेवाओं को प्रदान करने हेतु एक तकनीक है।
10	सी एम टी एस	सेलुलर मोबाईल टेलीफोन सेवा–यह एक प्रकार की शार्ट–वेव एनालाग या डिजीटल दूरसंचार सेवा है जिसमें उपभोक्ता के मोबाईल फोन द्वारा एक निकट के ट्रांसमीटर से बेतार संपर्क होता है। ट्रांसमीटर के कवरेज का फैलाव एक सेल कहलाता है। जैसे ही सेलुलर मोबाईल उपभोक्ता एक सेल से या कवरेज क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या सेल में जाता है, टेलीफोन प्रभावी रूप से स्थानीय सेल ट्रांसमीटर को हस्तांतरित हो जाता है।
11	डेटा सेवायें	डेटा के प्रभावी संप्रेषण हेतु बेतार या तारसहित सेवाओं तथा इस हेतु विशिष्ट रूप से बनाई गई सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान।
12	डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
13	प्रवेश शुल्क	डी ओ टी द्वारा निर्धारित एक मुश्त गैर–वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस अनुबंध हस्ताक्षर करने से पूर्व करना होता है।
14	एफ ए टी	मुफ्त एयर टाईम

15	निश्चित लाइसेंस शुल्क व्यवस्था	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994 की व्यवस्था के दौरान लाइसेंसधारी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते थे तथा बोली प्रक्रिया के दौरान स्वीकार की गई वार्षिक लाइसेंस फीस की निश्चित राशि का भुगतान सरकार को करते थे।
16	एफ ओ सी	मुफ्त (फ्री ऑफ कॉस्ट)
17	एफ टी टी	फुल टॉक टाईम
18	जी आर	जी आर– स्थापना प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैण्डसेट्स (या अन्य किसी टर्मिनल उपकरण इत्यादि) की बिक्री से हुई आय, ब्याज, लाभांश, मूल्यवर्धित सेवाएं, अनुपरक सेवाएं, एक्सेस तथा इंटरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अधोसंरचना के स्वीकार्य साझेदारी से या अन्य विविध राजस्व को किसी भी प्रकार से संबंधित व्यय हेतु समायोजन के बगैर, शामिल कर सकल राजस्व होगा।
19	जी एस एम	मोबाईल दूरसंचार हेतु वैश्विक तंत्र, बेतार सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक तकनीक है।
20	आई एल डी	अंर्तराष्ट्रीय लम्बी दूरी–आई एल डी मूलतः एक नेटवर्क परिवहन सेवा (बियरर भी कहा जाता है) है जो कि विदेशी कैरियरों द्वारा संचालित नेटवर्क को अंर्तराष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
21	स्थापना प्रभार	उपभोक्ता टर्मिनल उपकरणों की स्थापना हेतु प्रभार
22	इंटरकनेक्शन प्रभार	अन्य सेवा प्रदाताओं पर नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा इंटरकनेक्शन सुविधा की लागत की वसूली हेतु, (रूटिंग, सिंग्नलिंग तथा अन्य मूल सेवा क्रियाकलापों हेतु हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को शामिल करते हुए) जो कि नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा प्रदान किया गया है, लगाया गया एक प्रभार
23	इंटरनेट सेवाऐं	इंटरनेट में एक्सेस, उपयोग करने अथवा भाग लेने हेतु प्रदत्त इंटरनेट सेवाऐं।
24	इंटरनेट टेलीफोनी	इंटरनेट टेलीफोनी वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वी ओ आई पी) पर आधारित डिजीटल दूरसंचार सेवाऐं प्रदान करती है जो कि इंटरनेट के माध्यम से प्रावधानित हैं।
25	आई ओ टी	अंतर–ऑपरेटर ट्रैफिक
26	आई पी-I	अधोसंरचना प्रदानकर्ता श्रेणी-I-आई पी-I हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। आई पी-I के तहत पंजीकृत कंपनी डार्क फाईबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस तथा टावर जैसे संसाधन प्रदान कर सकती है।
27	आई पी-II	अधोसंचरना प्रदानकर्ता श्रेणी-II एक आई पी–II लाइसेंसी एक सिरे से अन्तिम सिरे तक तक बैण्डविड्थ यथा, संदेश का परिवहन करने में सक्षम एक डिजिटल संप्रेषण क्षमता, लीज पर/किराए पर दे सकता है/बेच सकता है। आई पी-2 लाइसेंस 14.12.05 की तिथि से जारी होना बंद हो गया है।
28	आई एस पी	इंटरनेट सेवा प्रदाता
29	आई एस पी (आई टी)	इंटरनेट सेवा प्रदाता (इंटरनेट टेलीफोनी शामिल करते हुए)
30	आई यू सी	इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार जैसा क्रमांक 16 में बताया गया है।
31	लाइसेंस शुल्क	लाईसेंसधारी समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में, डी ओ टी द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसों के आधार पर दूरसंचार सेंवाओं को प्रदान करने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
32	एल एस ए	लाइसेंस्ड सेवा क्षेत्र (परिमंडल)

33	माईक्रोवेव एक्सेस	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माईक्रोवेव (एम डब्ल्यू) एक्सेस सामान्यतः 10 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैण्ड तथा इसके अधिक में होता है।
34	माईक्रोवेव बैकबोन	जी एस एम तथा सी डी एम ए आधारित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं हेतु माईक्रोवेव (एम डब्ल्यू) बैकबोन नेटवर्क सामान्यतः 10 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैण्ड से नीचे होते हैं।
35	एम ओ सी एण्ड आई टी	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
36	एन एल डी	राष्ट्रीय लम्बी दूरी – राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी) सेवा स्विच्ड–बियरर दूरसंचार सेवाओं के लम्बी दूरी नेटवर्क, यथा – विभिन्न छोटी दूरी आवेशीय क्षेत्रों (एस डी सी ए) को आपस में जोड़ने हेतु एक नेटवर्क, परिवहन को कहते हैं।
37	एन टी पी -94	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति -1994
38	एन टी पी -99	नवीन दूरसंचार नीति -1999
39	ओपेक्स	संचालनगत व्यय
40	पी एस पी	निजी सेवा प्रदाता
41	पी एस टी एन प्रभार	पब्लिक स्विच्ड दूरसंचार नेटवर्क प्रभार
42	राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था	नवीन दूरसंचार नीति-99 ने 'राजस्व हिस्सेदारी' व्यवस्था का प्रारंभ किया जिसमें एक निश्चित लाइसेंस फीस के स्थान पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस फीस का भुगतान करना होता था।
43	रोमिंग प्रभार	सेलुलर उपभोक्ता हेतु रोमिंग, विजिटेड नेटवर्क के माध्यम से, स्वचालित रूप से ध्वनि कॉलों को करने तथा प्राप्त करने, डेटा को भेजने तथा प्राप्त करने, अथवा अन्य सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता है, जब वह घरेलू नेटवर्क के भूगोलीय कवरेज क्षेत्र से बाहर गमन कर रहा हो। इस सुविधा हेतु प्रभार रोमिंग प्रभार कहलाते हैं।
44	बिक्री कर	बिक्री कर एक उपभोग कर है जो कि सरकार द्वारा सामानों एव सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है।
45	सेवा कर	सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली चुंनिदा सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर सेवा कर है, परंतु यह वास्तव में उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है और वित्तीय एक्ट 1994 के द्वारा अस्तित्व में आया।
46	एस यू सी	स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार – लाइसेंस फीस के अतिरिक्त, बेतार सेवा प्रदाताओं को ए जी आर के प्रतिशत के रूप में स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का भुगतान करना होता है।
47	अनुपूरक सेवाऐं	जी एस एम तीन प्रकार की मूलभूत सेवा प्रदान करता है: टेलीफोनी सेवाऐं या टेलीसर्विसेज, डेटा सेवाऐं या बियरर सेवाएं तथा अनुपूरक सेवाऐं। अनुपुरक सेवाये वह अतिरिक्त सेवाऍं है जो टेलीसर्विसेज व बियरर सेवाओं के अलावा प्रदान की जाती है। इन अनुपूरक सेवाओं में कॉलर आईडेन्टीफिकेशन कॉल अग्रेषण, कॉल होल्ड, कॉल प्रतीक्षा, कानफ्रेसिंग, नम्बर आईडेन्टिफिकेशन, क्लोज्ड यूजर ग्रुप तथा बाहर जाने वाली (अंतर्राष्ट्रीय) कालों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
48	टी बी	ट्रायल बैलन्स

49	टी डी सैट	दूरसंचार विवाद निवारण तथा अपीलीय ट्रिब्यूनल (टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एण्ड अपीलेट ट्रिब्यूनल)
50	टर्मिनल उपकरण	संचार सर्किट या चैनल के समापन बिन्दु को बनाने वाला एक उपकरण। टर्मिनल उपकरण में वॉयस् टर्मिनल उपकरण तथा डेटा टर्मिनल उपकरण को शामिल करते हुए उपभोक्ता के परिसर में लगे सभी उपकरण शामिल हैं।
51	टी आर ए आई (ट्राई)	भारत का दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
52	यू ए एस एल	समेकित एक्सेस सेवा लाइसेंस – यू ए एस एल सेवा एक विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारी के नेटवर्क पर ध्वनि तथा/अथवा गैर–ध्वनि संदेशों का संग्रहण, परिवहन, संप्रेषण तथा वितरण को आवृत करती है तथा समस्त प्रकार की एक्सेस सेवाओं के प्रावधान को शामिल करती है। एक्सेससेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं तथा ब्राडबैण्ड सेवाऐं भी प्रदान कर सकता है। अगर आवश्यकता हो, तो एक्सेस सेवा प्रदाता एन एल डी/आई एल डी सेवा के लाइसेंसधारी का नेटवर्क उपयोग कर सकता है। एक्सेस सेवा तारसहित तथा/अथवा बेतार एवं फिक्स्ड बेतार सेवा को, शामिल करती है, परन्तु यही तक सीमित नही है।
53	यू एल	समेकित (यूनीफाईड) लाइसेंस – लाइसेंधारी किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सेवा क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुसार इस लाइसेंस के तहत प्राधिकृत सेवाओं के दायरे में, दूरसंचार नेटवर्कों तथा दूरसंचार सेवाओं को स्थापित, संचालित तथा रखरखाव कर सकता है। यदि लाइसेंसधारी एक्सेस स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर लेता है तो तकनीक के इस्तेमाल में स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित नियम व शर्तें लागू होंगी।
54	यू एस ओ	वैश्विक सेवा कर्तव्य (यूनिर्वल सर्विस ऑब्लिगेशन) – एन टी पी -99 ने प्रावधान किया गया था कि यू एस ओ को पूरा करने के लिए संसाधन ''यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल)'' के माध्यम से जुटाए जाऐंगे, जो ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित किए गए राजस्व का प्रतिशत होगा।
55	मूल्यवर्धित सेवाऐं (वैल्यू ऐडेड सर्विस)	मूल्यवर्धित सेवाऐं (वी ए एस) गैर– मूल (नॉन कोर) सेवाओं के लिए या संक्षेप में, मानक ध्वनि कॉलों एवं फैक्स संप्रेषण के अलावा समस्त सेवाओं के लिए दूरसंचार उद्योग मे एक प्रचलित शब्द है। दूरसंचार उद्योग में सैद्धांतिक स्तर पर मूल्यवर्धित सेवा, मानक सेवा में मूल्यवर्धन करती है।
56	वी सैट	(वैरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल) – वी सैट लाइसेंस को भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर गैर–अनन्य आधार पर इनसैट उपग्रह तंत्र के माध्यम से वी सैट क्लोज्ड यूजर ग्रुप घरेलु डेटा नेटवर्क सेवा को स्थापित, लगाना, संचालन तथा रखरखाव करना है।
57	डब्ल्यू एफ डी	डी ओ टी की बेतार वित्तीय शाखा
58	डब्ल्यू एल एल (एम)	वायरलैस इन लोकल लूप (मोबाईल)
59	डब्ल्यू पी सी प्रभार	डी ओ टी के बेतार प्लानिंग तथा को–ऑर्डिनेशन शाखा द्वारा लगाया गया प्रभार

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in